लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6.7.12
Fumigated
On 4.1.84
8
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शाक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शाक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शाक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

1353

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3 गुरुवार, 25 मई, 1967/4 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 3–Thursday, May 25, 1967 Jyaistha 4, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
61	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan	267–273
62	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	273–275
63	बम्बई में पकड़ा गया सोना तथा घड़ियां	Gold and Watches Seized in Bombay	275–277
64	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	National Projects Construction Corporation	277–279
65	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	National Projects Construction Corporation	279–280
67	भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा मकान खाली किया जाना	Vacation of Flats by Ex-M.Ps.	280–283

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
68	अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability	283–284
69	देश में चेचक के मामले	Small Pox Incidence ...	284
70	उर्वरक उद्योग में अमरीकी पूंजी का विनियोजन	US Investment in Fertiliser Industry	285
71	कदना बांध	Kadana Dam	285–286
72	रुद्रसागर स्थित तेल क्षेत्रों में आग	Fire in Rudrasagar Oil fields ...	286–287
73	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird & Co.	287
74	विदेशों से प्राप्त ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम में फेर बदल	Re-scheduling of External Debts	287–288
75	किसानों को लगान से छूट	Exemption to Cultivators from Land Revenue	288
76	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाये	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Alwaye	289
77	ट्राम्बे में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Trombay	289
78	सीमा शुल्क विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Customs Department	289–290
79	कानपुर में तलाशियां	Searches in Kanpur	290
80	बरौनी कानपुर पाइप लाइन	Barauni Kanpur Pipe Line	290–291
81	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D. A. to Central and State Government Employees	291
82	सैन्टिगो में इन्टरनेशनल प्लांड पेरन्टहुड फेडरेशन कान्फ्रेन्स (अन्तर्राष्ट्रीय योजना बद्ध पितृत्व संघ का सम्मेलन)	International Planned Parenthood Federation Conference, Santiago	291

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तां. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
83	विदेशी ऋण	Foreign Loans	291-292
84	भारत सहायता सार्थ संघ	Aid India Consortium ...	292-293
85	'पी' फार्म	'P Form ...	293
		Organic Manure	
87	मंहगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेदन	D. A. Commission's Report ...	293-294
88	लड़कियों की विवाह की आयु	Marriageable Age of Girls ...	294
89	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के निदेशकों से जुर्मानों की वसूली	Realisation of Penalties from Directors of M/s Bird & Co.	294-295
90	अकालग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की कमी	Drinking Water Shortage in Families Affected Areas... ..	295
अता प्र. संख्या U. S. Q. Nos.			
257	पेंशन	Pensions	295-296
258	राजधानी को साफ रखने सम्बन्धी योजना	Keep the Capital clean Schemes	296
259	केन्द्र द्वारा बड़ी परियोजनाओं का लिया जाना अथवा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना	Taking over or financing of Major Projects by Centre	296
260	शल्य चिकित्सा के लिये कानून	Legislation for Surgical Operation	297
261	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations	297-298
262	फिल्म उद्योग के लोगों के पास काला धन और उनके द्वारा आय कर अपवंचन	Unaccounted Money and Income tax Evasion by Film People	298-299
263	पेट्रोल पम्प	Petrol Pumps	299
264	गंधक के निर्माण हेतु पायराइट का आयात	Import of Pyrites for Manufacture of Sulphur	299-300
265	राज्यों को दिये गये ऋण	Loans given to States ..	300
266	राज्यों को दिये गये अनुदान	Grants given to States	300
267	गोआ, दमन और दीव के हरिजन	Harijans of Goa, Diu and Daman	300-301
268	विदेशी गैर-सरकारी पूंजी	Foreign Private Capital ..	301
269	कमला बालान-बांध	Kamla Balan Embankment ..	301-302
270	महाराष्ट्र में बाढ नियन्त्रण योजनायें	Flood Control Schemes in Maharashtsa	302
271	चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर में उद्योग	Industries in Manipur in fourth Plan	302-303
272	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर	C. H. S. Doctors	303
273	झारसुगुडा में आय-कर कार्यालय	Income tax Office at Jharsugda	303-304
274	गोआ का विकास	Development of Goa	304
275	दिल्ली में हरिजन	Herijans in Delhi	304
276	आय कर विभाग द्वारा करों की वापसी	Refund of Taxes by the Income-Tax Department	305
277	विदेशों में अध्ययन के लिये प्रधान मंत्री के पुत्रों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Prime Minister's Sons for Studies Abroad	305-306

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

278	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रियायती दामों पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Essential Commodities at Concessional Rates to Central Government Employees	306
279	मोबिल तेल का आयात	Import of Mobil Oil	306–307
280	इन्द्रपुरी कालोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water Supply for Indar Puri, New Delhi	307
281	बिहार सरकार द्वारा ऋणों की अदायगी	Repayment of loans by Bihar Government	307–308
282	अखिल भारतीय सिंचाई आयोग	All India Irrigation Commission	308
283	निषिद्ध सोना	Contrband Gold	302
284	दुर्गापुर में छटा बिजलीघर	Sixth Power Unit in Durgapur	309
285	खम्बात में तट से दूर तेल की खोज	Off Shore Oil Exploration in Cambat	309–310
286	फरक्का बांध योजना	Farakka Barrage Scheme ...	310
287	राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D. A. to State Government Employees	311
288	नर्मदा घाटी परियोजना	Narmada Valley Proiect ..	311–312
289	वर्ष भर में बच्चे पैदा न करना	No Baby Year	312
290	आयकर अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement on Promotion of Income Tax Officers	312–313
291	केन्द्र और राज्यों के बीच के वित्तीय सम्बन्ध	Financial Relations between Central and States	313–314
292	गर्भपात कानून को उदार बनाना	Liberalisation of Abortion Law	314
293	ट्राम्बे स्थित नाइट्रो फास्फेट प्लाट	Nitro Phosphate Plant at Trombay	314–315
294	सिंदरी उर्वरक	Sindri Fertilisers	315
295	किराया खरीद आवास योजना	Hire purchase Housing Scheme ..	316
296	पेंशन नियमों में संशोधन	Amending of Pension Rules ..	316
297	मैसर्स मैकनजीज लिमिटेड	M/s Mechanizes Ltd.	316
298	सोने का बरामद किया जाना	Recovery of Gold	317
299	दिल्ली से चोरी छिपे मिट्टी के तेल का ले जाया जाना	Enquiry into smuggling of Kerosene Oil from Delhi	317
300	दिल्ली के लिये पेय जल	Drinking Water for Delhi ..	317
301	छोटे आकार के नोट	Currency Notes of Smaller Size	318
303	अमरीका से ऋण	Loans from USA	318–319
304	कोरबा उर्वरक कारखाना	Korba Fertilizer Plant	319
305	दिल्ली में अर्द्ध विकसित बस्तियों में प्लाट	Plots in Semi Developed Colonies in Delhi	319–320
306	विदेशी ऋण	Foreign Loans	320
307	नगरीय नाली व्यवस्था योजना	Urban Drainage Schemes	320–321
308	जापान से सहायता	Aid from Japan ..	321

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

309	रूमानिया से तेल का आयात	Import of Oil from Rumania ..	321
310	विश्व बैंक के अध्यक्ष का भारत का दौरा	Visit by President of World Bank to India	322
311	फरक्का बांध	Farrakka Barrage —	323
312	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाना	Investment in Public Sector in Fourth Plan .. — ..	323
313	योजना आयोग का पुनर्गठन	Re-organisation of Planning Commission	323–324
314	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार	International Monetary Reform	324-325
315	एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank...	325
316	अफीम की खेती	Opium Cultivation — ..	325–326
317	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold —	326
318	बेघर लोगों के लिए मकान	Accommodation for Homeless ..	327
319	वर्ष 1967 के लिये प्रवर्तन कार्यक्रम	Operational Programme for 1967	327-328
320	सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupton of Government Quartersi.. ..	328
321	पेट्रोल और मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Petrol and Kerosene	328–329
322	बाढ़ के कारण भूमि की हानि	Damage to Lands due to Floods	329
323	इद्दीक्की जल विद्युत परियोजना	Idikki Hydro-Electric Project ..	329-330
324	आवास योजनाओं में लेखा बाह्य धन का लगाया जाना	Investment of Unaccounted Money in Housing Schemes	330
325	कोढ उन्मूलन केन्द्र	Leprosy Eradication Centres ..	330–331
326	प्लाटों का विकास	Development of Plots	331
327	दिल्ली के निकट यमुना नदी के तल से पानी निकालना	Tapping Water from Jamnna Bed near Delhi, ...	331-332
328	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी	Punjab State Electricity Board Employes	332
329	उत्पादन शुल्क संग्रह स्थान (कलक्टरियां)	Excise Collectorates	332-333
330	दिल्ली में भूमि के मूल्य	Land Prices in Delhi	333
331	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	333
332	वस्तु विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत जापान को अयस्क का निर्यात	Export of Ore to Japan under Barter arrangements	334
333	केरल में कन्नानूर के लिए संरक्षित जल संभरण योजना	Protected Water Supply Scheme fcr Cannanoere in Kerala ..	334
335	अट्टापडी आदिम जातीय क्षेत्र (केरल) के आदिम जातीय लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था	Education for Tribal People in Attappadi Tribal Area (Kerala)	335
336	सचिवों तथा संसद सदस्यों के लिये आवास	Accommodation for Secretaries and M Ps	335

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
337	इंडिया आटोमोबाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता	India Automobiles (P) Ltd., (Calcutta)	335–336
338	भारत के रिजर्व बैंक का आय, मजूरी तथा मूल्यों के बारे में संचालन दल	Reserve Bank of India Steering Group on Incomes, Wages and Prices	336
339	केन्द्रीय आवास बोर्ड	Central Housing Board	336–337
340	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme ..	337
342	अपना बाजार, आई. एन. ए. कालोनी नई दिल्ली	Apna Bazar, INA Colony, New Delhi	337–338
343	डा. धर्म तेजा द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of Land by Dr. Dharama Teja	338
344	स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों की स्मृति में खाली रखे गए सरकारी बंगले	Government Bungalows Kept vacant in Memory of Deceased Prime Ministers and other Ministers	338
345	दिल्ली में पीने के पानी की कमी	Shortage of Drinking Water in Delhi	338–339
346	आय-कर के अनिर्णीत मामले	Pending Income Tax Cases ..	339–340
347	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	340
348	शांति सेवा के स्वयंसेवक	Peace Corps Volunteers	340–341
349	उर्वरक उद्योग में विदेशी विनियोजन	Foreign Investment in Fertilizer Indusrtry	341
350	उज्जैन की फर्म द्वारा आय-कर अपवंचन	Income Tax Evasion by Ujjain Firm	341–342
351	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Bharat Berral and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. ..	342
352	गोआ के बैंकों के लिए ऋणों की मंजूरी	Loan Sanctioned to Banks in Goa	342–343
354	परिवार नियोजन के लिये गोलियाँ	Pills for Family Planning.. ..	343
355	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D A to Central Government Employees	344
356	1967-68 के लिये वार्षिक योजना	Annual Plan for 1967-68	344
357	राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना	Mobilisation of Resources by State	344–345
358	नियत राशि से अधिक राशि का राज्यों द्वारा लिया जाना	Overdraft by States	345–346
359	उड़ीसा के लिये सिंचाई ऋण	Irrigation Loan to Orissa ..	346
360	छः वर्षीय योजना	Six Year Plan	346
361	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ	Unauthorised Colonies in Delhi	346–347
362	बैंकों द्वारा खाद्यान्न रखकर ऋण देना	Advances by Banks against Foodgrains	347
363	उपरि भवानी योजना	Upper Bhavani Scheme	347–348
364	देश में बाढ़ नियन्त्रण	Flood Control in the Country ..	348
365	अमरीकी सहायता	US Aid	348–349
366	बेल्जियम से सहायता	Aid from Belgium	349

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
367	छोटी बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि	Small Saving Collections	349-350
368	आपातकालीन जोखिम बीमा प्रमियम	Emergency Risk Insurance Pr mium	350
369	सरकारी उपक्रमों का आय-कर निर्धारण	Income-tax assessment of Public Undertakings	350
370	प्रधान मंत्री का निवास-स्थान	Prime Minister's House	351
371	विदेशी समवायों के आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को भारतीय तेल निगम में नौकरी	Job for surplus Workers of Foreign Companies in I. O. C. ..	351-352
372	कैंसर की औषधियां	Cancer Drugs	352
373	पी. एल. 480 निधि	P. L. 480 Funds	352-353
374	सरकार द्वारा गंडक परियोजना का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Gandak Project	353-354
375	मंत्रियों के लिये बंगले	Bangalows for Ministers ..	354
376	उड़ीसा की चौथी योजना	Orissa's Fourth Plan	354-355
377	जम्मू तथा काश्मीर में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण	Survey undertaken by ONGC in J. & K.	355
378	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सरकारी उपक्रम	Public Undertakings in J. & K.	355-356
379	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा दी गई सहायता	Assistance given by India under Colombo Plan	356
380	आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उगाना	Plantation of Ayurvedic Herbs ...	356
381	घड़ियों का पकड़ा जाना	Recovery of Watches	357
382	छिपा धन	Unaccounted Money	357-358
383	पी. एल. 480 निधि	P. L. 480 Funds	358
384	संसदीय कार्य में लगाये गए व्यक्तियों के लिये विशेष भत्ता	Special Allowance to Persons Employed on Parliamentary Work	358-359
386	नार्थ और साउथ एवेन्यू में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के लिये आवास स्थान	Accommodation for C. G. H. S. Doctors in North and South Avenue	359
385	उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत योजनायें	Irrigation and Power Schemes in Orissa...	359
387	उड़ीसा की चौथी योजना	Fourth Plan of Orissa	360
388	इडि्डकी पन बिजली परियोजना	Idikki Hydro Electric Project ...	360-361
389	औद्योगिक कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	Loan for Housing for Industrial Workers	361
390	परिवार नियोजन के लिये राज्य वार नियतन	State wise Family Planning Allotment	361-362
391	तिब्बा (राजस्थान) के निकट प्राकृतिक गैस	Natural Gas Near Tibba (Raj.)	362

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
392	मेहरपुर निराश्रित गृह के व्यक्ति	Destitutes of Home at Meherpur	362–363
393	पोंग बांध के कारण निकाले गये व्यक्ति	Pong Dam Outsetes	363
394	दिल्ली में मल वहन (सीवेज) व्यवस्था	Sewage System in Delhi ...	364
395	दिल्ली विकास प्राधिकार के प्लाट	D. D. A. Plots	364
396	मैसर्स मैकेन्जीस् एण्ड ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	M/s Mechan zies. & Oriental Timber Trading Corporation Ltd. ...	364–365
397	अखिल भारतीय सिंचाई आयोग	All India Irrigation Commission	365
398	इडिक्की जल विद्युत् परियोजना	Idikki Hydro Electric Project ...	365
399	आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Andhra Pradesh	366
400	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें	Flood Control Scheme in Andhra Pradesh	366–367
401	लहसुन से कुष्ठ रोग की औषधि तैयार करना	Medicine for Leprosy from Garlic	367
402	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in C. H. S. Ayurvedic Dispensaries in Delhi	367–368
403	दिल्ली में एक और आयुर्वेदिक औषधालय की आवश्यकता	Need for another Ayurvedic Dispensary in Delhi	368
404	केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय	C. H. S. Ayurvedic Dispensaries	369
405	'फोलिडोल' का उत्पादन तथा बिक्री	Manufacture and Sale of Folidol	369
406	परिवार नियोजन सम्बन्धी विज्ञापन	Family Planning Advertisements	370
407	समुद्र के नीचे तेल संसाधन	Under Sea Oil Resources... ...	370
409	हरियाणा में सिंचाई की सुविधायें	Irrigation Facilities in Haryana ...	371
410	देहातों में गृह निर्माण कार्यक्रम	Rural Housing Programme	371
411	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory ...	372
412	चेचक का टीका	Small pox Vaccine	372
413	केन्द्रीय सरकार पर ऋण	Central Government Debts	372
414	बकाया आयकर	Income Tax Arrears	373
415	मंत्रालयों के लिये भवनों का निर्माण	Construction of Buildings for Ministries	373–374
416	परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता	Failure of Family Planning Programme	374–375
417	अराजपत्रित कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of Non-Gazetted Staff	375–376
418	पंजाब और हरियाना में बिजली का बंद हो जाना	Power Break down in Punjab and Haryana	376
419	विदेश स्थित बैंकों में खाते	Bank Accounts Abroad ...	376
420	चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े राज्यों का विकास	Development of Backward States in Fourth Plan	376–377
421	बम्बई में चांदी का पकड़ा जाना	Silver Recovered at Bombay	377
422	लूप के प्रयोग से होने वाली खराबियाँ	Disorders of Loop...	377–378

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTION—Contd

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
423	विदेशी ऋण	Foreign Loans ...	378
424	तिब्बिया कालेज, दिल्ली	Tibbia College, Delhi	378-379
425	आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सम्भरण योजनायें	Drinking Water Supply Schemes in Rural Areas of Andhra Pradesh	379
426	अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्	All India Ayurvedic Medical Council	379-380
427	वार्षिक अनुत्पादी व्यय तथा कर अपवंचन	Annual Unproductive Expenditure and Tax Evasion	380
428	कमला बालान बांध	Kamla Balan Embankment ...	380-381
429	उत्तरी बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of North Bihar	381
430	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवायें	Oral Contraceptives	381
431	गर्भपात को वैध बनाना	Legalization of Abortion	382
432	मैसर्स वर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird & Co.	382-383
433	योजना से पृथक सहायता का उपयोग किया जाना	Utilization of Non-Project aid ...	383
434	गैर-सरकारी मुद्रक	Private Printers	384
435	केरल में बड़ी सिंचाई योजनायें	Major Irrigation Scheme in Kerala	384
436	गंगा और घाघरा सिंचाई योजना	Ganga and Ghagra Irrigation Scheme	384-385
437	महाराष्ट्र में बाघ तथा इतियादोह सिंचाई परियोजनायें	Bagh and Itiadoh Irrigation Projects in Maharashtra... ...	385
438	महाराष्ट्र में पेंच पन बिजली तथा सिंचाई योजना	Pench Hydro Electric and Irrigation Scheme in Maharashtra	385
439	नागपुर में सुपर तापीय बिजली घर	Supper Thermal Power Station at Nagpur	386
440	उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा	Drought in U. P. and Bihar ...	386-387
441	अनुर्वरीकरण (स्टेरीलाइजेशन)	Sterlization	387
442	उड़ीसा में अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships to Scheduled Castes and Schednled Tribes Students in Orissa	387-383
443	उड़ीसा में अनुसन्धान योजनायें	Research Schemes in Orissa ...	388
444	बम्बई के एक करोड़पति व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही	Proceedings against Multimillionaire of Bombay	389
445	नागार्जुन सागर परियोजना के लिए सहायता	Assistance for Nagarjunasagar Project	389
446	सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने	Public Sector Oil Refineries	390
447	आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत मारे गये छापे	Raids Conducted under Income Tax Act	390-391
448	मेडिकल कालेजों में स्थान	Seats in Medical Colleges	391
449	जाली मुद्रा का प्रचलन	Circulation of Pake Currency ...	392

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
450	देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण	Control of over population in the country	392-393
451	राजस्थान में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Medical Education and Training in Rajasthan	393
452	जयपुर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of Accountant General Office at Jaipur...	393
453	राजस्थान से प्राप्त राजस्व	Revenue Received from Rajasthan	394
454	राजस्थान को दी जाने वाली सहायता में कमी	Shortfall in Assistance to Rajasthan	394
455	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of List of Scheduled Castes and Sheduled Tribes ...	394
456	अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट	Report of Committee on Essential Drugs	395
457	जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई पूंजी	Investment made by LIC	395
458	ऋण देने में कटोती करने की रिजर्व बैंक की नीति	Reserve Bank's Policy of Credit Squeeze	395-396
459	विद्युत बोर्डों की समाप्ति	Scrapping of Power Boards ...	396
460	दिल्ली के आसपास अनधिकृत बस्तियां बनने से रोकने के लिये अन्तर्राज्यीय समिति	Inter State Committee to check unauthorised growth around Delhi	396-397
461	बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled watches in Bombay	397
462	कलकत्ता के आयकर अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण कागजात बरामद किया जाना	Recovery of Important Papers by I. T authorities Calcutta ...	397
463	ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां	Rural Electric co-operatives ...	397-398
464	हैदराबाद में सोने की छड़ों का पकड़ा जाना	Seizure of Gold Bars in Hyderabad	398
465	गंगा और यमुना नदियों से जल	Water from Ganga and Yamuna River	398-399
466	गंगा नदी पर बांध	Dams on River Ganga	399
467	रामगंगा परियोजना	Ramganga Project	399
468	पश्चिम बंगाल को राज सहायता	Subsidy to West Bengal	399-400
469	पश्चिम दिल्ली में अस्पताल	Hospitals in West Delhi	400
470	उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये वृहत योजना	Master Plan for Irrigation in U.P.	400
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	401-407
	अखनूर के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा गश्ती दस्ते पर गोलीबारी	Firing by Pakistani Force on Indian border patrol near Akhnoor	401

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Bajpayee ...	401
श्री स्वर्णसिंह	Shri Sawaran Singh	401-407
सभा का कार्य	Business of the House	407
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table... ...	407-410
पश्चिमी ऐशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Situation in West Asia	410-422
श्री मु. क. चागला	Shri M-C. Chagla...	410-422
सामान्य आय व्ययक 1967-68	General Budget, 1967-68	422-450
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai...	422-450
वित्त (संख्या 2) विधेयक पुरस्थापित	Finance (No. 2) Bill. 1967 Introduced	450

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 मई, 1967/4 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Thursday, May 25, 1967/Jyaistha 4, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Madhu Limaye : I have a point of order.

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री कुंटे ने अभी कल के मतदान के बारे में सूचना दी है। यदि श्री मधु लिमये का प्रश्न उसी से सम्बन्धित है तो वह उसे उसी समय उठा सकते हैं। उन्होंने मुझे नियम संख्या 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है और वह उसे प्रश्नों के समय के पश्चात् उठा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : He has given it under Rule 377. My point is that there was a motion for adjournment of the House yesterday and the House in pursuance thereto adjourned yesterday. This Government cannot stay after that and it cannot even reply to questions.

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो, यह इस समय नहीं उठाया जा सकता।

श्री सेझियान : प्रश्न सभा के औचित्य का है। स्थगन प्रस्ताव सभा के सामने हैं और उसे निबटाना है। तब तक कोई और कार्य नहीं लिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना

+ *61	**श्री अ० क० गोपालन :**	**श्री यशपाल सिंह :**
	डा० रानेन सेन :	**श्री ईश्वर रेड्डी :**
	श्री धीरेश्वर कालिता :	**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
	श्री इन्द्रजीत गुप्त :	**श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री एस० आर० दमानी :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री हल्दर :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम चरन :
श्री के० एम० अब्रहम :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री सूपकर :
श्री नि० रा० लास्कर :
श्री स्वैल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० क़िस्कू :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि खाद्य, मूल्य, संसाधन तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना पड़ेगा।

(ख) यदि हाँ, तो पुनर्विलोकन कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) योजना का प्रारूप कब तक अन्तिम रूप में तैयार हो जायेगा और संसद के समक्ष पेश कर दिया जायेगा ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा के प्रकाशित होने के बाद, आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। पर्यवेक्षण का कार्य यथाशीघ्र पूरा हो जायेगा।

श्री अ० कु० गोपालन : क्या यह सच है कि जो परियोजनाएं चौथी योजना में शामिल करनी हैं उसकी विश्व बैंक तथा भारत सहायता सार्थ संघ छान बीन कर रहे हैं। यदि हाँ तो क्या भारत सरकार उनकी मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार करती है ?

श्री अशोक मेहता : योजना के अन्तिम मध्यस्थ तो संसद सदस्य हैं। जहां तक विश्व बैंक तथा भारत सहायता सार्थ संघ का सम्बन्ध है वे इस दृष्टिकोण से योजना को देखते हैं कि वे कहां तक सहायता दे सकते हैं।

श्री हनुमन्तय्या : मूल प्रश्न यह है कि क्या उन्हें हमारी योजना पर विचार करने का हक है ?

श्री अ० कु० गोपालन : योजना की एक प्रारूप तो संसद को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है ? क्या योजना का कोई और प्रारूप पेश किया जायेगा और यदि हां तो उसमें क्या मूल परिवर्तन होंगे और उसके क्या कारण हैं ?

श्री अशोक मेहता : इसी वर्ष हमारे पास 1967-68 की वार्षिक योजना होगी ?

श्री अ० कु० गोपालन : क्या यह योजना का नया प्रारूप होगा ?

श्री कृष्णमूर्ति : फिर इसे पंचवर्षीय योजना नहीं कहना चाहिये ।

श्री अशोक मेहता : पंचवर्षीय योजनाओं को वार्षिक योजनाओं में बाँट दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर संसद की विभिन्न समितियों में चर्चा की गई। जो राज्यों में सरकारें बनी हैं हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और जब पर्यवेक्षण समाप्त हो जायेगा तो इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। वास्तविक पर्यवेक्षण तो तब होगा जब हमें सारे बजट का पता चल जाये। हम आशा करते हैं कि इस दस्तावेज को अन्तिम रूप दें और सभा के सामने प्रस्तुत करें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या हम यह समझें कि गत दो वर्षों से केवल वार्षिक योजना ही बनाई जा रही हैं और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया है ? क्या इसका यह अर्थ है कि अगले तीन वर्ष भी केवल वार्षिक योजनायें होंगी ?

श्री अशोक मेहता : पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा हमारे सामने है। राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में 17 में से 16 राज्य इससे सहमत हैं। दुर्भाग्य से योजना के संसाधनों में भारी अन्तर पड़ गया है। उदाहरण के लिए जब अक्टूबर 1966 में इस वर्ष के संसाधनों का पर्यवेक्षण किया गया तो यह तय पाया था कि वार्षिक योजना के लिए राज्य 408 करोड़ रुपये दे पायेंगे। जब इसी प्रकार का पर्यवेक्षण अप्रैल 1967 में किया गया, यह इतना कम हो गया है कि 283 करोड़ रु० रह गया। उसके बाद हाल ही में पुनः एक पर्यवेक्षण किया गया था तो यह घट कर 225 करोड़ रह गया। हम इस पर राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। मंहगाई भत्ता बढ़ने के कारण राज्यों के संसाधनों में योजना की अवधि में 500 करोड़ रु० की कमी हुई है। कुछ और रियायत तथा सहायता देने से इसमें और 140 करोड़ रु० की कमी दी गई है। अतः कुल कमी 640 करोड़ रु० की हुई है तथा हमें राज्यों से बात करनी है कि योजना का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए अथवा उनके पास इसके बारे में कोई अन्य सुझाव है ।

श्री रंगा : अब तो केवल दिवालयापन की घोषणा बाकी रह गई है ।

डॉ० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व यह पता था कि योजना आयोग अथवा भारत सरकार राज्यों को चौथी पंचवर्षीय योजना में से कुछ नहीं दे रही है तथा राज्य सरकार अपने भाग को प्राप्त करने की इच्छुक थी। जब योजना आयोग अथवा भारत सरकार विश्व बैंक अथवा भारत सहायता सार्थ संघ से बात कर रही थी तो क्या चौथी योजना में राज्य सरकारों के भाग के बारे में भी चर्चा की और यदि हाँ तो वह क्या थी ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक विश्व बैंक अथवा भारत सहायता सार्थ संघ अथवा रूस अथवा कोई पूर्वी योरुप के देश का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उठता ही नहीं कि हम राज्यों की योजना के लिए धन कैसे देते हैं ?

श्री हेम बरुआ : कुछ समय पूर्व विश्व बैंक के प्रधान ने हमारे देश का दौरा किया और मन्त्रियों से बातचीत की। इस संदर्भ में क्या विश्व बैंक ने किसी भारत-पाकिस्तान साँझे परियोजनाओं का सुझाव दिया है ? यदि ऐसा सुझाव दिया है तो भारत सरकार की

क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन्होंने योजना के कार्यान्वित करने को वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक विश्व बैंक के प्रधान का मेरे से बातचीत का सम्बन्ध है, उसमें पाकिस्तान का कोई उल्लेख नहीं आया ।

Shri K. N. Tiwary : You recently had a conference with the state Chief Ministers. In that meeting did you talk to them about the financial position in view of exemption in land revenue, water tax revenue and increase in D. A. and if so what was their reaction to it ?

Shri Asoka Mehta : Yes Sir, the Deputy Prime Minister and I had talks with them on all these matters but they wanted some time to think over and the same will be decided while framing the budget. The talks are still going on. The joint teams are of the Planning Commission and of different Ministries are visiting various states and conducting talks with them.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि योजना को अन्तिम रूप देने में कुछ कारणों से देर हो गई । मैं जानना चाहता हूँ कि योजना के लिए विदेशी सहायता के लिए जो अन्दाजा लगाया गया था अथवा वचन मिल गया था उसमें क्या परिवर्तन हो गया है ? कौन से परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण इसमें देर हो गई है ?

श्री अशोक मेहता : सदस्य महोदय को पता है विदेशी सहायता के लिए हम बहुत से देशों से बात कर रहे हैं तथा रूस और कुछ पूर्वी योरुप के देशों ने सहायता का वचन भी दिया है तथा योजना के पहले और दूसरे वर्षों में सार्थ संघ से कुछ सहायता प्राप्त हुई है । योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दे देने पर ही यह पता चलेगा कि विदेशी सहायता की मात्रा क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेशी सहायता के वचनों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक गैर-परियोजना सहायता का सम्बन्ध है वह तो हमारी आशा के अनुसार आ रही है । जहां तक परियोजनाओं के लिए सहायता का सम्बन्ध है वह हमारी आशा के अनुसार नहीं प्राप्त हो रही ।

श्री दी० चं० शर्मा : योजना मंत्री के कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि चौथी योजना के लिए संसाधन कम होते जा रहे हैं । तथा आवश्यकता बढ़ती जा रही हैं । क्या इस कमी का प्रभाव सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर पड़ेगा अथवा दूसरों पर ताकि इनका अन्तर कम हो जावे ?

श्री अशोक मेहता : योजना के दो भाग हैं । एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग ओर दूसरा निजी क्षेत्र में विनियोग । जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है बचत कम हो गई है । सार्वजनिक क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिये, यह तो राज्य सरकारों द्वारा निजी बचत के जुटाने पर निर्भर करता है । राज्यों सरकारों के 640 करोड़ रु० तथा केन्द्रीय सरकार में 400 से 500 करोड़ रु० की कमी हुई है । यह सारा मामला कि विनियोग सरकारी निजी क्षेत्र में हो, इन सरकारों पर निर्भर करता है ।

Shri Yashpal Singh : Is there any aspect of the plan where there is no uncertainty ? How will a plan work whose members have not yet been appointed ?

Shri Asoka Mehta : The annual plan is presented to Parliament every year. I can assure that so far as the agricultural programmes and the plan are concerned there is no hindrance from the side of Planning Commission or the Government.

Shri A. B. Vajpayee : Is it true that the World Bank is putting pressure on the Government that unless we curtain our defence expenditure it will be difficult for them to give full economic aid ?

Shri Asoka Mehta : When the President of the World Bank talked to me he did not even mention about the defence.

Shri Madhu Limaye : On a perusal of the previous three plans the hon. Minister would have discovered that all suggestions mentioned therein about the prices were of ordinary nature and meaningless. I want to know that while framing the Plan/some definite and concrete scheme would be forthcoming about balancing the prices of industrial goods, agricultural commodities ?

Shri Asoka Mehta : Regarding the prices of foodgrains and other agricultural crops and other cash crops, the hon. Member knows that the Government announces their prices on the basis of prices fixed by the Agricultural Prices Commission and after full deliberation over it. The prices of industrial goods also are fixed keeping in view that their prices also may not go up beyond expectation but we have not yet been able to devise a method so that the whole integrated price structure may remain fixed and stable.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the Planning Commission devises policy about it or the hon. Minister thinks it to be an impossible task ?

Shri Asoka Mehta : Whatever is possible in this regard has been given in our draft. To go beyond that is impossible.

श्री रा० बरुआ : देश में बढ़ते दामों को देखते हुए क्या हम यह समझें कि सरकार के लिए कोई मजबूत योजना देश के सामने रखना असंभव है और इसी के कारण सरकार की आशा के अनुसार विदेशी ऋण भी नहीं मिल रहा ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य का कहना ठीक है क्योंकि मूल्य गत तीन वर्षों में 41·5% बढ़ गये हैं तथा अर्थ व्यवस्था में मंदा आ गया है। इसमें सुधार होने के लिए कृषि में सुधार की आवश्यकता है। गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय लगभग वहीं है जहां 1964-65 में थी बल्कि उससे भी कुछ कम है। यह सब कृषि पर निर्भर करता है और हम इस दिशा में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व देखभाल कर चल रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : आर्थिक सर्वेक्षण में एक बड़ी भयानक तस्वीर खींची है कि आगे विकास तथा गैर-विकास की मांग पूरी करना असंभव हो जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार योजना के लक्ष्यों को काफी कम करने का विचार रखती है ? दूसरे सरकार उन परियोजनाओं के बारे में क्या करना चाहती है जिन पर कार्य हो रहा है परन्तु जो पूरे नहीं हुए ?

श्री अशोक मेहता : प्रश्न के पहले भाग के बारे में सरकार की नीति यह है कि विकास तथा गैर-विकास व्यय वही होंगे जो संसाधन देश में उपलब्ध हैं। दूसरे गैर-विकास व्यय को जहां तक हो सके नियन्त्रण में रखा जायेगा। जिस दस्तावेज का सदस्य महोदय ने उल्लेख किया उसमें लिखा है कि यह कार्य तब हो सकेगा जब हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करेंगे तथा प्रयास यह होगा कि विकास के कार्य को बढ़ायें।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, परियोजना तैयार हैं तथा उन पर कार्य हो रहा है और यह ध्यान रखा जाता है कि जब तक आर्थिक स्थिति में गति न आये हमें नयी परियोजना आरंभ नहीं करनी है ।

श्री श्रध्यांकर सुपकार : चौथी योजना की जो रूपरेखा गत वर्ष इस सदन के समक्ष पेश की गई थी उसमें कितना अन्तर होगा ? क्या यह विदेशों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा अथवा देश की आन्तरिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी ?

श्री अशोक मेहता : योजना कई बातों पर आधारित होती है । पहले तो यही देखना होता है कि कर तथा राजस्व एकत्र करने और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के खर्च करने का आधार क्या है । पहले यही देखना होता है कि हमारे पास क्या उपलब्ध है । दूसरे यह कि अतिरिक्त साधनों जैसे कर, ऋण या अल्प बचत को अधिक प्रभावी बनाकर कितना एकत्र किया जा सकता है । तीसरी बात यह कि विदेशों से कितना ऋण प्राप्त हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को 20 मिनट का समय दिया जा चुका है । इस गति से तो केवल एक प्रश्न ही एक दिन में समाप्त हुआ करेगा । यदि सदस्य इसी प्रश्न पर आगे विचार करना चाहते हैं, तो इसी पर चर्चा चलने दीजिये ।

श्री उमानाथ : अखबारों में मंत्री महोदय के वक्तव्य के रूप में यह खबर छपी थी कि योजना के परिव्यय को 6000 करोड़ रुपये कम किया जायेगा । किस आधार पर यह हिसाब लगाया गया है ? मंत्री महोदय ने यह सूचना समाचार पत्रों को कैसे दे दी, जबकि सारा मामला संसद के समक्ष है ?

श्री अशोक मेहता : मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि योजना का खर्च 6000 करोड़ रुपये कम किया जायेगा । दूसरे किसी मामले के संसद के समक्ष होने के समय यदि कोई संवाददाता उस मामले के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछता है तो मंत्री होने के नाते क्या मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर देना चाहिये ।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : क्या यह सही है कि विश्व बैंक के प्रधान से बातचीत के दौरान मंत्री महोदय को यह सुझाव दिया था कि यदि भारत उतनी ही विदेशी सहायता लेना चाहता है, जितनी के लिये प्रारम्भ में वचन दिया गया था, तो भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता करना चाहिये ?

श्री अशोक मेहता : मैं उत्तर में बता चुका हूँ कि विश्व बैंक के प्रधान ने मेरे साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान का उल्लेख कभी नहीं किया । जहां तक विदेशों से आर्थिक सहायता मिलने का सम्बन्ध है, इस मामले पर कई देशों से बातचीत करनी है और आर्थिक सहायता का अनुमोदन वहाँ की संसदों को करना है । इस बारे में वर्ष दर वर्ष बात करनी होगी और इसका दायित्व वित्त मंत्री पर है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : योजना को पूरा करने हेतु अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिये क्या सरकार सैनिक प्रतिष्ठानों तथा देश की अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की, विशेषकर कानपुर में, छंटनी करने जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : प्रतिरक्षा क्या योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पटौदिया : प्रशासन सुधार आयोग ने सर्वांगीण विचार के बाद यह बताया है कि योजना आयोग का वर्तमान ढांचा योजना तैयार करने के लिये उपयुक्त नहीं है और सिफारिश की है योजना आयोग में आधारभूत परिवर्तन किये जाने चाहियें। क्या मंत्री महोदय का योजना आयोग को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का विचार है और क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का संशोधित रूप आयोग के पुनर्गठन के बाद हा तैयार किया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : प्रशासन सुधार आयोग की सिफारशों पर अभी सरकार विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में उसके निर्णय की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी ?

श्री बूटा सिंह : केवल इस सभा में ही योजना के सम्बन्ध में चिंता प्रकट की जाती है, और यहाँ से बाहर लोग योजना पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि पिछली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही शोचनीय रहा है। योजना के प्रारूप को परिशोधित करते समय अमीरी गरीबी में विद्यमान विषमता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : न केवल इस सभा में बल्कि सभी 17 राज्यों और 10 संघ राज्य-क्षेत्रों के विधान-मंडलों में योजना के सम्बन्ध समान रुचि ली जाती है। मैं यह बात नहीं मानता कि गत 15 वर्षों में योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं, उन सबका उल्लेख योजना-प्रारूप में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में पूरी योजना पर तो चर्चा नही की जा सकती। परन्तु यदि श्री बनर्जी अभी भी कुछ पूछने के इच्छुक हैं, तो वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताया था कि कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में वृद्धि होने से भी योजना का खर्च प्रभावित हुआ है। क्या उन्हें यह भी पता है कि कर्मचारियों को अब फिर मंहगाई भत्ता बढ़ी हुई दरों पर मिलना चाहिये, क्योंकि मंहगाई 10 बिन्दु से अधिक बढ़ चुकी है ? क्या योजना मंत्री मंहगाई भत्ता बढ़ाने के मार्ग में रोड़ा बन कर खड़े हैं ?

श्री अशोक मेहता : किसी भी सरकार के कार्यक्रम में मेरे द्वारा रोड़ा अटकाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो केवल सलाह ही दे सकता हूँ।

+ **सरकारी उपक्रम**

* 62. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री सी० सी० देसाई :**
श्री श्रीकान्तन नायर : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
डा० कर्णी सिंह : **श्री वी० नरसिंह राव :**
श्रीमती निरलेप कौर : **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किये गये विशेष अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कम—

उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रमों में पूंजी लगाने से प्रति वर्ष 588 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क): जी, हां। आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रतिष्ठान ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का संकेत किया है कि दूसरी और तीसरी आयोजना की दस वर्ष की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में कुल 588 करोड़ रुपये तक की कल्पित (नोशनल) हानि हुई है। यह निष्कर्ष, एक और सरकारी क्षेत्र के 32 प्रतिष्ठानों में लगायी गयी पूंजी और उनके उत्पादन के अनुपात और दूसरी और गैर–सरकारी क्षेत्र के 432 प्रतिष्ठानों में लगायी गयी पूंजी और उनके उत्पादन के अनुपात की पारस्परिक तुलना पर आधारित है।

(ख) सरकार इस प्रतिष्ठान की रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करती क्योंकि सरकार की राय में रिपोर्ट में जिन प्रतिष्ठानों की तुलना की गयी है उनकी असमानता का ध्यान रखने का प्रयास किये बिना ही असमान तत्वों की तुलना की गयी है।

वीरेन्द्र कुमार शाह : मंत्री महोदय ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि गत 10 वर्षों में इतनी बड़ी कल्पित (नोशनल) हानि हुई है। परन्तु सरकार का फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है। इसका क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार ने कल्पित हानि को स्वीकार नहीं किया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तक लगाई गई पूँजी से अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है क्या सरकारी उपक्रमों में अब और अधिक पूँजी नहीं लगाई जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चूँकि सरकार ने उक्त अध्ययन के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया है इसलिये इससे हमारी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री रंगा : सरकारी उपक्रम समिति ने सरकारी उपक्रमों की अर्थव्यवस्था सुधारने और उनमें होने वाले अपव्यय को कम करने के बारे में कई सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार का ऐसे प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं बिना देखे–भाले यह नहीं बता सकता कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है। मैं इस मामले के बारे में पूछताछ करूँगा। सामान्य रूप से सभी सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रतिष्ठान ने जिस हानि का उल्लेख किया है, उसकी कल्पना कर ली गई है। साधारणतः हम यह मानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में केवल 1½ प्रतिशत के हिसाब से प्रतिलाभ हो रहा है, परन्तु फिर भी सरकारी उपक्रमों में अधिकाधिक पूँजी लगाई गई हैं। सरकारी क्षेत्र में पूँजी लगाने के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों को जो रिआयतें दी जा रही हैं, भविष्य के लिये क्या उनकी कोई सीमा निश्चित कर दी गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न का सम्बन्ध मूल प्रश्न से बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी उपक्रमों में पूँजी लगाने वाली कम्पनियों को कोई भी रिआयत नहीं दी जाती है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : तकनीकी जानकारी, मशीनों की सप्लाई, मशीनरी की लागत तथा बाजार आदि के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है। क्या सरकार अवसर पड़ने पर कुछ तदर्थ रिआयतें देने के लिये तैयार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकारी परियोजनाओं में सहयोग करने वाली विदेशी फर्मों को किसी प्रकार की रिआयत देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो माल यहाँ तैयार नहीं होता है, उसको विदेशी कम्पनियों से प्राप्त कर लिया जाता है। संभवतः इससे कुछ लागत बढ़ी है। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जिस वस्तु का यहां उत्पादन होता है उसका ही उपयोग किया जाये ।

यह सच है कि ये परियोजनाएं पूँजी-प्रधान (केपीटल ओरिएन्टिड) परियोजनाएं हैं जिनमें अत्यधिक पूँजी लगानी पड़ती है और इनसे तत्काल लाभ की आशा नहीं की जा सकती। परन्तु अब हम यह प्रयास कर रहे है कि ये परियोजनाएं अधिकाधिक लाभदायक बन जायें ।

श्री बाबूराव पटेल : सरकारी उपक्रमों में प्रति वर्ष हानि क्यों होती जा रही है, जब कि गैर सरकारी उपक्रमों से सरकार सभी करों और अन्य राशियों के भुगतान की अपेक्षा करती है ?

श्री मोरारजी देसाई : सभी सरकारी उपक्रमों में हानि नहीं हो रही है। कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें लाभ हुआ है।

मैं हैरान हूँ कि श्री चं० चु० देसाई जैसे समझदार व्यक्ति ने आंकड़ों तथा तथ्यों को देखने का भी कष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 11 प्रतिशत को घाटा हुआ है परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में 40 परियोजनाओं में से 31 ने लाभ कमाया है तो क्या यह 99% घाटा है ? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कारखाने चालू हैं न कि वे जो अभी बन ही रहे हैं। अच्छा होता कि वे पहले सूचना प्राप्त कर लेते और बाद में अपना वक्तव्य देते ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : महोदय, इस पर कुछ और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपके नेताओं ने पहले ही अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं। आज 40 मिनट में केवल हम दो ही प्रश्न निबटा चुके हैं। श्री मनुभाई पटेल ने आपत्ति उठाई है कि प्रश्न काल में केवल दो प्रश्न ही लिए हैं। यह उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 63 लिया जाये ।

बम्बई में पकड़ा गया सोना तथा घड़ियां

+
*** 63. श्री नरेन्द्रकुमार सांघी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय जांच विभाग ने बम्बई में 40 लाख रुपये के मूल्य की घड़ियां तथा सोना पकड़ा था;

(ख) यदि हां; तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 2 अप्रैल, 1967 को बम्बई नगर पुलिस के भ्रष्टाचार-विरोधी तथा मद्य-निषेध गुप्तचर्या ब्यूरो के अधिकारियों ने बम्बई से कुछ दूर समुद्र में एक मशीनी जहाज को रोका तथा 16,000 तोले सोना, जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 15,74,000 रुपये है, लगभग 7,14,000 रुपये मूल्य की 5,100 घड़ियां, लगभग 81,000 रुपये मूल्य के मछली पकड़ने के 4 जाल तथा लगभग 4, 940 रुपये मूल्य का अन्य माल बरामद किया। लगभग 20,000 रुपये मूल्य का मशीनी जहाज भी पकड़ लिया गया।

(ग) पकड़े गये माल तथा जहाज को सीमा–शुल्क कानून के अधीन कार्यवाही के लिए बम्बई केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच–पड़ताल की जा रही है।

श्री न० कु० सांघी : गत कुछ महिनों में बहुत से मामलों की सूचना मिली है। क्या आयात की हुई चीजों का देश में तस्कर व्यापार बढ़ गया है अथवा तस्करी करने वालों को पकड़ने में विभाग अधिक चौकस हो गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विभाग भी मजबूत हो गया है तथा कार्यपालिका की ओर से वैधानिक और आर्थिक दृष्टि से कुछ कदम उठाये हैं। यदि आपकी उनमें रुचि हो तो मैं पूरा ब्यौरा भी दे सकता हूं।

श्री न० कु० सांघी : देश में तस्कर व्यापार को बढ़ता हुआ देखते हुए क्या सरकार के लिये इन चीजों को पटड़ियों पर बैठ कर बेचने की अनुमति देना ठीक है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जान बूझ कर ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इन वस्तुओं के बारे में अन्तिम निर्णय क्या होता है क्योंकि अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्हें कस्टम प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है ? क्या उन्हें स्थाई तौर पर रिजर्व बैंक में जमा करा दिया जाता है अथवा नीलाम कर दिया जाता है अथवा उनका फिर तस्कर व्यापार होता है और वह दूसरी मंडी में चले जाते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरी सूचना के अनुसार उन्हें कुछ दुकानों में बेचा जाता है और उन पर इस प्रकार का निशान लगा दिया जाता है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उनका नीलाम नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि तस्करी के कार्य में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय गुट काम कर रहे हैं और जब वे पकड़े जाते हैं तो गोली चला देते हैं और बच जाते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कभी कभी वे ऐसा भी करते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether some more gold and watches were also seized which were being brought illegally after the gold already referred to was seized ? If so, will Government tell whether there is increase or decrease in this regard ?

Shri K. C. Pant : In 1964 we seized 1900 Kilograms of gold and 9398 watches, in 1965 we seized 2300 Kilograms of gold and 83,012 watches, in 1966 we seized 2200 Kilograms of gold and 59066 watches.

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that the things which are seized in smuggling such as transisters, are sold at concessional rates 20./· or 10./· at Customs House and they are not sold in the market so that people may be benefitted by it ?

Shri K. C. Pant : I will have to enquire about it.

श्री कृष्ण मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि तस्कर व्यापार करने वाले यह लोग कौन हैं। क्या किसी को पकड़ा गया है तथा क्या जांच पड़ताल की ?

श्री अध्यक्ष महोदय : वह तस्कर व्यापार करने वालों के नाम जानना चाहते हैं तथा यह कि कोई पकड़ा भी गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमें उनके नामों का पता नहीं और कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया।

Shri George Fernandes : Whether the minister is aware that the gold which is seized on a big scale in Bombay, they take in smuggling from Japan, Mahini, Chawpathy and from the ground in front of Secretariato such items as gold, cloth, Nylon and other things ? In order to stop smuggling whether help of Indian shipping or navy has been sought ?

Shri K. C. Pant : We arrange launches with the help of navy.

Shri S. M. Joshi : Cloth worth Rs. 1.50 crores was seized in Bombay, some of which smuggled andlicensed. It is also stated that the licensed goods are not sold in the black market. Cannot we have a scheme so that we may make a profit of Rs. 1 to Rs. 2 crores by way of Income tax ?

Shri K. C. Pant : These were all smuggled goods and seized at the sea.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सदस्य महोदय ने किसी और मामले का जिक्र किया। वहां कुछ तो तस्करी का माल था और कुछ लाईसेंस से प्राप्त किया था। इसलिए वह भी जब्त कर लिया।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय के सामने तस्करी का माल बेचा जाता है। क्या श्री यशवन्तराव चव्हाण द्वारा बनाया गया सचिवालय इस काम के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो वह अपने शब्द वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

+

*** 64. श्री मुहम्मद इस्माइल :**	**श्री बी० के० मोदक :**
श्री उमानाथ :	**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री गणेश घोष :	**श्री रामसिंह आयरवाल :**
श्री भगवान दास :	**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कर्मचारियों ने सरकार को एक मांग पत्र पेश किया है और अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई; और

(घ) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (घ) तक : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम कर्मचारी संघ ने फराक्का (पश्चिमी बंगाल), चन्दन तथा गन्डोक (बिहार) और आगरा (उत्तर प्रदेश) में व्यवस्थापन को 11 मार्च 1967, 31 जनवरी 1967, 26 दिसम्बर 1966 तथा 24 मार्च 1967 ो क्रमश: मांगों का एक अधिपत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ हड़ताल का नोटिस भी लगा दिया और यह धमकी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी न की गई तो वे हड़ताल कर देंगे। उनकी मुख्य मांगें निम्न थीं :-

(i) वेतन मानों का पुनरावर्तन करना।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि योजना को एक दम लागू कर देना चाहिए क्या व्यवस्थापन को चाहिए कि योजना को स्थापना के आरंभ में ही लागू कर दे।

(iii) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को चाहिए कि कर्मचारियों के लिए मकानों की सुविधा दें अथवा वे उसके बदले वेतन का 15 प्रतिशत मकान किराये के रूप में दें।

(iv) काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के लिए अधिक मंहगाई भत्ता।

(v) सारी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता दिया जावे।

(vi) कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जावे।

(vii) कारखाने के बन्द होने के समय सारे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी दी जाये अथवा उन्हें दूसरे कारखाने में स्थानान्तर किया जाये।

(viii) जिन्होंने हाजरी के रजिस्टर पर तथा रोजाना के हिसाब से 240 दिन तक कार्य किया हैं उन्हें काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी बना दिया जाये।

(ix) व्यवस्थापन को चाहिये कि कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता दिया जावे।

(x) कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति छुट्टी में रियायती दर पर यात्रा की सुविधा दी जावे।

आलोच्य मांगों को जिन राज्यों में कारखाने हैं उन राज्य सरकारों के समझौता कराने वाले अधिकारियों के पास भेजा गया तथा गडंक, फराखा और चन्दन कारखानों के बारे में 11 अप्रैल को और आगरा के कारखाने के बारे में 14 अप्रैल 1967 को समझौता हो गया। जब कि गंडक तथा फराखा कारखानों के कर्मचारियों ने पहली शिफ्ट में हड़ताल की और 12 अप्रैल को 2.1/2 घंटे की हड़ताल की. चन्दन कारखाने में कोई हड़ताल नहीं हुई परन्तु उस कारखाने के कर्मचारियों ने समझौता होने के पहले 18-3-67 से 31-3-67 तक "आहिस्ता कार्य करो" की चाल को अपनाया। आगरे के कारखाने के कर्मचारी 12 तथा 13 को और 14 अप्रैल 1967 के दोपहर से पहले हड़ताल पर थे।

(ग) निगम को लगभग 2 लाख रु० की हानि हुई तथा उसके अतिरिक्त कार्य की प्रगति में कमी हुई।

(घ) निगम ने समझौता कराने वाले अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते के अनुसार काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों तथा हाजिरी के लिये रखे गये रजिस्टर के

अनुसार कार्य करने वालों को अन्तरिम सहायता दी है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कर्मचारियों की मांगों पर व्यवस्थापन को विचार करना है न कि सरकार को।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

\+

* 65. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष :**
श्री बी० के० मोदक : **श्री भगवान दास :**
श्री उमानाथ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार श्रमिक विनियमों तथा इसके उचित मजूरी खंड को कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन उपबन्धों की क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को इस निगम द्वारा श्रम विधियों के क्रियान्वित न किये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो ये शिकायतें क्या हैं तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ख) तक : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : केन्द्रीय जन कार्य विभाग द्वारा दिए गए कार्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, द्वारा केन्द्रीय जनकार्य विभाग के श्रमविनियमों का पालन किया जाता है। अन्य कार्यों के सम्बन्ध में उन राज्यों के श्रम विनियमों का पालन किया जाता है जहां निगम द्वारा कार्य किये जाते हैं।

(ग) निगम को 1964 में एक शिकायत मिली थी।

(घ) यह शिकायत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश फैक्टरी नियमों के उपबन्धों के पालन न किए जाने के बारे में थी। निगम ने अब उन उपबन्धों का पालन कर लिया है।

Shri Mohammed Ismail : May I know whether it is a fact that an agreement was made between the Management and the Union providing for overtime allowance, weekly holidays, bonus and leave etc. ; if so whether it was fully implemented ?

डा० कु० ल० राव : केवल दैनिक मजूरी के सम्बन्ध में समझौता किया गया था। अन्य मांगों को पंच निर्णय के लिये सौंप दिया गया है।

श्री रंगा : इस निगम ने प्रारम्भ से घाटा दिखाया है और वहां पर प्रशासनिक योग्यता की कमी रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार कब तक इस निगम को तोड़ देगी ?

डा० कु० ल० राव : मुझे इस बात का दुख है कि माननीय सदस्य को इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है। यह उन निगमों में से एक निगम है जो लाभ पर चल रहे हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के हिस्से हैं और नदी घाटी परियोजनाओं का काम तथा संबन्धित काम करता है। यह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।

डा० रानेन सेन : विवरण से यह मालूम होता है कि हड़ताल के बाद मजदूरों की कुछ मांगें आंशिक रूप से मान ली गई थीं। फरक्खा जैसी बड़ी परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। यदि सरकार, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच विवाद की किसी स्थिति का पता चलता है तो उसे उस समय तक चुप नहीं रहना चाहिये जबकि राज्य को वह स्थिति महंगी पड़े जैसे पश्चिमी बंगाल में हुआ। सरकार का ऐसे मामलों में चुप रहने का क्या कारण है ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में नोटिस दिये जाने के बाद बातचीत हुई थी। फरक्खा के मामले में 11 अप्रैल को समझौता हुआ था। परन्तु समझौते का उल्लंघन करते हुए उन्होंने 12 अप्रैल को ही हड़ताल शुरु कर दी।

श्री उमानाथ : निगम इस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया था कि श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से बचाया जा सके। ज्ञापन में यह जिक्र है कि एक गरीब संथाली औरत और कुछ अन्य श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है। क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है ?

डा० कु० ल० राव : सरकार को किसी से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जो समझौता हुआ था वह बड़ा ही उदार था। गंटक तथा फरक्खा जैसे मुख्य स्थानों पर मजूरी बढ़ा दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा मकान खाली किया जाना

*67. **श्री सी० सी० देसाई** :
श्री यशपाल सिंह :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री बाबू राव पटेल :
श्री राम सेवक यादव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व मंत्रियो तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों की संख्या दलवार कितनी कितनी है, जो हाल के सामान्य निर्वाचनों में हार गये हैं किन्तु जिन्होंने अभी तक अपने मकानों या फ्लैटों को खाली नहीं किया है; और

(ख) उन मकानों को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक्बाल सिंह) (क) भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों को 30 अप्रैल, 1967 तक रिहायशीवास को अपने

पास बनाये रखने की अनुमति थी । सभी मंत्रियों ने इस अवधि में अपने मकान खाली कर दिये थे, कन्तु भूतपूर्व 37 संसद सदस्यों ने अभी तक अपने मकान अथवा फ्लैट खाली नहीं किये हैं । उनका दलों के अनुसार विभाजन का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 370/67**]

(ख) इन सदस्यों को खाली करने के लिए नोटिस दे दिये गये हैं तथा पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन आफ अनआथराईज्ड आक्यूपेंट्स) एक्ट, 1958 के अंतर्गत कार्यवाई की जा रही है ।

श्री चं० चु० देसाई : इन मकानों को खाली कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि नये सदस्यों को उचित आवास मिल सके जिसके कि वे अधिकारी हैं और जो इस समय रणजीत और अन्य होटलों में रह कर कठिनाई उठा रहे हैं ? विशेष रूप से मेरा संकेत भूतपूर्व मंत्रियों की ओर है, और मैं उप-प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वह अपने दल में उचित अनुशासन लागू करें क्यों कांग्रेस दल के ही अधिकांश लोगों ने मकान खाली नहीं किये हैं ।

श्री इकबाल सिंह : जैसा कि मैंने विवरण में बताया, ये मकान किसी भी भूतपूर्व मंत्री के कब्जे में नहीं हैं । जहां तक भूतपूर्व संसद, सदस्यों का सम्बन्ध है, हमने कार्यवाही की है और प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही उसका उल्लेख कर दिया गया है ।

श्री चं० चु० देसाई : उन भूतपूर्व मंत्रियों तथा सदस्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी तक मकान खाली नहीं किये हैं ? इन मकानों को यथा शीघ्र खाली कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही हैं ? क्या उनसे अधिक किराया लिया जा रहा है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया है किसी भी भूतपूर्व मंत्री के पास कोई बंगला या फ्लैट नहीं है ।

श्री चं० चु० देसाई : 12, अम्बर रोड के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री स० मो० बनर्जी : बड़ौदा के महाराजा अभी भी उसमें हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : लगभग 37 भूतपूर्व सदस्यों ने मकान खाली नहीं किये हैं और वे सदस्य सभी दलों के हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यदि माननीय सदस्य इसी तरह चिल्लाते रहे तो वे उत्तर बिल्कुल भी नहीं सुन पायेंगे । चार मिनट बाद प्रश्न काल समाप्त हो जायेगा । कुछ तो अनुशासन होना ही चाहिये । बहुत सारे माननीय सदस्यों के चिल्लाने की बजाय यदि एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर आ सकता है । माननीय सदस्य कृपया एक-एक करके बोलें ।

Shri Vagya Dutt Sharma : Two and half months have passed and we have got no accommodation so far. We are sitting on the footpaths and they are giving evasive replies. If they do not vacate, they should be pushed out.

Mr. Speaker : If there is the question of pushing them out, what can I do in it.

Shri Yagya Dutt Sharma : You should get us the reply to the question.

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । माननीय मंत्री प्रश्न का साफ-साफ उत्तर दें । यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो कोई अन्य सदस्य दूसरा प्रश्न कर

सकते हैं । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया बैठ जायें ताकि सभी सदस्य उत्तर सुन सकें । यदि माननीय सदस्य एक दूसरे की बात को काटते जायेंगे तो किसी को भी उत्तर नहीं मिल सकेगा ।

श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है 37 भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अभी तक मकान खाली नहीं किये हैं । पिछले आम चुनावों में पराजित सभी मंत्रियों ने 30 अप्रैल, 1967 से पहले अपने-अपने मकान खाली कर दिये हैं । इन 37 मकानों में से, 3 मकान अभी किसी भी संसद संदस्य को आवंटित नहीं किये गये हैं । अतः संख्या केवल 34 ही रह जाती है । इन 34 फ्लैटों में से, जो कि अभी भी भूतपूर्व संसद सदस्यों के कब्जे में हैं, नोटिस जारी·········

अध्यक्ष महोदय : 12, अक्बर रोड के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जगन्नाथ राव : में सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : महाराजा बड़ौदा के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री हेम बरुआ : क्या में आपकी जानकारी के लिये एक चीज रख सकता हूं ? और आपको उस पर कार्यवाही करनी चाहिये । यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि कुछ संसद सदस्यों द्वारा अपने मकान आगे किराये पर चढ़ाने के बारे में मैंने इस सभा में मामला उठाया था । उससे अब मामला पेचीदा हो गया है । हुआ यह है कि कुछ संसद सदस्यों ने अपने मकानों को अन्य लोगों को आगे किराये पर दे दिया है और वे लोग अब मकान खाली करने से इन्कार करते हैं । इससे समस्या बड़ी जटिल बन गयी है । इसकी जानकारी मैंने आपके प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी को भी दी थी । उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया । मेरे बार-बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया ।

मेरा निवेदन है कि आप अब कड़ी कार्यवाही करें । जो सदस्य अपना मकान किराया पर चढ़ाते रहे हैं उनको दण्ड दिया जाना चाहिये और जो लोग उन मकानों में ठहरे हुए हैं उनको धक्का मार कर तुरन्त बाहर निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त कर सकता हूँ ? वे अधिक अच्छी तरह अनुशासन लागू कर सकते हैं । जिस दल के मी सदस्य ने अपना मकान किराये पर दिया है उस दल को उस सदस्य को ऐसा करने से रोकना चाहिये । यदि राजनीतिक दलों के नेता इस बारे में उचित कार्यवाही करें तो अध्यक्ष के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ।

श्री हेम बरुआ : वे कुछ नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी राजनीतिक दलों के नेता उन सभी सदस्यों से अनुरोध करें कि जिन्होंने अपने मकान आगे किराये पर चढ़ा रखे हैं वे उन्हें खाली करा लें, तो स्वभावतः यह काम सरल हो जायेगा । अन्यथा दूसरा तरीका केवल कानूनी कार्यवाही करने का है ।

श्री हेम बरुआ : आपको कार्यवाही करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को करने की आवश्यकता नहीं है । कानून मौजूद है ।

श्री हेम बरुआ : प्रत्येक अधिकार प्राप्त व्यक्ति इस मामले में पीछे हट रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कानूनी कार्यवाही में कुछ महीने लग जाते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो कि पिछले एक वर्ष से भी अधिक से 1000 रु० का दण्डिक किराया दे रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : बड़ौदा के महाराज 1000 रु० किराया दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कानूनी साधनों से मकान खाली कराने में एक वर्ष या इससे अधिक समय लग सकता है। परन्तु यदि राजनीतिक दलों के नेता कार्यवाही करें, तो मैं समझता हूँ, यह अधिक प्रभावशाली होगा। वे अपने सदस्यों को मना सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो वे कार्यवाही करके मकान खाली करा सकते हैं।

Shri Yagya Dutt Sharma : Such Members belong to only one Party and that is Congress.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

Shri Yagya Dutt Sharma : Sir, you should realise our difficulties. We must atleast get the residential accomodation, or we will not allow the business to proceed. We must get a catagorical answer as to what should we do and what steps will be taken by the Government. After all we cannot remain on the road.

Shri Manubhai J. Patel : Sir. I submitted my application on the 29th April regarding this and afterwards gave 10-12 more reminders from Sagar and Delhi.

अध्यक्ष महोदय : क्या अब हम ध्यान आकर्षण सूचना को लेंगे——श्री वाजपेयी।

Shri Manubhai J. Patel : I had met all the officers concerned and have spoken to Dr. Karan Subhag Singh several times, but nothing has been done and we are sitting outside.

अध्यक्ष महोदय : आप तो संकट पैदा करने जा रहे हैं। मैं आपको यह चेतावनी देता हूं। मैं पहली बार एक सदस्य को चेतावनी दे रहा हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति

*68. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मायावन :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 640 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उसका परिणाम क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) और (ख): राज्य सरकारों तथा अन्य अधिकारी–वर्ग से परामर्श करते हुये सरकार इन सिफारिशों की अभी जांच कर रही है। यह भी सुझाव है कि हरिजन कल्याण के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के दृष्टिकोण को भी निश्चत प्रकार से जाना जाय।

देश में चेचक के मामले

***69. श्री मनीभाई जे० पटेल :**	**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० चं० सामन्त :	**श्री जे० एच० पटेल :**
श्री ए० के० किस्कु :	**श्री मधु लिमये :**
श्री एस० एन० माइती :	**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :	**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :	**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :	**श्री शारदा नन्द :**
श्री मोहन स्वरूप :	**श्री ज० ब० सिंह :**
श्री राम सिंह आयरवाल :	**श्री प्रातन दास :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :	**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :	**श्री राम सेवक यादव :**
श्री उमानाथ :	**श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री बलराज मधोक :	**श्री हीरजी भाई :**
श्री गणेश घोष :	**श्री खगपति प्रधानी :**
श्री भगवान दास :	**श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :	**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में भारत में चेचक का प्रकोप अधिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां इस रोग का प्रकोप रहा है और ऐसे प्रत्येक राज्य में कितने लोगों की इस रोग से मृत्यु हुई बताई गई; और

(ग) देश में से इस रोग के उन्मूलन और इसके प्रसार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) चेचक का प्रकोप कम ज्यादा सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में हुआ है। इससे होने वाली मौतों की राज्यवार संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 371/67]**

(ग) टीका और दुबारा टीके के गहन अभियान चलाये गये हैं। कुछ राज्यों में इस काम के लिए अतिरिक्त फील्ड स्टाफ नियुक्त किया गया है। गत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निरन्तर प्रचार कार्य होने से चेचक के बहुत से मामलों का पता लगाने में सहायता मिली है। जिन लोगों को चेचक का टीका नहीं लग सका था, उन्हें टीका लगाने के प्रयास भी तीव्र कर दिये गये हैं।

उर्वरक उद्योग में अमरीकी पूंजी का विनियोजन

*70 डा० रानेन सेन :	श्री शारदा नन्द :
श्री रामपुरे :	श्री रंजीत सिंह :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :	श्री भारत सिंह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :	श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री अ० क० गोपालन :	श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री पी० राममूर्ती :	श्री धूलेश्वर मीना :
श्री एन० के० सांघी :	श्री हीरजी भाई :
श्री हुकम चन्द कछवाय :	श्री खगपत प्रधानी :
श्री राम सिंह आयरवाल :	श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :	

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री उर्वरक उद्योग में अमरीकी पूंजी के विनियोजन के बारे में 30, मार्च 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजक उन रियायतों से भी अधिक रियायतों की माँग कर रहे हैं सरकार उन्हें देने के लिए तैयार है, इसमें पेशकशें प्राप्त करने के लिये निश्चित अन्तिम तारीख को बढ़ाना भी शामिल है; और

(ख) भारत में उर्वरक उद्योग में अमरीकी पूंजी का विनियोजन करने वालों को और रियायतें देने के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : किसी भी विदेशी विनियोजक ने और रियायतें नहीं मांगी हैं। जैसा कि 31 मार्च, 1967 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में बताया गया था कि उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए 31 मार्च 1967 तक अनिर्णीत सारे प्रस्तावों को दिसम्बर, 1965 की नीति के अन्तर्गत निपटाया जायेगा बशर्ते कि 31 दिसम्बर, 1967 तक सम्बन्धित पार्टियों के साथ बातचीत पूरी होकर औद्योगिक लाइसेन्स जारी हो जाय और परियोजनाओं से देशीय उत्पादन की वृद्धि में समयानुसार अंशदान मिलने की आशा हो। इस अवधि में प्राप्त होने वाले किसी नये प्रस्ताव पर भी इसी पद्धति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी बशर्ते वे इन शर्तों को पूरा करें।

कदना बाँध

*** 71. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कदना बाँध के सम्बन्ध में गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बाँध के चालू होने तक गुजरात सरकार को इस परियोजना का सम्पूर्ण व्यय उठाना होगा; और

(ग) यदि हां ? तो गुजरात सरकार को क्या लाभ होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आरम्भ में सारा व्यय सम्भवतः गुजरात राज्य वहन करेगा। राजस्थान सरकार किस तरीके से अपने मांग का भुगतान करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : कदना बांध के संबंध में गुजरात और राजस्थान की सरकारों के बीच हुये समझौते की शर्तें निम्नलिखित हैं :

कदना बांध को पूर्ण जलाशय स्तर 419 तक बनाया जाए। इस परियोजना की सारी लागत गुजरात देगा और इसके लाभ भी उन्हें ही मिलेंगे। बाद में जब माही क्षेत्र नर्मदा के अन्तर्गत आ जाएगा और कदना का कुछ पानी राजस्थान में प्रयोग के लिये मिलने लगेगा तो गुजरात को राजस्थान द्वारा पानी के प्रयोग के बदले बांध की उचित लागत देनी होगी। परियोजना की लागत कौन राज्य कितनी वहन करेगा इसका ठीक पता तभी लगेगा जब पानी राजस्थान को देने के लिये उपलब्ध हो जाएगा।

(ग) गुजरात का कदना बांध से निम्नलिखित लाभ होंगे :–

(1) माही दक्षिण तट नहर प्रणाली में 4,60,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई पक्की हो जाएगी।

(2) माही दक्षिण तट नगर के अन्तर्गत 1,53,200 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी।

(3) कदना बांध से निकलने वाली वाम तट नगर से 40,905 एकड़ की सिंचाई होगी।

आगामी कुछ वर्षों के लिये कदना के सारे लाभ गुजरात को ही प्राप्त होंगे। इसलिये इस समय यह प्रश्न नहीं उठता कि राजस्थान सरकार किस ढंग से गुजरात सरकार को मुआवजा देगी।

रुद्रसागर स्थित तेल क्षेत्रों में आग

*** 72. श्री हेम बरुआ :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री बाबू राव पटेल : **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकम चंद कछवाय : **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में रुद्रसागर स्थित तेल-क्षेत्रों में आग के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उप-पत्तियां क्या हैं और क्या उसने इस प्रकार का कोई दोष लगाया कि सरकारी उपेक्षा के परिणामस्वरूप यह भीषण घटना हुई; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट ने सिबसागर परियोजना के उत्पादन अनुभाग में आग-बचाव से सम्बन्धित संगठन और अनुभव में कमी तथा उक्त परियोजना के कुछ अफसरों की असफलता पर टिप्पणी की है।

(ग) समिति की विभिन्न सिफारिशों पर आयोग ने कार्यवाही शुरू कर दी है तथा सम्बन्धित अफसरों के विरुद्ध मामलों को निपटाने के लिए एक उच्च अधिकारी को भी जांच-अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

*73. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा. राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या वित्त मन्त्री 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी पर किए गये जुर्माने की राशि को 1 करोड़ 20 लाख रुपया कम करने से सम्बन्धित आदेश की जांच। पुनरीक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मामले के महत्व को देखते हुए सरकार ने मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से सम्बन्धित मामलों के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिये गये अपीलीय आदेशों पर महा-न्यायवादी की राय मांगी है। महा-न्यायवादी से सरकार का जो राय प्राप्त होगी, उसको दृष्टि में रखते हुए इस बात का निर्णय किया जायगा कि बोर्ड के आदेशों की समीक्षा की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों से प्राप्त ऋणों की अदायगी कार्यक्रम में फेर बदल

*74. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री डी० एन० पटोदिया :

श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री एस० के० तापरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थ समूह (एक इण्डिया कंसार्शियम) से भारत के वैदेशिक ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम में फेरबदल करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सार्थ समूह की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता सार्थसंघ से अनुरोध किया गया है कि वह ऋण सम्बन्धी सहायता को गैर प्रायोजना सहायता का एक रूप समझे ताकि वास्तव में अधिक सहायता प्राप्त हो सके, सहायता की रकम जल्दी से निकाली जा सके और हम अपने साधनों का अधिक आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

(ख) और (ग): संघ के सदस्य देश इस मामले पर अभी तक विचार कर रहे हैं।

Exemption to Cultivators from Land Revenue

***75. Shri Prakash Vir Shastr**
Shri Surendranath Dwivedy
Shri Hem Barua
Shri Bibhuti Mishra
Shri K. N. Tiwari
Shri Yashpal Singh
Shri S. C. Samanta
Shri B. S. Sharma
Shri Onkar Lal Berwa
Shri Shrada Nand
Shri Madhu Limaye
Shri S. M. Banerjee
Shri Ram Manohar Lohia
Shri George Fernandes
Srhi S. M. Joshi
Shri Rane
Shri Baburao Patel
Shri Chintamani Panigrahi
Shri Sidheshwar Prasad
Shri R. Barua
Shri D. N. Patodia
Shri Mohamed Imam
Shri S. K. Tapariah
Shri Y. G. Gowd
Shri C. C. Desai
Shri K. N. Pandey
Shri D. S. Patil

Will the Minister of **Planning** be pleased to state ;

(a) whether some State exempted the cultivators from land revenue;

(b) the quantum of financial loss which the State would suffer as a result thereof: and

(c) the extent to which the Central Government concure with the above decision of the State Governments ?

The Minister of Planting Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Ashoka Mehta) : (a) and (b) A Statement is laid on the table of the Lok Sabha. [Placed in Library, See. No. LT.-372/67]

(c) Since land revenue is a State subject, the question of the Central Government's concurence with the dicisions of State Governments in the matter does not arise.

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाये

*76. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री सी० जनार्दनन : **श्री मधु लिमये :**
श्री अदिचन : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाये में स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सब कारखाने हाल ही में बन्द कर दिये गये हैं क्योंकि पेरियार का पानी अधिक लोना हो जाने के कारण उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पेरियार नदी से कारखाने को पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी देने के लिए क्या पग उठाये गये हैं; और

(ग) कारखानों के बन्द होने से उत्पादन में कितनी हानि हुई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) अप्रैल के शुरू से 18 अप्रैल 1967 तक संयंत्र बन्द कर दिये या धीमी गति से चलते रहे।

(ख) तत्कालिक रुकावट पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार ने हाइड्रेल जलाशय (रिजर्वायर) से अस्थाई रूप में पानी देने के आदेश दिए हैं। स्थायी हल तभी हो सकता है यदि प्रस्तावित एडामलायर योजना कार्यान्वित हो जाय।

(ग) 6.00 लाख रुपयें।

ट्राम्बे में उर्वरक कारखाना

*77. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाना कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) संयंत्र की वर्तमान क्षमता में सुधार करने के लिए भारतीय उर्वरक निगम लि० विभिन्न प्रस्तावों की जांच कर रही है और इसके हल के लिए संयन्त्र के प्रदायकों के सम्पर्क में है।

सीमा शुल्क विभाग का पुनर्गठन

*78. **श्री एन० के० सांघी :** **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामपुरे : **श्री वाई० ए० प्रसाद :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सीमा शुल्क विभाग का पुनर्गठन करने के लिए मार्च, 1966 में नियुक्त किये गयें अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या-क्या मुख्य सिफारशें की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सीमा शुल्क अध्ययन दल ने माल की निकासी के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग 4 अप्रैल, 1967 को पेश कर दिया था। पता चला है कि दल बाकी रिपोर्ट भी जल्दी ही पेश करने की आशा रखता है।

(ख) प्रथम भाग सम्बन्धी सूचना का एक विवरण पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 373/67]**

कानपुर में तलाशियां

9/ ***78. श्री वी० कृष्ण मूर्ती :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री राम सिंह ग्रायरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने कानपुर के एक प्रमुख इस्पात उद्योगपति के निवास स्थान तथा मिल की तलाशी अप्रैल, 1967, में ली थी और लगभग 16 लाख रुपये के नोट बरामद किए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। एक फर्म की जगहों तथा उसी फर्म के भागीदारों के निवास स्थानों की तलाशियां ली गयी थी, और 23,60,100 रुपये की नकदी रकम पकड़ी गयी।

(ख) ये तलाशियां, 22-4-1967 से लेकर 28-4-67 तक ली गयी थीं। लोहे की तीन तिजोरियों में पायी गयी नकदी के अलावा बहियां तथा कागज-पत्र भी पकड़े गये हैं।

बरौनी-कानपुर पाइप लाइन

***80. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी-कानपुर पाइप लाइन चालू हो गई है;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) इस पाइप-लाइन के परिणाम-स्वरूप बरौनी से कानपुर तक पैट्रोलियम के ले जाये जाने में कितनी बचत होने का अनुमान है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां :

(ख) लगभग 1500 लाख रुपये ।

(ग) भारतीय तेल निगम की बचत प्रेषित तेल-उत्पादों की मात्रा पर निर्भर होगी जो समय-समय पर बदलती रहेगी । यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकतम कार्यान्वितित पर प्रति वर्ष 101 लाख रुपये की बचत होगी ।

D. A. to Central and State Government Employees

***81. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether a comparative study of the structure of dearness allowance in respect of Central and State Government employees has been made ;

(b) If so, the inference drawn therefrom ; and

(c) whether any effort has been made to bring about uniformity between the two ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : It is understood that the Dearness Allowance Commission has made a comperative study of the structure of dearness allowance in respect of Central and State employees and the result will be available when the Commission's report is received.

(b) Does not arise at present.

(c) Certain State Governments have brought the Dearness Allowance payable to their employees on par with Central rates.

सैन्टिगो में इन्टरनेशनल प्लांड पेरन्टहुड फेडरेशन कान्फ्रेंस (अन्तर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध पितृत्व संघ का सम्मेलन)

***82. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री मधु लिमये :**
श्री जे० एच० पटेल : श्री एस० एम० जोशी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्टिगो में अप्रैल, 1967 में हुए इन्टरनेशनल प्लांड पैरन्टहुड फेडरेशन कान्फ्रेंस (अन्तर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध पितृत्व संघ के सम्मेलन) में भारत की ओर से किसने भाग लिया था;

(ख) इस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने से क्या लाभ हुआ ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू मूर्ति) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया,** देखिये संख्या एल० टी० 374/67]

विदेशी ऋण

***83. श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री एस० आर० दमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन से पहले विदेशी ऋणों पर प्रति वर्ष कितना व्याज देना पड़ता था;

(ख) अवमूल्यन के बाद विदेशी ऋणों पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना पड़ता है; और

(ग) इस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा, विदेशी ऋणों पर 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में चुकायी जाने वाली ब्याज की रकमें क्रमश: 1376 लाख डालर, 1523 लाख डालर और 1660 लाख डालर हैं। रुपये के अवमूल्यन के कारण, अदा किये जाने वाले ब्याज की रकमों में, 1966–67 में 34.09 करोड़ रुपये और 1967–68 में 45.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ग) अवमूल्यन के कारण, अदा किये जाने वाले ऋणों के विदेशी मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; उस रकम की पूर्ति निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा और दूसरे साधनों से की जाती है। यद्यपि रुपया-मूल्य की वृद्धि, हमारे बजट-साधनों पर एक प्रभार के रूप में है, पर विदेशों से प्राप्त होने वाली नयी सहायता की रकमों के एक निश्चित स्तर के अनुरूप, रुपयों में मिलने वाली बढ़ी हुई रकमों से हमारे बजट-साधनों में उतनी ही वृद्धि भी हो जाती है।

भारत सहायता सार्थ संघ

***84.**	**श्री सूपकर :**	**श्री अद्विचन :**
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :	**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:**
	श्री उमानाथ :	**श्री मधु लिमये :**
	श्री पी० पी० एस्थोस :	**श्री एस० एम० जोशी :**
	श्री विश्वनाथ मेनन :	**श्री वाई० ए० प्रसाद :**
	श्री के० एम० अब्राहम :	**श्री डी० एन० पटौदिया :**
	श्रीमती सुशीला गोपालन :	**श्री मणिभाई जे० पटेल :**
	श्री के० अनिरुद्धन :	**श्री एस० के० तपूरिया :**
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :	**श्री मुहम्मद इमाम :**
	श्री रामचन्द्र वीरप्पा :	**श्री वाई० जी० गौड :**
	श्री रामपुरे :	**श्री रा० बरुआ :**
	श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :	**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
	श्री सी० जनार्दनन :	**श्री स० चं० सामन्त :**
	श्री वासुदेवन नायर :	**श्री एस० आर० दमानी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 में हुई भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक के पश्चात भारत को उस सार्थसंघ से सब प्रकार की कितनी सहायता उपलब्ध हुई है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कितनी सहायता उपलब्ध होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता सार्थ संघ की जो बैठक अप्रैल 1967 में हुई थी उसमें संघ के सदस्यों द्वारा 1967–68 के लिए, अन्न सम्बन्धी सहायता सहित, लगभग 130 करोड़ डालर (975 करोड़ रुपये) की गैर

प्रायोजना सहायता का लक्ष्य उपयुक्त समझा गया। इस बात का फैसला किया जाना अभी बाकी है कि अलग-अलग देश कितनी सहायता देंगे। अभी तक 1967–68 के लिए दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(ख) सहायता सार्थ संघ द्वारा अप्रैल 1967 में किए गये फैसले के अनुसार मिलने वाली सहायता पहले स्थापित क्षमता के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था को कायम रखने के लिए दी जायगी, चौथी पंचवर्षीय आयोजना की पूँजी–निवेश की योजनाओं से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है।

'पी' फार्म

***85. श्री अ० क० गोपालन :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पी० राममूर्ती : **श्री डी० एन० पटौदिया :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री एस० के० तपुरिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री वाइ० जी० गौड :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'पी' फार्म की समाप्ति का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महंगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेदन

***87. श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री कमला मिश्र मधुकर : **श्री शारदा नन्द :**
डा० रानेन सेन : **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री पी० एम० सईद : **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री मधु लिमये : **श्री मनी भाई जे० पटेल :**
श्री स० मो बनर्जी : **श्री मोहन स्वरूप :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री रा० बरुआ :**
श्री बी० एस० शर्मा : **श्री सूरकर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री डी० एन० पटौदिया :**
श्री राम सिंह आयरवाल : **श्री सी० सी० देसाई :**

क्या **वित्त** मंत्री 23 मार्च, 1967 **के तारांकित** प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के सम्बन्ध में **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच महंगाई भत्ता आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने कौनसी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही का गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

लड़कियों को विवाह की आयु

***88. श्री बाबूराव पटेल :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री ओंकार सिंह :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री सूपकर :**
श्री राम सिंह आयरवाल : **श्री काशी नाथ पाण्डे**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ा कर 21 साल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रथम प्रसव के 23 वर्ष की आयु के बाद होने में शारीरिक खतरों के सम्बन्ध में देश के स्त्री रोग विशेषज्ञों के विचार प्राप्त किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम तथा विचार क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने योजनावस्था में लड़कियों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने में नैतिक पतन के खतरों पर भी विचार किया है; और

(ङ) क्या लड़कियों के विवाह की आयु में परिवर्तन करने वाला कानून देश के सभी समुदायों के लोगों पर लागू होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) : भारत सरकार लड़कियों और लड़कों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में कानून बनाने से पहले सभी सम्बन्धित परामर्श ले लिए जायेंगे और विभिन्न पहलुओं पर विचार कर लिया जायेगा ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के निदेशकों से जुर्मानों की वसूली

***89. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के भूतपूर्व निदेशक सर्वश्री पिलकिंगटन और माइकलमोर से जुर्मानों की वसूल न की गई शेष राशि इस बीच वसूल कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं तो इसे किस प्रकार वसूल करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (1) (ग) के अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के लिये दोनों व्यक्तियों की तरफ बकाया रकम का उल्लेख करते हुए पश्चिम बंगाल के 24 परगने के जिलाधीश को प्रमाणपत्र भेजे जा चुके हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की कमी

*90. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री क० ना० तिवारी :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री मधु लिमये :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सूखा तथा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश ने केन्द्र से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो कैसी और कितनी सहायता मांगी गई है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय पर रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 375/67**]

पेंशन

257. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बी० एस० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1947 के उपरान्त बार-बार बढ़ाई गई पेन्शन की दरें केन्द्रीय सरकार के उन सेवानिवृत कर्मचारियों पर भी लागू हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं तथा अपनी पेन्शनें विदेशी करेंसी में ले रहे हैं; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों की दरों में अन्तिम वृद्धि कब की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में देय दरों पर पेन्शनों में अस्थाई/तदर्थ वृद्धियों का लाभ भारत से बाहर दी जाने वाली पेन्शनों के सम्बन्ध में पेन्शन पाने वालों के निम्नलिखित वर्गों को भी दिया जाता है, यदि वे लाभ चालू आदेशों के अन्तर्गत अन्यथा मिलने योग्य हों :—

(i) 15 अगस्त 1947 से पहले, सेक्रेटरी आव स्टेट की सिविल सेवा संवर्गों के यूरोपीय अफसरों से भिन्न, उन अफसरों को जो 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त होते हैं, के अन्तर्गत आते थे ।

(ii) 15 अगस्त 1947 से पहले, सेक्रेटरी आफ स्टेट की सिविल सेवा-संवर्गों के यूरोपीय अफसरों से भिन्न, उन अफसरों अथवा उनके आश्रितों को जिनको 1 अप्रैल, 1955 से अथवा उसके बाद से असाधारण पेन्शनें मन्जूर की जाती हैं;

(iii) लेखा संहिता, खण्ड–IV के अनुच्छेद 118 में निर्दिष्ट देशों अर्थात श्रीलंका, सिंगापुर तथा मलयेशिया, में से किसी देश में रह रहे पेन्शन पाने वाले यूरोपीय–भिन्न व्यक्ति को;

(iv) नेपाल, ग्यांत्से, तेहरान, बगदाद तथा जेद्दा में भारतीय दूतावासों के जरिये केन्द्रीय सरकार से पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों को ।'

(ख) पिछली वृद्धि 1 अक्तूबर, 1963 से लागू की गयी थी ।

राजधानी को साफ रखने सम्बन्धी योजना

258. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली शहर और नई दिल्ली के साफ रखने की कोई योजना और कूड़े कचरे को शहर से हटाने का कोई आधुनिक तरीका निकाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि जलाने के संयन्त्र और मशीनी खाद संयन्त्र लगा कर कूड़े कचरे के निपटान की पद्धति के आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव नई दिल्ली नगर पालिका के विचाराधीन हैं । कूड़े कचरे के निपटान के लिए आधुनिक संयन्त्र लगाने पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है इसलिए इस विषय पर अन्तिम निर्णय लेने में काफी समय लग जायेगा ।

केन्द्र द्वारा बड़ी परियोजनाओं का लिया जाना अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करना

259. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़ी परियोजनाएँ अपने हाथ में लेने अथवा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करने के बारे में इस बीच में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : कुछ चुनी हुई बृहत् परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत सहायता दी जा रही है । ऐसी कौन-कौन सी और परियोजनाओं को चुना जाए जिनके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाए, इसके सिद्धांतों पर विचार किया जा रहा है ।

शल्य चिकित्सा के लिए कानून

260. श्री बाबू राव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 जनवरी, 1967 को पूना में हुई विशेष ऑपरेशनों सम्बन्धी भारत के कर्ण कन्ठयन्त्रवेत्ताओं के 19 वें सम्मेलन का सभापतित्व करते हुए आँख, नाक तथा गला विशेषज्ञ सुप्रसिद्ध डा० वी० एस० सुब्रह्मण्यम ने जो गम्भीर आरोप लगाये थे, उनको ध्यान में रखते हुये क्या सरकार शल्य चिकित्सा को नियमित करने अथवा उसकी रोक थाम के लिये कानून बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : चिकित्सा व्यवसाय पर राज्य चिकित्सक परिषदों द्वारा निर्धारित आचार संहिता लागू होती है और यदि कोई चिकित्सा कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत राज्य चिकित्सा परिषद् अथवा भारतीय चिकित्सक परिषद् से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सताये हुये रोगी चिकित्सकों के खिलाफ अदालत में भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। रोगियों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम पर्याप्त समझे गये हैं और इस विषय में कोई विशेष कानून बनाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

261. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में क्या कार्यवाही की गई और क्या जुर्माना किया गया :

1. श्री प्रभुदास तोलानी, पेड्डार रोड, बम्बई–26
2. श्री वी० जी० मोटवाने ऑफ मोटवाने लि०, बम्बई–1
3. श्री मगनलाल सोवानी आफ शामजी कालीदास एण्ड कं०, बम्बई–2

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि के गैर-कानूनी सौदे अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली जांच अथवा मुकदमा किस अवस्था में हैं; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन तीन व्यक्तियों के विरुद्ध, मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उप बन्धों के किसी उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह अवश्य है कि प्रथम दो व्यक्तियों का जिन फर्मों से सम्बन्ध है अथवा किसी समय सम्बन्ध था, उन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। विस्तृत सूचना इस प्रकार है :–

(1) प्रभुदास तोलानी : यह व्यक्ति एक समय मैसर्स ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई, में भागीदार था। इस फर्म को दो मौकों पर 1961 तथा 1965 में, दण्डित किया गया था। कुल मिलाकर 55, 000 रुपये का दण्ड लगाया गया था। इस फर्म के विरुद्ध एक अन्य मामले में पूछताछ अभी भी चल रही है।

(2) वी० जी० मोटवाने : यह व्यक्ति मैसर्स मोटवाने (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई का एक निदेशक है। इस फर्म को 1964 के वर्ष में दण्डित किया गया था। लगाया गया कुल दण्ड 31, 500 रुपये था। श्री मगनलाल सोवानी अथवा उससे सम्बन्धित किसी फर्म के विरुद्ध न कोई कार्यवाही की गई है और न कोई दण्ड लगाया गया है।

(ख) जहां तक इन दोनों फर्मों का सम्बन्ध है, लगाये गये दण्डों का सम्बन्ध, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन में ग्रस्त निम्नलिखित रकमों से था :-

(1) मैसर्स ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई	रु० 75,400
(2) मैसर्स मोटवाले (प्रा०) लिमिटेड	रु० 89,060

(ग) केवल एक मामले में मैसर्स ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के विरुद्ध न्याय-निर्णय की कार्यवाही विचाराधीन है।

(घ) जैसा कि कहा गया है, केवल एक मामले में न्याय निर्णय की कार्यवाही विचाराधीन है। देर मुख्यतः, फर्म द्वारा कागजों की जांच में तथा विभाग द्वारा जारी किए गये कुछ निदेशों का उत्तर देने में लिये जाने वाले समय के कारण, तथा विभाग द्वारा अपनी जांच पड़ताल पूरी करने में लगने वाले समय के कारण हो रही है।

फिल्म उद्योग के लोगों के पास काला धन और उनके द्वारा आय कर अपवंचन

262. श्री ओंकार सिंह : श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री बाबू राव पटेल : श्री मीठालाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग के लोगों के घरों पर अगस्त, 1964 से अब तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कितने छापे मारे गये ;

(ख) किन-किन व्यक्तियों के घरों पर छापा मारा गया ;

(ग) प्रति व्यक्ति प्रत्येक छापे में प्रत्येक घर में से बरामद किए गये सोने, मुद्रा तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य क्या था ;

(घ) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से कर तथा जुर्माने के रूप में अब तक कितनी राशि वसूल की गई ;

(ङ) 31 मार्च, 1967 को इन व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति कर की कितनी-कितनी राशि बकाया थी ; और

(च) इन व्यक्तियों से कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए इनके विरुद्ध क्या दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की गई और किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई ?

उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) सात/सभी छापे 24 अगस्त 1964 को मारे गये थे।

(ख), से (ङ) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 376/67**]

(च) श्री राजकपूर के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में आयकर अधिनियम के अधीन वसूली सम्बन्धी सामान्य कार्यवाही के अलावा कोई अन्य दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं की गई। श्री राजकपूर के मामले का विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन के लिये न्यायनिर्णय किया गया और, आयकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही के अलावा, उस पर 3000 रुपये का दण्ड लगाया गया।

पैट्रोल पम्प

263. **श्री याज्ञिक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के अन्त तक देश में प्रत्येक तेल कम्पनी ने, जिनमें इण्डियन ऑइल कारपोरेशन शामिल हैं, कितने-कितने पैट्रोल पम्प लगाये हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इनमें से प्रत्येक कम्पनी के पम्पों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने पैट्रोल पम्पों के बीच न्यूनतम दूरी निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं जिससे ये पम्प शहरों तथा देहातों में विभिन्न स्थानों पर अलाभप्रद न रहे तथा बहुत नजदीक न बन जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

गंधक के निर्माण हेतु पायराइट का आयात

264. **श्री एम० सुन्दर्शनम :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंधक बनाने में काम आने वाले पायराइट को विदेशों से मंगाने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) देश में पायराइट के भंडारों का समुपयोजन करने के लिए

यत्न किये जा रहे हैं । किन्तु गन्धक और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए पाइराइट के वास्तविक रूप में मिलने में कुछ समय लगेगा । यह आवश्यक है कि जब तक देशीय पायराइट उपलब्ध नहीं होता है तब तक अन्तरिम उपाय के तौर पर पायराइट सीमित मात्रा में आयातित किया जाए । पायराइट के आयात के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

राज्यों को दिये गये ऋण

265. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1950–51 से लेकर अब तक राज्यों को कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी है और उसका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों ने अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया है ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) वर्ष 1950–51 से 1965–66 तक की अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । वर्ष 1966–68 के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 377/67]**

राज्यों को दिये गये अनुदान

266. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1950–51 से अब तक राज्यों को अनुदान के रूप में कुल कितनी धन राशि दी है और उसका वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों को सहायतानुदान देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कसौटी अपनाई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) राज्यों को दी जाने वाली सहायतानुदानों को मोटे रूप से तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है सांविधिक अनुदान, योजना अनुदान तथा गैर-योजना अनुदान । सांविधिक अनुदानों का वितरण वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर किए गये निर्णयों के अनुसार किया जाता है । योजना अनुदान की मात्रा राज्य के विकास-कार्यों के लिए निश्चित परिव्यय संसाधन स्थिति तथा केन्द्रीय सहायता के ढांचे को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है । गैर-योजना अनुदानों का निर्णय समय-समय पर विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न हुई आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है ।

गोआ, दमन और दीव के हरिजन

267. **श्री एस० एन० सिद्दध्या** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव के हरिजनों को अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार को पता है कि उनको अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता देने में बिलम्ब के कारण उनको भारत के संविधान में उनके लिये उपबन्धित सभी विशेष सुविधाओं से वंचित रखा गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणुगुह) : (क) और (ख) : नहीं। गोआ, दीव और दमन की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उल्लिखित करने के समूचे प्रश्न की सभी दृष्टिकोणों से जाँच होनी थी। मामला आजकल सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ग) हाँ।

विदेशी गैर-सरकारी पूंजी

268. श्री याज्ञिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजित विदेशी पूंजी सम्बन्धी ऋण की किस्तों, उस पर ब्याज तथा लाभ के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों में जाने दी गई है; और

(ख) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की इस प्रकार निकासी को धीरे-धीरे कम करने के लिये कोई उपाय निकाले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1961-62 से सितम्बर 1966 तक के वर्षों में लाभ, लाभांश, विदेशी ऋणों के ब्याज और मूलधन की वापसी के सम्बन्ध में भेजी गयी रकमों की सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 378/67]**

(ख) सरकार की नीति बराबर यही रही है कि लाभ, लाभांश आदि की रकमों को भेजने की अनुमति दी जाती रहे। इस नीति को बदलने का कोई इरादा नहीं है। विदेशी पूंजी के निवेश की अनुमति देते समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि इस प्रकार के निवेश राष्ट्र के पूर्ण हित में हों। इसलिए भेजी जाने वाली इन रकमों को विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं समझा जाना चाहिए।

कमला बालान-बांध

269. शिव चंद्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में झंझारपुर के निकट कमला-बालान बांध की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी है ;

(ख) 1965 तथा 1966 में बार-बार पड़ने वाली दरारें कितनी लम्बी थी ;

(ग) 1966 की बाढ़ को ध्यान में रखते हुये बांध को और कितना ऊंचा तथा चौड़ा करने का विचार है; और

(घ) पश्चिमी कोसी नहर की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी होगी और उसे बनाने में कितना व्यय का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कमला वालान तटबंध की लम्बाई दक्षिण तट पर 70 किलोमीटर है और वाम तट पर 61 किलोमीटर है। ऊपरी भाग में इसकी चौड़ाई औसतन 10 फुट है और निचले भाग में 65 फुट और ऊंचाई औसतन 11 फुट है।

(ख) वाम तट बांध में 1965 तथा 1966 में तीन दरारें आईं। इन दरारों की कुल लम्बाई 1966 में 1065 फुट थी।

(ग) राज्य सरकार रेलवे पुल के प्रतिस्रोत 5½ मील की लम्बाई में तटबंध को 1966 के उच्च बाढ़ स्तर से 5 फुट ऊपर तक ऊंचा कर रही है। ऊंचा किए गए तटबंध की औसतन चौड़ाई ऊपरि भाग में 10 फुट और निचले भाग में 100 फुट होगी।

(घ) इस स्कीम का पूर्ण अनुसंधान अभी होना है। मुख्य नहर की लम्बाई लगभग 70 मील होगी जिसके तल की चौड़ाई लगभग 100 फुट होगी। वर्तमान अनुसंधान के आधार पर जल मार्गों को छोड़कर सारी नहर प्रणाली की लम्बाई लगभग 800 मील होगी। तल की चौड़ाई 200 फुट और 5 फुट के बीच-बीच होगी। 1960 के प्राक्कलन के अनुसार इसकी अनुमित लागत 1349 लाख रुपये है, जिसमें जल मार्गों की लागत शामिल नहीं है। मोटे रूप से पुनरीक्षण करने पर पता चलता है कि यह प्राक्कलन अब बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो सकता है।

महाराष्ट्र में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

270 श्री दे० शि० पाटिल : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये तथा चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने कितनी राशि का ऋण मांगा है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी राशि मंजूर की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : 1967-68 में बाढ़ नियन्त्रण उपायों तथा ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांगें अभी राज्य सरकार से आनी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1966-67 में बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिए 2.22 लाख रुपये के ऋण के रूप में सहायता मांगी थी, किन्तु इस कार्य के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया क्योंकि 1966-67 की उपलब्ध केन्द्रीय सहायता दूसरे क्षेत्रों के लिए दे दी गई थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर में उद्योग

271. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मनीपुर में कौन-कौन से उद्योग तथा परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं ;

(ख) उद्योगों पर, परियोजनावार, कितना धन लगाया जायगा ;

(ग) क्या उद्योग स्थापित करने तथा परियोजना बनाने के बारे में कोई कार्य आरम्भ किया गया है और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) योजना की राशि में पर्याप्त कटौती के कारण क्या किसी उद्योग अथवा परियोजना पर इसका प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : मनीपुर में एक सूती मिल और सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के अधीन, अस्थायी रूप से चौथी योजना में शामिल कर लिए गए हैं। इसके लिए बड़े व मध्यम दर्जे के उद्योगों के अन्तर्गत 150 लाख रुपये की व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सूती मिल और सीमेंट कारखाने से संबंधित तकनीकी-आर्थिक अध्ययन इस समय चल रहा है ।

(घ) और (ङ) : इस समय चौथी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर

272. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की कोई ऐसी सूची तैयार की गई है जिससे मनीपुर स्थित डाक्टरों की वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सूची को तैयार करने के क्या आधार और कारण थे ;

(ग) क्या कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि जूनियर डाक्टरों, सीनियर डाक्टरों के ऊपर हो गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)और (ख): 9 सितम्बर, 1966 तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त जिनमें मणिपुर में नियुक्त डाक्टर भी सम्मिलित हैं,उन अधिकारियों की सूचियों, जिन्हें इस सेवा के विभिन्न संशोधित ग्रेडों में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया है, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के जिसे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 1966 द्वारा संशोधित किया गया है, नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 7 क के उपबन्धों के अनुसार तैयार कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) : इस सेवा से नाम अलग करने तथा वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में कुछ अधिकारियों से प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं। इन प्रत्यावेदनों पर यथा समय निर्णय किया जायेगा ।

झारसुगुडा में आय-कर कार्यालय

273. श्री डी० एन० देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले झारसुगुडा (उड़ीसा) में आय-कर कार्यालय कर-दाताओं के लाभ के लिये काम कर रहा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यालय को सम्बलपुर (उड़ीसा) ले जाने के क्या कारण हैं ; जिससे आय-कर देने वाले लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) झारसुगुडा के आयकर अधिकारी का क्षेत्राधिकार आरम्भ में दो जिलों, अर्थात् सुन्दरगढ़ तथा सम्बलपुर पर था, और उसका कार्यालय झारसुगुडा में रखा गया था क्योंकि यह स्थान दोनों जिलों के निर्धारितियों के लिए सुविधाजनक था । सुन्दरगढ़ जिले के लिए राउरकेला में एक नया आयकर कार्यालय खोला गया है । इसलिए सम्बलपुर के आयकर कार्यालय को सम्बलपुर ले जाया गया जो जिले का प्रधान कार्यालय है ।

गोआ का विकास

274. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में गोआ के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ;

(ख) क्या गोआ में क्रियान्विति के लिए सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई हैं ; और

(ग) क्या मरमा गोआ क्षेत्र के विकास का कोई कार्यक्रम है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज़ कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 6.11 करोड़ रुपये ।

(ख) दिसम्बर, 1966 में गोआ, दमन ओर दीव के उप-राज्यपाल से जो विचार-विमर्श हुआ, उसमें चौथी योजना का उद्व्यय 40.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था ।

(ग) चौथी योजना में मरमा गोआ पत्तन के विकास के लिए एक ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है और उसकी अनुमानित लागत 26.87 करोड़ रुपये हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप के केन्द्रीय क्षेत्र में इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था शामिल है ।

Harijans in Delhi

275. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the majority of Harijans live in slums and hunts in Delhi;

(b) if so, whether Government have formulated any special scheme for them; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) No survey has been conducted in this respect.

(b) and (c) The Harijans living in slum areas are eligible for allotment of houses built under the Slum Clearance Scheme in the same manner as other slum dwellers. The Harijans whose income does not exceed the prescribed limit are also eligible for allotment of houses built under the Housing Programmes for the economically weaker sections of the community. In both the cases, houses are allotted to them on subsidised ren

Refund of Taxes by the Income-Tax Department

276. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many refunds of taxes have yet to be given by the Income-tax Department;

(b) if so, the number thereof at present;

(c) whether it is a fact that many refunds are lying for more than three years;

(d) the action taken by Government to expedite payment of refunds; and

(e) whether Government propose to take action against the officials concerned responsible for the non-payment of refunds so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) A certain number of refund cases is pending with the Department.

(b) and (c) The required information has been called for from the various Commissioners of Income-tax and will be laid on the Table of the House in due course.

(d) (i) Instructions have been issued from time to time impressing upon the officers the need for expeditious disposal of refund claims.

(ii) Special Refund Weeks are organised to expedite the disposal of the pending refund claims. During these weeks all officers deal exclusively with refund claims.

(e) No case of delay due to wilful negligence of officers has come to notice so far. There is, therefore no proposal at present with Government to take action against any official.

विदेशों में अध्ययन के लिये प्रधान मंत्री के पुत्रों को दी गई विदेशी मुद्रा

277. श्री बाबराव पटेल : क्या वित्त मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के बड़े पुत्र को 3246 पौंड 5 शिलिंग की विदेशी मुद्रा का दिया जाना अत्यावश्यक था और क्या इस प्रकार की शिक्षा की भारत में व्यवस्था नहीं थी ; और

(ख) वह शिक्षुता पाठ्यक्रम वस्तुतः क्या है जो प्रधान मंत्री का छोटा पुत्र इंगलैंड में कर रहा है और क्या इस पाठ्यक्रम की शिक्षा की भारत में व्यवस्था नहीं है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये भेजी जाने वाली राशि से सम्बन्धित सामान्य नीति के अधीन ही विदेशी मुद्रा दी गई है। विनियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि विदेशों से अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थियों को केवल ऐसे विषय ही लेने चाहिये जिसके लिये यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ उपलब्ध सुविधाओं तथा अध्ययन की विदेशों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाई गई है जिसके आधीन विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों और उन परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है जिनसे विदेशों में अध्ययन के लिये खर्च भेजने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(ख) प्रधान मंत्री का सबसे छोटा सुपुत्र ब्रिटेन की एक सुविख्यात कम्पनी के आटोमोबाइल इंजिनियरी के 5 वर्षीय शिक्षुता पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है। साथ ही वह हायर नेशनल

सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिये एक और पाठ्यक्रम में भी पढ़ रहा है। तकनीकी पाठ्क्रमों की एक मान्य प्राप्त सूची है और उसमें लिखित किसी भी शिशुता पाठयक्रम को विदेशों में लिया जा सकता । आटोमोबाइल इंजिनियरी भी उनमें से एक है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रियायती दामों पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

278. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पार्थसारथी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रियायती दामों पर अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। मंहगाई भत्ता आयोग से कहा गया है कि वह अन्य बातों के साथ इस बात पर भी विचार करे और अपने सुझाव दे कि सरकारी कर्मचारियों को अन्य किस रूप में सहायता दी जाए जिससे उनको वास्तविक लाभ प्राप्त हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोबिल तेल का आयात

279. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोबिल तेल तथा अन्य तेलों के आयात के लिये निजी फर्मों और विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के, कितने लिटर के, कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ग) ये लाइसेंस किन फर्मों, कम्पनियों या व्यक्तियों को दिये गये; इन्हें ये लाइसेंस किन कारणों से दिये गये ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत तेल निगम देश की अत्यावश्यकता-पूर्ति के लिये मोबिल तेल का आयात करने के लिये सक्षम नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ। शायद सदस्य महोदय का "मोबिल तेल" और "दूसरे तेलों" से लुब्रीकेंटिग तेलों का आशय है।

(ख) और (ग) : सूचना इकटठी की जा रही है और एक विवरण पत्र यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

(घ) जी नहीं। किन्तु समय-समय पर भारतीय तेल निगम और अन्य तेल कम्पनियों की व्यापार आवश्यकताओं के अनुसार आयात की आज्ञा दी जाती है।

इन्द्रपुरी कालोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था

280. श्री मनीभाई जे० पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के सन्निकट इन्द्रपुरी नामक अधिकृत कालोनी में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कालोनी के 90 प्रतिशत प्लाटों के मालिकों ने अपने मकान बना लिये हैं तथा शेष प्लाटों पर मकान बनाये जा रहे हैं और इन लोगों ने विकास शुल्क का भुगतान कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कालोनी में जल तथा मल निकासी की व्यवस्था करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) : इन्द्रपुरी कालोनी को निश्चित घण्टों में शुद्ध पानी सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि अभी तक इस कालोनी में केवल 30 प्रतिशत के करीब प्लाट होल्डरों ने ही अपने मकान बनाए हैं। यह भी पता चला है कि बस्ती के विकास के खर्च के रूप में उस कालोनी में रहने वालों से दिल्ली नगर निगम को मिलने वाले 13.5 लाख रुपयों में से अब तक केवल 4 लाख रुपये ही मिल पाए हैं।

(ग) विकास खर्च वसूल होने के बाद जल पूर्ति एवं मल निष्कासन संस्था को भूमिगत नालियाँ तथा अवमल पाइप लगाने में क्रमशः 6 महीने तथा एक वर्ष लग जाएंगे।

बिहार सरकार द्वारा ऋणों की अदायगी

281. श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री आर० एस० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामान्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को देय ऋणों की अदायगी बन्द करने की घोषणा कर दी है अथवा बन्द करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) अब तक बिहार सरकार पर कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार को दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता इतनी कम है कि राज्य में अकाल की स्थिति के लिये वह अपर्याप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार को बिहार सरकार के इस निर्णय की जानकारी नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकार को देय ऋणों की अदायगी नहीं करेगी। तथापि, बिहार सरकार ने केन्द्र से केन्द्रीय ऋणों की कुछ समय बाद भुगतान करने की अनुमति मांगी थी, परन्तु बिहार सरकार को केन्द्र ने यह सलाह दी है कि ऋणों का भुगतान शर्तों के अनुसार ही होना चाहिये।

(ख) वर्ष 1967-68 में बिहार की ओर ऋण और सूद मिलाकर कुल राशि 59-50 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय सिंचाई आयोग

282. श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कु :
श्री एस० एन० मेती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री शशि रंजन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सूपकर :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सिंचाई आयोग का गठन इस बीच कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के कौन-कौन सदस्य हैं ; और

(ग) प्रस्तावित आयोग के निर्देश पद क्या होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

निषिद्ध सोना

283. **श्री मणीभाई जे० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1967 से लेकर कितना निषिद्ध सोना पकड़ा गया है और वह लगभग कितने मूल्य का है ;

(ख) यह सोना किन-किन स्थानों से पकड़ा गया था ; और

(ग) कितने व्यक्ति पकड़े गये और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

दुरगापुर में छटा बिजली घर

284. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1967 को कलकत्ता से प्रकाशित 'स्टैट्समैन' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री को सूचित किया गया है कि दुर्गापुर में 150 मेगावाट के छटे बिजली घर की स्थापना के लिये अमरीकी सहायता के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा से खरीदे जाने वाले कलपुर्जे उपलब्ध नहीं होंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) समाचार पत्र में निर्दिष्ट रिपोर्ट देख ली गई है परन्तु इसमें यह बताया गया है कि दुर्गापुर परियोजना लिमिटिड के 150 मैगावाट के छटे यूनिट के लिए विदेशी मुद्रा अभी नहीं मिली है। दुर्गापुर परियोजना लिमिटिड के छटे उत्पादन यूनिट की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ समझौते पर। जून, 1966 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण समझौते में यह अपेक्षित है कि ऋण के अन्तर्गत वास्तविक धन लगाने से पहले ऋणी को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पहले से लगाई गई शर्तों के पूरा करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

(ख) अतः प्रश्न नहीं उठता।

खम्बात में तट से दूर तेल की खोज

285. **डा० रानेन सेन :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मनुभाई जे० पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात में तट से दूर तेल की खोज करने में सहयोग के लिये अमरीकी तेल समवायों के साथ बातचीत पूरी हो गई है और ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फरक्का बांध योजना

286. डा० रानेन सेन : श्री यशपाल सिंह :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरक्का बांध योजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो गई ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या योजना निश्चित तारीख तक पूर्ण हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) फरक्का बराज परियोजना से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्टें हर महीने आती हैं।

(ख) नदी भाग में कार्य दोनों किनारों से आरम्भ कर दिए गए हैं। उनकी स्थिति संक्षेप में नीचे दी जाती है :—

(i) **बाँए तट के कार्य**—वाम अनत्याधार के प्रतिस्रोत, तल खण्ड, आर० सी० सी० पार्श्व दीवारें तथा प्रतिस्रोत और अनुस्रोत रिटर्न वाल्स से सम्बन्धित कंक्रीट कार्य पूर्ण हो गए हैं । बाम अनत्याधार के समस्त कंक्रीट कार्य पूरे हो गए हैं। स्पिलवे से सम्बन्धित मिट्टी का कार्य 32 वें द्वार तक पूर्ण हो गया है, इसमें छोटे खुदाई और भराई के कार्य सम्मिलित नहीं हैं ।

(ii) **दाँए तट के कार्य**—दांए तट पर कार्य प्रगति कर रहा है। प्रतिस्रोत पार्श्व दीवार में कंक्रीट का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति कर रहा है। अनुस्रोत में पत्थर डालने का और सीमेंट कंक्रीट सुरक्षा सम्बन्धी कार्य प्रगति कर रहा है ।

(iii) **फरक्का बराज पर पुल**—प्रारम्भिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं और पुल बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है ।

(iv) **फीडर नहर**—खुदाई का कार्य प्रगति कर रहा है । हर महीने खुदाई कार्य लगभग 200 से 250 लाख घनफुट की दर से किया जा रहा है। अप्रैल 1967 के अन्त तक कुल 3500 लाख घनफुट खुदाई का कार्य किया गया है ।

(ग) और(घ) : फरक्का बराज और फ़ीडर नहर पर कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है । परियोजना के 1970-71 तक पर्याप्त रूप से पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रगति पर लगातार ध्यान रखा जाता है और जो भी कठिनाईयां और बाधाएं जैसे-जैसे सामने आती हैं उनको हटाने के लिये उच्चतम स्तर पर उपाय किए जाते हैं ।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

287. **डा० रानेन सेन :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री श्री गोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० मी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव०
श्री राम सिंह आयरवाल:
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निरलेप कौर :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री नीति राज सिंह :
श्री राने :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर राव :
श्री पी० राम मूर्ति :
श्री अ० के० गोपालन :
श्री पी० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; ताकि वे हाल में निर्वाह-व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिकार करने के लिये राज्य कर्मचारियों को पर्याप्त मंहगाई भत्ता दे सकें ;

(ख) क्या हाल में इस विषय पर उनके तथा मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) राज्यों को सहायता देने का कोई आश्वासन देना केन्द्र के लिये संभव नहीं हो सका है क्योंकि राज्य-प्रशासन के व्यय की पूर्ति स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ही होनी होती है, जो अपना प्रशासन तथा संस्थापन स्वयं ही चलाते हैं।

नर्मदा घाटी परियोजना

288. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा गुजरात के मुख्य मंत्रियों के बीच नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष भर में बच्चे पैदा न करना

289. श्री हेम बरुआ :
श्री जी. जी. स्वेल :
डा० कर्णीसिंह :
श्री किंकर सिंह :
श्रीमती निरलेप कौर :
श्री बैरो :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री वी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरुला :
श्री श्रद्धाकर सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि एक वर्ष या उससे अधिक अवधि में देश में बच्चे न पैदा किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य में लोगों को सहायता देने के लिए सरकार का क्या व्यवहारिक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री ने नव-विवाहितों से कम से कम एक वर्ष की अवधि में बच्चे पैदा न करने का अनुरोध किया है ।

(ख) ऐसे दम्पत्तियों के लिए जो व्यावहारिक तरीके उपलब्ध हैं उनमें (1) प्रचलित गर्भरोधकों का प्रयोग और (2) गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) शामिल हैं । इसके लिए सरकार की ओर से मुफ्त या विशेष रियायती मूल्यों पर सप्लाई करने तथा मुफ्त सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ।

आयकर अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

290. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय में उस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों की छोटे पदों से बड़े पदों पर नियमों में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में पदोन्नति को गैर-कानूनी घोषित किया गया है ;

(ख) सीधे भर्ती के दावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) आयकर विभाग में नियमों की अवहेलना कर पदोन्नत किये गये अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की वैधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या आयकर विभाग द्वारा नियमों की अवहेलना कर दी गई पदोन्नतियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिये इन आदेशों को वैध रूप देने वाला विधान पुरःस्थापित किये जाने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) श्रेणी में पदोन्नत व्यक्तियों की तुलना में सीधी भर्ती वालों के दावों के बारे में निर्णय के प्रभावों की विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

(ग) आयकर अधिकारियों और सहायक आयकर आयुक्तों को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5/ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 117 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। अधिकारियों और सहायक आयुक्तों की नियुक्ति से सम्बन्धित अधिसूचनाओं के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा, आयकर अधिनियम द्वारा श्रेणी I तथा श्रेणी II के आयकर अधिकारियों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उनके अधिकार समान हैं। आयकर अधिकारियों अथवा सहायक आयकर आयुक्तों द्वारा दिये गये आदेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अवैध नहीं होते।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

केन्द्र और राज्यों के बीच के वित्तीय सम्बन्ध

291. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री एम०सुन्दर्शनम :
श्री स्वैल :
डा० कर्णी सिह :
श्री किंकर सिंह :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र और राज्यों के बीच के वित्तीय सम्बन्ध कानून के आधार पर तय होने चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि अप्रैल 1967 में दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को अखबारों में इस सम्बन्ध में छपी खबरों की जानकारी है।

(ख) और (ग) केन्द्र और राज्यों में वित्तीय सम्बन्धों का नियमन संविधान के तत्सम्बंधी अनुच्छेदों द्वारा किया जाता है।

गर्भपात कानून को उदार बनाना

292. श्री मधु लिमये : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री के० प्रधानी :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री हरिराम :
श्री लीलाधर कटकी : श्री हीरजी भाई :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री काशी नाथ पांडे :
श्री सूपकर : श्री डी० एन० देव :
श्री मोहन स्वरूप : श्री बिश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बी० एस० शर्मा : श्री मोहसिन :
श्री यशपाल सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त : श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रामकिशन गुप्त : श्री सूपकर :
श्री कंवरलाल गुप्त : श्री अटलबिहारी वाजपेयी :
श्री मीठा लाल : श्री निटियार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गर्भपात कानूनों को उदार बनाने के बारे में शाह समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को कार्य रूप देने के लिए विधान बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस रूप में ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने के बाद भारतीय दण्ड संहिता के मौजूदा सम्बन्धित प्रावधानों में उचित संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है।

ट्राम्बे स्थित नाइट्रो फास्फेट प्लांट

293. श्री पी० राममूर्ति : श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अ० क० गोपालन : श्री शारदा नन्द :
श्री बाबूराव पटेल : श्री बृज भूषण लाल :
श्री मधु लिमये : श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री एस० एम० जोशी : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने अपने लम्बे एकक में नाइट्रो-फास्फेट प्लांट का परीक्षण कराने और उसके कार्य में सुधार की शिफारिश कराने के लिए जर्मनी के एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी ठेकेदारों ने कहा है कि प्लांट स्थायी रूप से अक्षम है और इसका कार्य कभी भी संतोषजनक नहीं होगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले की जांच कराने और इसके लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) डाई अमोनियम फास्फेट, ट्रिप्ल-सुपर फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल के प्रयोग से फास्फेटिक अंश को बढ़ाने की सम्भावना की जांच करना ताकि कारखाने की निर्धारित क्षमता प्राप्त हो सके।

(ग) विदेशी ठेकेदार ने मान लिया है कि निर्धारित क्षमता को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा।

(घ) विदेशी ठेकेदार ने वैकल्पिक साधनों द्वारा निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए पद्धतियों को खोजने की इच्छा प्रकट की है। भारतीय उर्वरक निगम के निमन्त्रण पर तकनीकी विचार-विमर्श के लिए वह भारत में आने को सहमत है। इस बीच में एक जर्मन विशेषज्ञ का भी परामर्श ले लिया है।

सिंदरी उर्वरक

294. श्री पी० राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक के कुल उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कमियों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) उर्वरकों में 93,500 मीटरी टन नाइट्रोजन के लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक उत्पादन 90,068 मीटरी टन हुआ, अतः 3,432 मीटरी टन कम उत्पादन हुआ। इण्डियन एक्सप्लोसिवज लि० गोमिया को अमोनिया का अतिरिक्त मात्रा में विक्रय और वर्ष के शुरू में ठीक किस्म के कोकिंग कोयले की अप्राप्ति ही कमी का कारण थी।

(ग) कोयला नियन्त्रक के साथ ठीक किस्म के कोकिंग कोयले की नियमित सप्लाई के लिए व्यवस्था की गई है। नवम्बर, 1966 में दो लीन (lean) गैस उत्पादकों को चालू किया गया। एक नेपथा गैसीकरण यूनिट की स्थापना की जा रही है।

किराया खरीद आवास योजना

295. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये तैयार की गई किराया-खरीद आवास योजना की क्रियान्विति धन की कमी के कारण रोक दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : मामले पर ध्यान दिया जा रहा है । सरकार इस योजना के लिए साधनों का पता लगा रही है ।

(ग) जी हां, किन्तु प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि जीवन बीमा निगम, जिसे कि ऋण की गारंटी देनी थी, के द्वारा मांगी गयी ऋण की दर को केन्द्रीय सरकार के द्वारा अधिक समझा गया ।

Amending of Pension Rules

296. **Shri Mohan Swarup :**
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Posts and Telegraphs Pensioner's Association has demanded that some modifications be made in the Pension Rules so as to meet the rising prices of essential commodities; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The demand of the Association has been considered carefully, but it has not been found possible to accede to it.

M/s Mechanzies Ltd.

297. **Shri Bharat Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1077 on the 10th November, 1966 and state :

(a) whether the investigations into the exaggerated figures shown by M/s Mechanzies Ltd. in their balance-sheet have been completed; and

(b) if so, the details of the investigation and the figures shown by the Company under different heads ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Recovery of Gold

298. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold weighing 2090 kilos has been recovered during the period from April, 1966 to March, 1967;

(b) if so, the quantity out of it deposited with Government;

(c) the number of persons against whom action has been taken and the nature thereof; and

(d) the number of persons against whom no action has been taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d) : The information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Enquiry into Smuggling of Kerosene Oil From Delhi.

299. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2551 on the 17th August, 1966 and state :

(a) whether the enquiry into the seizure by the North Delhi/Police on the 20th July, 1966 of 10 thousand litres of kerosene oil which was being smuggled into U. P. has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri. Raghuramaiah) : The required information is awaited from Delhi Administration and will be laid on the table of the Lok Sabha.

दिल्ली के लिये पेय जल

300. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पेय जल की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सूरज कुण्ड के निकट के प्राकृतिक गड्ढे को प्रयोग में लाकर जल इकट्ठा करने की योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये सूरज कुण्ड के पास अडंगपुर गाँव की घाटी को जलाशय के काम में लाया जा सकता है या नहीं यह जानने के लिये अध्ययन किये जा रहे हैं। इस प्रस्ताव पर अभी विचार विमर्श शुरू ही हुआ है।

छोटे आकार के नोट

301. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सूपकर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री आत्म दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे आकार के नये नोट जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे यदि बचत होने की आशा है तो कितनी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोराजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) नोटों का आकार छोटा करने का फैसला इस उद्देश्य से किया गया था, कि कागज की जितनी खपत होती है, उसकी मात्रा में कमी की जा सके और कागज के आयात करने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में बचत की जा सके।

(ग) अनुमान है कि, नोटों का आकार छोटा किये जाने के कारण, हर साल 300 मेट्रिक टन से कुछ ज्यादा कागज की बचत होगी। इससे, विदेशी मुद्रा के खर्च में हर साल 30 लाख रुपये की बचत होगी।

अमरीका से ऋण

303. **श्री वासुदेवन नायर :** **क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से भारत ने अब तक कुल कितना ऋण लिया है ;

(ख) इन ऋणों पर किस दर से व्याज वसूल किया जाता है ;

(ग) इन ऋणों को वापिस देने के बारे में क्या शर्तें हैं ;

(घ) अब तक कुल कितनी राशि वापिस की गयी है; और

(ङ) इन ऋणों पर अब तक व्याज के तौर पर कुल कितनी राशि दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 28 फरवरी, 1967 तक संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और अमरीकी वाणिज्यिक बैंकों के साथ कुल 3,152.34 करोड़ रुपये के ऋण के करारों पर हस्ताक्षर किये गये। इन में वे करार भी शामिल हैं जिनके अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की कम्पनियों के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा रही है ऋण की इस कुल रकम में से 1,793.00 करोड़ रुपये की रकम डालरों में चुकायी जानी है।

(ख) इन ऋणों पर व्याज की वार्षिक दर प्रत्येक ऋण के लिए ¾ प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक अलग-अलग है।

(ग) इन ऋणों की वापसी की अवधि प्रत्येक ऋण के लिए 5 से 44 वर्ष तक अलग-अलग है।

(घ) 28 फरवरी, 1967 तक 187.13 करोड़ रुपये की रकम वापस की गयी।

(ङ) 28 फरवरी, 1967 तक ब्याज के रूप में कुल 190.10 करोड़ रुपये की रकम दी गयी।

कोरबा उर्वरक कारखाना

304. श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री राम सिंह ग्रायरवाल : श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर पुर्नविचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) : भारतीय उर्वरक निगम को कहा गया है कि वह प्रतिदिन 600 टन अमोनिया और 1,000 टन यूरिया के आधार पर कौरबा परियोजना की पहली रिपोर्ट को फिर से बनायें। कम्पनी को यह भी कहा गया है कि कोरबा में स्थान को थोड़ा-सा हटा देने के लाभों को भी विचार में रखें। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Plots in Semi-Developed Colonies in Delhi.

305. Shri Hukam Chand Kachwal : Shri Onkar Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to sell plots in semi-developed areas in Delhi;

(b) if so, whether this scheme has been devised to solve the housing problem in Delhi;

(c) if so, the details thereof;

(d) the time likely to be taken in solving the housing pro-le n; and

(e) the land allotted for this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) A proposal in this connection is under consideration.

(b) Yes.

(c) Plots are proposed to be sold after the land has been levelled and roads laid. At this stage, 40% of the premium is proposed to be recovered and the balance in

instalments in accordance with the progress of development. Possession of the plots is, however, proposed to be given only after full development has been carried out.

(d) No time limit can be fixed. But all possible efforts are being made to resolve the housing problem in Delhi.

(e) No specific land has been allotted for this scheme.

Foreign Loans

306. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Started Question No. 157 on the 30th March, 1967 and state :

(a) the amount of annual interest to be paid for the loan to the foreign countries upto the lst October, 1966; and

(b) the time by which these loans are likely to be repaid ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Annual interest payable on the loans from foreign countries will depend upon the amounts drawn from time to time and the repayments made under each loan/credit. The estimate of interest payment for the current year (viz. 1967–68) is Rs. 164.80 crores, as indicated below :

		Rs. Crores
(i) On loans repayable in foreign currency	—	110.32
(ii) On loans repayable through export of goods	—	11.79
(iii) On loans repayable in rupees	—	42.69
	Total :	164.80

(b) The time by which repayment will be completed will vary from loan to loan. Some countries and institutions have extended loans which carry very easy repayment terms. In respect of the loans outstanding on 1st October, 1966, the last of the repayments will be completed by the year 2017.

नगरीय नाली व्यवस्था योजना

307. **श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 में श्रीनगर में आयोजित बारहवें सम्मेलन में पारित संकल्प संख्या 11(2) अन्तर्दिष्ट केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की शहरी क्षेत्रों में नाली व्यवस्था कार्य-क्रम के लिये उदारता से सहायता देने सम्बन्धी सिफारिशों को मान लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में नाली व्यवस्था योजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच के लिये शत प्रतिशत अनुदान के रूप में सरकार का उदारता से सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों को उनकी नाली योजनाओं के

क्रियान्वयन के लिये 25 प्रतिशत तक का अनुदान देने का विचार है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों का बराबर-बराबर हिस्सा होना है बशर्ते कि इस अवमल (सीवेज) का उपयोग कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये किया जाये। इस बारे में आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी किये जाने की संभावना है।

(ग) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय आयोजना, अन्वेषण और डिजाइन सर्किल खोलने का विचार है जिनके लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। ये सर्किल नगरों की नाली योजनाओं का भी सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण करेंगे।

जापान से सहायता

308. **श्री एन० के० सांघी :**
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री रामपुरे :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने भारत को चालू वर्ष में 670 लाख डालर की सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सहायता का किस विशेष उद्योग में किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक अप्रेल 1967 में हुई थी जिसमें 1967–68 के लिये गैर परियोजना सहायता (खाद्य पदार्थों सहित) के रूप में लगभग 13000 लाख डालर की राशि उपयुक्त समझी गई थी। इसके अनुसार ही जापान गैर परियोजना सहायता देगा। परन्तु सहायता की राशि कितनी होगी और उस सहायता के अधीन क्या समान मँगाया जायेगा, यह अभी निश्चित किया जायेगा।

रुमानिया से तेल का आयात

309. **श्री एन० के० सांघी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एम० रामपुरे :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का आयात करने के लिये रुमानिया के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) ठेकों के अन्तर्गत 1967 में 54,000 मीटरी टन बढ़िया मिट्टी के तेल और 50,000 मीटर टन लुब्रीकेटिंग तेल के आयात की व्यवस्था है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष का भारत का दौरा

310. श्री न० कु० सांघी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री स्वैल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री मोलहूप्रसाद :
श्री रबी राय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दन :
श्री ग्रदिचन :
श्री हल्दर :
श्री नम्बियार :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री डी० एन० देव :
श्री पी० के० सिन्हा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री एस० के० तापडिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री वाई० जी० गौड़ :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रघुवीर शास्त्री :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री यज्ञिक :
श्री एस० ग्रार० दामानी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री ग्रटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ क्या बात-चीत की; और

(ख) बात-चीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) : विश्व बैंक के अध्यक्ष की हाल की यात्रा के समय उन से आम विषयों पर बातचीत हुई जिसमें विश्व बैंक और भारत के आपसी हितों के मामलों पर विचार किया गया। बातचीत में जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें अधिक महत्व के प्रश्न ऐसे थे जैसे कि नरम शर्तों पर ऋण देने वाले विश्व बैंक से सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की धन-राशि की पूर्ति, 1967–68 के लिए भारत को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, जिसके बारे में भारत सहायता संघ (कंसार्शियम) की 4–6 अप्रैल, 1967 की बैठक में कुछ फैसले किये गये थे, बाद की कार्यवाई आदि।

इस यात्रा से, श्री वुड्स को सरकार के सदस्यों और अन्य लोगों से मिलने और हमारी मौजूदा समस्याओं की जानकारी हासिल करने का अवसर मिला। साथ ही इससे दोनों को आपसी हितों के मामलों पर एक दूसरे को अपने विचार बताने का मौका भी मिला।

फरक्का बाँध

311. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री घोरेश्वर कलिता :**
डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बाँध के लिए आरम्भिक अनुमान कितना था; :

(ख) क्या उस अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हाँ तो किस हृद तक; और

(ग) कार्य कब तक सम्पन्न होने वाला है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मूल परियोजना की, जिसकी अनुमति लागत 56.40 करोड़ रुपये की है, अप्रैल 1966 में स्वीकार किया गया था। 1962 में, मूल्यों के चढ़ाव को ध्यान में रखते हुये, एतदर्थ आधार पर, 68.59 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी गई थी।

(ख) लागत आदि बढ़ जाने के कारण अनुमति लागत में वृद्धि हुई है। पुर्नलिखित अनुमान की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जाँच की जा रही है।

(ग) कार्य 1970--71 तक पर्याप्त रूप में पूरा हो जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाना

312. **श्री कृष्णमूर्ति :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चौथी योजना में केवल सरकारी क्षेत्र में विनियोजित पूंजी में से 4,000 करोड़ रुपये की कटौती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) केवल सरकारी क्षेत्र में ही कटौती करने की आवश्यकता क्या है ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के विनियोजना में 4,000 करोड़ रुपये की कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूप रेखा प्रकाशित होने के बाद आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके संदर्भ में इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। योजना में किस सीमा तक संशोधन करना आवश्यक है, इसकी जानकारी पर्यवेक्षण समाप्त होने पर प्राप्त हो सकेगी।

योजना आयोग का पुनर्गठन

313. **श्री बी० कृष्णमूर्ति :** **श्री यशपालसिंह :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : **श्री के० लक्कप्पा :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री मं० रं० कृष्ण : **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री एस० आर० दामानी :	श्री हेम राज :
श्री अटलबिहारी बाजपेयी :	श्री पी० सी० अदिचन :
श्री श्रीगोपाल साबू :	श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बृज भूषण लाल :	श्री मीठा लाल :
श्री शारदा नन्द :	श्री सूपकर :
श्री बी० एस० शर्मा :	श्री बलराज मधोक :
श्री श्री ओंकार लाल बेरवा :	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेंडीज :	श्री शशि रंजन :
श्री जे० एच० पटेल :	श्री डी० एन० देव :
श्री कंवरलाल गुप्त :	श्री काशी नाथ पांडे :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :	श्री रा० बरुआ :
श्री मारतसिंह :	श्री सी० सी० देसाई :
श्री रणजीत सिंह :	श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :	श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री राम कृष्ण गुप्त :	श्री दे० शि० पाटिल :
श्री स्वैल :	श्री एस० के० तापड़िया :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री मुहम्मद इमाम :
श्री ए० के० किस्कू :	श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री एस० एन मैती :	श्री महादेव प्रसाद :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :	

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना आयोग का पुनर्गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सिफारिशें किस हद तक क्रियान्वित की गई हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : जी, हाँ । प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों का संक्षेप सभापटल पर प्रस्तुत है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 379/67]

(ग) यह विषय अभी विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार

314. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका तथा युरोपीय साझा मण्डी के सदस्य देशों द्वारा सुझाये गये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, उनके अपने अपने सुझाव क्या हैं ; और

(ग) उनसे भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा वायदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ । अमरीका ने एक आकस्मिक योजना को बनाने का सुझाव दिया है जिसके अनुसार विश्व में प्रचलित मुख्य मुद्राओं का अतिरिक्त कोष बनाया जाये और उसका प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाये । यूरोपीय साझा मंडी के सदस्यों ने हाल में यह घोषणा की है कि यदि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक मुद्रा निकालने का अधिकार दे दिया जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त मुद्राभाव (लिक्विडिटी) की समस्या हल हो जायेगी ।

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार की ऐसी योजना में भाग लेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होगा । उपरोक्त योजना में भाग लेने वाले देशों के अधिकार और कर्त्तव्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि तत्सम्बन्धी अनेक सुझावों पर अभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य गोष्ठियों में विचार किया जा रहा है। अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा वायदों पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा ।

Asian Development Bank

315 : Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Asian Development Bank has started functioning ;

(b) if so, the work done by the Bank so far ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : The inaugural meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank was held in Tokyo on November 24-26, 1966 and the Bank was formally opened for operation on December 19, 1966 at Manila, Philippines. The Bank is thus in its early stages and as such it is mainly engaged in the finalisation of the organisational set up of the Bank, recruitment of professional staff, preparation of the rules of procedures, consideration of certain policy issues etc.

Opium Cultivation

316. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharti :
Shri George Fernandes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total area under opium cultivation in the country, State-wise ;

(b) whether the cultivation of opium is on the increase in the country; and

(c) the production of opium during this year so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total area under poppy cultivation in the country, State-wise during 1966-67 season is as foll ws:—

Name of State	Area under poppy cultivation (hectares)
Uttar Pradesh.	3,499
Madhya Pradesh.	6,506
Rajasthan.	4,208
	14,213

(b) Cultivation of opium poppy has been on the decrease from 1962-63 except for 1966-67 when a slight increase had to be authorized to meet export commitments of raw opium. The comparative figures for six years ending 1966-67 are as follows:—

Year	Area under poppy cultivation in hectares.
1961-62.	44,588
1962-63.	25,787
1963-64.	21,066
1964-65.	18,894
1965-66.	12,064
1966-67.	14,213

(c) Production of opium this year is estimated at 4, 70,000 kgms. at 70°C.

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

317. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क अधिकारियों तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों ने गत पांच वर्षो में कितना निषिद्ध सोना पकड़ा है ;

(ख) उसका भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है ;

(ग) इस सोने का निपटान कैसे किया गया है ; और

(घ) क्या कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने का गोलमाल करने के मामले हुए हैं ?

उप प्रधान-मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई)

(क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 1962, 1963, 1964, 1965, के वर्षों में तथा वर्ष 1966 के पूर्वार्ध में पकड़े गये अवैध सोने की कुल राशि 9929 किलोग्राम है। वर्ष 1966 के उत्तरार्ध के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित सोने का अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य लगभग 532 लाख रुपये होता है। इस सोने का बाजार भाव से मूल्य लगभग 1169 लाख रुपये होता है।

(ग) जप्ती के बाद सोने को सरकारी टकसाल में जमा कर दिया जाता है।

(घ) पकड़े गये सोने के अपहरण का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

बेघर लोगों के लिये मकान

318. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री स० चं० सामन्त

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोगों को बसाने के लिये जो बेघर हैं अथवा गन्दी बस्तियों, टूटी-फूटी इमारतों, घटिया दर्जे के मकानों में रहते हैं कितने मकानों की आवश्यकता है ;

(ख) आवास बोर्डों और गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये प्रति वर्ष कितने मकान बनाये जा रहे हैं; तथा मकान मालिकों द्वारा कितने मकान बनाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या मकान बनाने के लिये साधन जुटाने के हेतु एक लाटरी प्रणाली आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) अप्रैल, 1966 में, शहरी क्षेत्र में 114 लाख मकानों की कमी अनुमानित की गयी थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह संख्या इसकी तुलना में 600 लाख है।

(ख) इस मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के द्वारा औसतन लगभग 40,000 मकान प्रति वर्ष बनाये गये हैं। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (यथा, केन्द्रीय मंत्रालयों। विभागों, राज्यों, उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों आदि) के द्वारा तथा गैर सरकारी मालिकों। भू-स्वामियों के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाये गये मकानों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1967 के लिये प्रवर्तन कार्यक्रम

319. श्री सी० सी० देसाई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को 1967 में किये जाने वाले कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है ;

(ख) प्रत्येक विभाग के लिये प्रवर्तन कार्यक्रम (आपरेशनल प्रोग्राम) या तथाकथित निष्पत्ति बजट (परफोरमेंस बजट) की वास्तविक उपयोगिता क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार करने का उद्देश्य क्या है और इस नये प्रयोग से वर्तमान स्थिति में किस प्रकार सुधार होगा ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे आगामी बारह महीनों के लिए निष्पत्ति बजट (परफोरमेंस बजट) तैयार करें।

(ग) निष्पत्ति बजट बनाने (परफोरमेंस बजटिंग) से तात्पर्य यह है कि केवल वित्तीय उपयोगिता पर बल न दे कर, भौतिक लक्ष्यों इत्यादि और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के आधार पर वास्तविक निष्पत्ति पर बल दिया जाय।

सरकारी क्वाटरों पर अनधिकृत कब्जा

320. श्री सी० सी० देसाई :
श्री रणजीत सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी बंगलों में ऐसे लोग रह रहे हैं जो उनमें रहने के अधिकारी नहीं हैं ;

(ख) ऐसे लोगों से कितना किराया वसूल किया जा रहा है ; और

(ग) आवास-स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसे मकान खाली कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) बंगले के टाइप के 36 वास ।

(ख) किराया बाजार दर पर लिया जा रहा है।

(ग) कुछ मामलों में पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविकश्न आफ़ अनआथराइज्ड आक्यूपैन्ट्स) एक्ट 1958, के अंतर्गत खाली कराने की कार्यवाई चल रही है तथा अन्य में शुरू की जाने वाली है।

पैट्रोल और मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क

321. **श्री सेक्वीरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) अवमूल्यन से पहले और (दो) अवमूल्यन के बाद पेट्रोल। मिट्टी के तेल। शोषित डीजल तेल, लाइट डीजल तेल और मिट्टी के तेल पर प्रति किलोमीटर कितने रुपये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लिया जाता रहा है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक उत्पाद पर प्रति किलो लीटर कितने रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लिया जाता है; और

(ग) इन सभी उत्पादों की कुल बिक्री की तुलना में इनमें से प्रत्येक उत्पाद की बिक्री का अनुपात क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना संग्लन विवरण-पत्र में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 380/67]**

चूँकि लाइट डीजल तेल और फर्नेस तेल दोनों प्रकार के तेलों पर मैट्रिक-टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगता है, इसलिये विवरण-पत्र में दी गई सूचना मैट्रिक टन के हिसाब से ही दी गई है।

बाढ़ के कारण भूमि की हानि

322. श्री अब्दुल गनी दार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस सम्बन्ध में आँकड़े इकट्ठे करें कि बाँध न बनाये जाने के कारण बाढ़ों से प्रत्येक वर्ष कितनी उपजाऊ तथा खेती की भूमि नष्ट हो जाती है ;

(ख) यदि हाँ तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप बाढ़ से प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष कुल कितनी उपजाऊ भूमि नष्ट हुई है ; और

(ग) अगले तीन वर्षों में नदियों पर बांध बनाने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हाँ, राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे प्रतिवर्ष बाढ़ों से हुई क्षतियों से सम्बन्ध जानकारी भेजें जिसमें बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्र और फसली क्षेत्र शामिल हो।

(ख) प्रतिवर्ष बाढ़ औसतन लगभग 150 लाख क्षेत्र को प्रभावित करती है जिसमें लगभग 50 एकड़ फसली क्षेत्र होता है।

(ग) राज्य सरकारों को तटबधों के निर्माण समेत बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिये ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सहायता का निर्णय प्रतिवर्ष सर्व योजना व्यय के एक भाग के रूप में किया जाता है और चालू वर्ष के अन्तरिम बजट में 9 करोड़ रुपये का प्रबंध है।

इदुक्की जल विद्युत् परियोजना

323. श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री मंगलाथुमडम :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने इद्दिक्की जल विद्युत परियोजना के लिये दो पूरे सेट देने के साथ-साथ जनरेटर के तीसरे सेट के लिये कल पुर्जे, कच्चा माल तथा तकनीकी जानकारी देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के नये प्रस्ताव मान लिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) वर्ष 1970 तक इद्दिक्की परियोजना के प्रथम भाग को चालू करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : प्रस्ताव पर कनाडा अधिकारियों की स्वीकृति के पुष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) वर्तमान स्थिति को देखते हुए, 130 मैगावाट का प्रथम यूनिट 1970-71 में चालू हो जाने के लिए तैयार हो जाएगा।

आवास योजनाओं में लेखा बाह्य धन का लगाया जाना

324. श्री सेझियान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने बिना साधन बताये लेखा बाह्य धन को बड़े नगरों में आवास योजनाओं में लगाने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी रियायत देना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि हाल ही में स्वेच्छा से आय प्रकट करने की, एक के बाद एक, दो योजनायें चालू की गई थीं और लोगों को अपने लेखा-बाह्य धन को वापस परिचलन में लाने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है।

Leprosy Eradication Centres

325. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government are considering a proposal to establish more leprosy eradication centres during the current year;

(b) if so, the places where these Centres will be established and when; and

(c) the assistance likely to be received from the World Health Organisation or from any other country in this regard ?

The Deputy Minister for Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) : Under the National Leprosy Control Programme, Leprosy Control Units and not Leprosy eradication centres are being established.

The number of such centres and the places where they are proposed to be established during the current financial year 1967-68 are given below :—

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	No. of Leprosy Control Units proposed to be established during 1967-68.
1.	Madras	?
2.	Mysore	1
3.	Orissa	3
4.	Uttar Pradesh	1

(c) The follo w ng asssistance is expected from the World Health Organisation and the UNICEF :—

World Health Organisation :

Short term Consultants	2
Touring fellowships for State Leprosy and other Medical Officers working in the Leprosy Control Programme.	4

UNICEF :

Vehicles	...	8
Motor Scooters	...	36
Microscopes	...	8
Transistorised Microphones	...	51
Stipends to trainees	...	Rs. 99,000/ (Approx)
Drugs (DDS Tablets)	...	45 Million of 100 mg.
	...	187.60 Million of 25 mg.
Electric Duplicator	...	1
Calculating Machine	...	1

Developments of Plots

326. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority is developing a large number of plots in the Delhi Metropolitan area;

(b) the time by which the plots are likely to be ready;

(c) the number thereof, colony-wise;

(d) the procedure by which these plots would be sold to the public;

(e) whether Government have received complaints regarding the flaws in the present procedure of the sale of plots; and

(f) if so, the steps taken to obviate them ?

The Deputy Minister of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) Yes. 9690 residential and 1748 Industrial plots have been developed upto March 1967. Another 4500 plots are likely to be developed by March, 1968.

(c) A statement is attached. **(Placed in Library, See No. LT. 381/67)**

(d) to (f) : Plots are allotted at pre-determined rates to persons whose land has been acquired by Government and to those who fall in the Low Income Group, i. e. whose income is less than Rs. 6000 per year. In the latter case, allotment is made by draw of lots. Plots measuring 200 square yards and above are sold by public auction. There has been some criticism about sale of plots by auction and this matter is receiving the attention of the Government.

दिल्ली के निकट यमुना नदी के तल से पानी निकालना

327. श्री विश्वनाथ राय : श्री भारत सिंह :
श्री शारदा नन्द : श्री रणजीत सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पास यमुना नदी के तल से पानी निकालने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने भूमिगत जल के भंडार का पता लगाने हेतु मेसर्स मस्क्रें हस एण्ड तारापोखला को खोज के काम पर लगाया था। उसने बताया है कि 80 से 88 लाख रुपये की लागत से लगाये गये पार्श्व-प्ररोह (लेटरल्स) सहित 7–8 कुओं के जरिये लगभग 20 एम० जी० डी० पानी प्राप्त किया जा सकता है ।

इस फर्म ने शुरू में केवल पार्श्व-प्ररोह सहित दो कुएं लगाने की सिफारिश की है जिनकी अनुमानित लागत 20 या 22 लाख रुपये होगी । ये कुएं चार मीटर की परिधि वाले होंगे और उन्हें नदी के तल से 70 फुट की गहराई तक डाला जायेगा, जो लगभग 2.5 एम० जी० डी० पानी निकाल सकेंगे । इन कुओं के नीचे चारों ओर 8 से 10 तक जल एकत्र करने वाले छिद्र-युक्त पाइप बिछाने होंगे ।

Punjab State Electricity Board Employees

328. Shri Onkar Lal Berwa : Shri J. R. Pavel :
Shri Mohan Singh : Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 18,000 emlyoyees of the Punjab State Electricity Board took mass leave in the last week of April, 1967;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the names of States where electric supply was interrupted as a result thereof;

(d) whether the Central Government intervened in the matter; and;

(e) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) A majority of the non-gazetted employees of the Punjab State Electricity Board applied for Casual Leave from 26th to 30th April, 1967, and did not attend to their duties for the period from the 26th to 29th April, 1967 when they called off the agitation.

(b) In order to press the demand for revision of pay scales of the employees of the composite Punjab State Electricity Board before it was dissovled.

(c) The States of Jammu & Kashmir, Haryana, Punjab and Rajasthan as well as the Union Territories of Chandigarh, Delhi and Himachal Pradesh.

(d) and (e) : For providing stand by personnel, certain arrangements were being worked out, but it was not necessary to give effect to the proposal as the agitation was called off on the night of the 29th April.

उत्पादन–शुल्क संग्रह–स्थान (कलक्टरियां)

329. श्री सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क राजस्व में हुई वृद्धि तथा काम की बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ नये उत्पादन-शुल्क संग्रह-स्थान (कलक्टरियां) स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, कौन-कौन से स्थान पर ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नये समाहर्ता-कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में भूमि के मूल्य

330. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के मूल्य कम करने तथा निर्माण-कार्य को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार दिल्ली की आवास नीति का पुनर्विलोकन करने का है; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के बारे में नीति में कोई विशेष परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा निपटान की योजना को उदार बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। दिल्ली की आवास समस्या पर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की गति को तीव्र किया जाये, निरंतर विचार किया जाता रहता है।

(ख) जी नहीं।

सरकारी उपक्रम

331. **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन में सुधार करने के उद्देश्य से औद्योगिक संस्थाओं में लागू धन सम्बन्धी सरकारी-नियमों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सम्बद्ध अन्तर्नियमावली अथवा अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय अधिकारों के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अपने नियम और अपनी कार्य-विधियां हैं। ऐसे नियम बनाते समय इन प्रतिष्ठानों को, सिर्फ सरकारी नियमों के पालन का ही नहीं, अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें हर मामले में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पूंजीगत खर्च करने, टेण्डर मंगाने और उन्हें मंजूर करने, विभिन्न पदों को बनाने और भरने आदि के सम्बन्ध में कुछ बढ़े हुए अधिकार दिये थे। यह इन्तजाम फिलहाल काफी समझा गया है। इसलिए अधिक परिवर्तन करने के किसी विशेष प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। जरूरत हुई तो स्थिति पर फिर से विचार किया जायगा।

वस्तु विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत जापान को अयस्क का निर्यात

332. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान के साथ वस्तु विनिमय करार करने के प्रस्ताव पर अनुरोध कर रही है जिसके अन्तर्गत भारत जापान को अयस्क का निर्यात करेगा और उसके बदले में जापान हमें जहाज देगा;

(ख) क्या सरकार ने जापान के इस्पात मिलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल में बातचीत की है ;

(ग) यदि हां, तो बातचीत में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी वस्तु विनिमय व्यवस्था पर होने वाले अवमूल्यन के प्रभाव का विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में कन्नानूर के लिये संरक्षित जल संभरण योजना

333. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर तेलवच्चैरि और माहे के लिये संरक्षित जल सम्भरण योजना के बारे में सरकार को जिला विकास संस्था कन्नानूर (केरल) से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। जिला विकास संघ, कन्नानूर ने अगस्त 1966 में भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें कन्नानूर, तेल्ली चेरी और माहे के लिए एक मिली जुली जल योजना की शीघ्र मंजूरी के लिए प्रार्थना की गई थी।

(ख) और (ग) 83.12 लाख रुपये की अनुमानित लागत के इस योजना के पहले भाग को राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्य-क्रम (नगर) के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए 30 नवम्बर, 1966 को मंजूरी दे दी गई थी। योजना के दूसरे भाग के इंजीनियरी ब्यौरे के अभी केरल सरकार से आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

अट्टापड़ी आदिम जातीय क्षेत्र (केरल) के आदिम जातीय लोगों के लिये शिक्षा की व्यवस्था

335. श्री अ० क० गोपालन : श्री ई० के० नयानर : श्री पी० राममूर्ति : श्री उमानाथ :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अट्टापड़ी आदिम जातीय क्षेत्र में आदिम जातीय लोगों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या आदिम जातीय लोगों के लिये अगाली में एक हाई स्कूल बनाने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी केरल सरकार से मंगाई गई है और जितना जल्दी सम्भव हो सकेगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

सचिवों तथा संसद सदस्यों के लिये आवास

336. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इसमाइल . श्री बी० के० मोदक :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय सचिव अपने निवास स्थान के लिये कुल कितना आवृत (कवर्ड) क्षेत्र (कुर्सी क्षेत्रफल) पाने का हकदार है;

(ख) वे बागीचों के लिये कितना क्षेत्र पाने के हकदार हैं; और

(ग) संसद सदस्य कितना आवृत क्षेत्र पाने का हकदार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भारत सरकार के सचिव टाइप VIII के वास के पात्र हैं। इस टाइप में पुराने मकानों का कुर्सी क्षेत्रफल 242.0 वर्ग मीटर से लेकर 479.5 वर्ग मीटर के बीच रहता है ।

(ख) बगीचों के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है, किन्तु टाइप VIII के पुराने मकानों में अधिकतर बड़े अहाते हैं।

(ग) संसद सदस्यों की रिहायश के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। संसद सदस्यों के पूल में मकानों तथा फ्लैटों का कुर्सी क्षेत्रफल 74.79 वर्ग मीटर से लेकर 407.0 वर्ग मीटर तक के बीच रहता है।

इंडिया आटोमोबाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता

337. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में मोटर व्यापारियों की एक फर्म इंडिया आटोमोबाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जो हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड से सम्बन्धित थी, कुछ वर्ष पहले बन्द कर दी गई थी;

(ख) इसके बन्द होने के समय इस कम्पनी से कितना आय-कर लिया जाना था :

(ग) क्या बकाया राशि उस समय पूर्ण रूप से नहीं चुकाई गई थी;

(घ) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या यह सच है कि लगभग उन्हीं व्यक्तियों ने साथ वाले अहाते में इंडिया ओटोमोबाइल (1960) लिमिटेड के नाम से एक फर्म चालू की ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड से सम्बन्धित दो संस्थाएँ हैं अर्थात् मैसर्स इंडिया आटोमोबाइल्स (जो एक फर्म है) तथा मैसर्स इंडिया आटोमोबाइल्स (1960) लिमिटेड (जो एक लिमिटेड कम्पनी है)। दोनों संस्थाएं अभी भी कारबार कर रही हैं तथा उनमें से कोई भी समात अथवा बन्द नहीं की गयी है।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स इंडिया आटोमोबाइल्स का कोई भी भागीदार मैसर्स इंडिया आटोमोबाइल्स (1960) लिमिटेड से सम्बन्धित नहीं है।

भारत के रिजर्व बैंक का आय, मजूरी तथा मूल्यों के बारे में संचालन दल

338. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री शारदानन्द :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री भारत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 30 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक के आय, मजूरी तथा मूल्यों से सम्बन्धित स्टियरिंग ग्रुप के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

339. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आवास बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां, वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को अभी स्थगित कर दिया गया है ।

Family Planning Programme

340. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Health and Family Planning** be placed to state :

(a) the number of persons, men and women separately, who have availed of sterilisation or loop so far under the Family Planning Programme ;

(b) the number of Centres opened for this purpose, the number of Doctors and Nurses employed on this job and the expenditure incurred by Government on it ;

(c) whether it is a fact that several women have become diseased due to sterilization and use of loop and many of them have died ;

(d) if so, the number thereof ;

(e) whether it is also a fact that lawers, professors, doctors businessmen and the educated class have taken active interest in the Family Planning, whereas the labour class has not taken interest ; and

(f) I so, whether the number of intellectuals will not be reduced in the conntry in the course of time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : The required information as far as available, is given in the enclosed statement. **[Placed in Library, See No. LT-382/67]**

(c) and (d) : No, Sterilization and the loop do not cause any disease. A few side-effects like bleeding and pain have been reported after the loop insertion a small percentage of the cases. These are generally transient in most of the cases and can be reduced with due care. There has been no report of any death consequent on sterilization of loop insertion.

(e) While lawers, professors, doctors, businessmen and educated classes are taking active interest in Family Planning, the labour classes are also adopting Family Planning methods. In a number of Industries, Plantations etc. Family Planning Programmes have been introduced for the benifit of the employees, including labour, and these have been duly availed of.

(f) No. Social change generally first occures in skilled groups ; then the semi-skilled groups and lastly in unkilled groups. As opportunities and social climate improve, it becomes a normal. This seems to be generally the normal process of transition. The aim is to accelerate this process in the country.

अपना बाजार. आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली

342. श्री भोगेन्द्र झा :

कमला मिश्र मधुकर :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नई दिल्ली में आई० एन० ए० कालोनी स्थित अपना बाजार को किन नियमों तथा शर्तों के साथ जगह दी है;

(ख) क्या मंत्रालय कुल बिक्री का चार प्रतिशत कि कराये के रूप में मांग रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप मन्त्री निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सुपर बाजार के प्राधिकारियों को सरकार ने आई० एन० ए० कालोनी में 224 दुकानों आवंटित कर दी हैं। उनसे रियायती किराया (एकोनोमिक रेन्ट) लिया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० धर्म तेजा द्वारा भूमि की खरीद

343. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा के सम्बन्धियों द्वारा खरीदी गई भूमि के सौदों के बारे में जांच पूरी हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों की स्मृति में खाली रखे गये सरकारी बंगले

344. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों की स्मृति में नई दिल्ली में किन-किन स्थानों में तथा कितने बंगले खाली रखे गये हैं; और

(ख) दिल्ली में मकानों की भारी कमी के बावजूद इनको कब तक खाली रखा जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों अथवा अन्य मंत्रियों की स्मृति में नई दिल्ली में सामान्य पूल में से कोई भी बंगला खाली नहीं रखा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shortage of Drinking water in Delhi

345. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri S. C. Samanta :
Shri A. K. Kisku :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri N. S. Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tribid Kumar Chaudhri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is shortage of drinking water supply in which Delhi which becomes more acute during the summer season;

(b) if so, whether Government have formulated certain schemes to overcome this shortage; and

(c) when these schemes will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy)

(a) There used to be acute shortage of water during Summer in the past. However, the position has now considerably improved.

(b) and (c) : Yes, Some Schemes have been formulated and some are under investigation for augmentation of Delhi's water supply All these schemes are expected to be completed during the next three Plan periods, subject to the availability of funds. But some schemes are expected to be completed during the IV Plan period.

Pending Income Tax Cases

346. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri S. M. Joshi :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Rabi Rai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases of dispute regarding the assessment of income or the amount of tax pending with the Income tax Department for more than two years at the end of 1966-67;

(b) the number of pending cases out of these and the number of years for which they were pending; and

(c) the measures envisaged Government for proper, and timely disposal of income tax cases ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :
(a) The number of Income-tax cases in which appeals are pending before the Appellate Assistant Commissioners for more than two years as on 31st March, 1967 is 7912.

(b) The break-up of such cases pending for more than 2 years is as below :

Pending from	Numer of cases.
1960-61 & earlier years.	189
1961-62	172
1962-63	531
1963-64	1478
1964-65	5542
	7912

(c) (i) A target date namely 31st March, 1969 has been fixed for campletion of arrear and current assessments in company cases and Higher Income cases.

(ii) Company cases and Higher income cases have been segregated and separate circles have been created for dealing with such cases

(iii) Instructions for relaxation of the scrutiny small incon e cases already exist. Recently the Board has again impressed upon the Commissioners the need

for a generous and liberal approach to the disposal of small income cases The Commissioners have been given the discretion to accept the returns even without scrutiny, in whatever type of cses they consider necessary.

(iv) A new system of functional distribution of work is being intrcduced in the Income-tax Department. This at present will over 716 Income tax Officers. Under this scheme, the assessment and collection functions will be bifurcated and this will enable increased disposal by the Income tax Officers engaged on assesment work.

कलकत्ता का विकास

347. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हृ० ना० मुकर्जी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता का विकास करने के लिए राज्य सरकार की 50 करोड़ रुपये की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हाल ही में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या परिणाम निकला है ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि वह कलकत्ता महानगर विकास योजनाओं को अन्तिमरूप देने में शीघ्रता करे। ये योजनायें राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के अभिन्न अंग हैं।

शांति सेना के स्वयंसेवक

348. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 मार्च, 1967 को शान्ति सेना के स्वयंसेवकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) राज्य वार उनकी संख्या क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना में कितने स्वयं सेवक कार्य कर रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1967 को, अमरीकी शांति सेना के 1256 स्वयंसेवक भारत में काम कर रहे थे :

(ख), से (घ) : दो विवरण संलग्न हैं। एक विवरण में शांति सेना के स्वयंसेवकों की राज्यों और प्रायोजनाओं के अनुसार नियुक्ति की सूचना दी गयी है और दूसरे

में प्रायोजनाओं का स्थूल ब्योरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 383/67**]

उर्वरक उद्योग में विदेशी विनियोजन

349. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स्वैल :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नियोजन को रियायतें देने के लिये समय सीमा में जो हाल ही में वृद्धि की गई है उसके पश्चात् उर्वरक उद्योग में सहयोग करने के लिऐ विदेशी फर्मों से कोई पेशकश प्राप्त हुई है ।

(ख) यदि हां, तो कितनी पेशकश प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पेशकशों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इन के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Income-Tax Evasion by Ujjain Firm

350. **Shri Ram Singh Ayarwal:**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whther it is a fact that one firm of Ujjain (Madhya Pradesh) named M/s. Ramlal and Jawaharlal has been evading heavy amount of Income-tax and Sales-tax for the last five years ; and

(b) the amount of Income-tax and Sales-tax recovered from this firm during the last five years, year-wise ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The Government of India have no information regarding evasion of Income-tax by this firm. The amount of Income-tax recovered from the firm during the last five years is as follows :—

1962–63	Rs. 4,432/-
1963–64	Rs. 4,854/-
1964–65	Rs 5,722/-
1965–66	Rs. 5,644/-
1966–67	Rs. 1,432/-

As regards the alleged evasion of Sales-tax and also the amount of Sales-tax recovered from the firm during the last five years, no information is available with the Government of India, as Sales Tax is collected by State Governments.

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

351. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बलराज मधोक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन आइल कारपोरेशन के उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम केन्द्रीय सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज किये जाने के पश्चात् उसे 77.26 लाख रुपये के आदेश दिये थे ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : सरकार द्वारा की जा रही जांच अभी चल रही है। जांच के पूरा होने पर भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही (यदि कोई हुई) का फैसला किया जायेगा ।

गोआ के बैंकों के लिए ऋणों की मंजूरी

352. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री ना० स्व० शर्मा
श्री शारदा नन्द :
श्री श्री गोपाल साबू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोआ के बैंकों को 4.45 करोड़ रुपये का ऋण अदायगी की शर्तें तय किये बिना ही मंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऋण की अदायगी की शर्तें अब तय कर ली गई हैं;

(ग) ऋण मंजूर करने से पूर्व शर्तें तय न करने का क्या कारण है; और

(घ) क्या इस अनियमितता के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : "कैक्सा इकोनोमिका द गोआ" और "बैंकों नेशनल अल्ट्रामेरीनो" नामक उन दो बैंकों के अभिरक्षक को, जिन्हें गोआ आजाद कराने के बाद संभाल लिया गया था, कुल 5.45 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। जिसमें से अब तक एक करोड़ रुपये की रकम वापस भी की जा चुकी है ।

(ख) ऋणों की वापसी की शर्तें अन्तिम रूप से तय नहीं की गयी हैं ।

(ग) गोआ, दमन और दीव (बैंक पुनर्निर्माण) विनियम, 1962 की धारा 6 के अन्तर्गत, भारत सरकार को, समय-समय पर अभिरक्षक को धन मुहैया करना पड़ता था,

ताकि वह बैंक के जमाकर्ताओं और दूसरे ऋणदाताओं की देनदारी का भुगतान कर सके। इस प्रकार दी गयी रकमों को ऋण माना जाता था। ऋणों की मंजूरी देते समय, उपर्युक्त देनदारियों का भुगतान करने के बाद बैंक की वसूली योग्य परिसम्पत्ति का हिसाब लगाना और मूल रकम की वापसी का कार्यक्रम तथा व्याज की दर निर्धारित करना सम्भव नहीं था। लेखा-परीक्षा द्वारा बैंकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा रहा है, और आशा है कि लेखा-परीक्षा का काम पूरा हो जाने के बाद, ऋण की शर्तें, तय कर ली जाएंगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) की दृष्टि से, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

परिवार नियोजन के लिये गोलियाँ

354. श्री पी० एम० सईद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जार्ज फरनेण्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार परिवार नियोजन के तरीके के रूप में गोली का प्रयोग आरम्भ करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) परिवार नियोजन को इससे किस हद तक प्रोत्साहन मिलेगा;

(घ) क्या इस गोली के प्रयोग के आरम्भ करने के साथ लूप का परित्याग करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने उस गोली का उत्पादन करने के निमित्त संयंत्र की स्थापना करने के लिये किसी देश से सहायता मांगी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) एक प्रयोगात्मक ढंग पर और सीमित रूप में गोलियों के प्रयोग को आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधान है तथा इस सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् और मंत्रालय की तकनीकी समिति से भी सलाह ली जा रही है।

(ख) बहुत जल्दी।

(ग) यह इस समय प्रयोग में आने वाले दूसरे तरीकों की कमी पूर्ति करेगा।

(घ) जी नहीं। गोली अन्य कार्यक्रमों की कमी पूर्ति के लिए है और यह उनमें से किसी का भी स्थान नहीं लेगी।

(ङ) जी नहीं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

355. श्री पी० एम० सईद :
डा० रानेन सेन :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह ग्रायरवाल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किसकू :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवेन सेन :
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाह-व्यय सूचनांक में 10 अंक की और वृद्धि हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब से लागू की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्णय करने से पहले सरकार मंहगाई भत्ते पर राजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों पर विचार करना चाहती है। आयोग को उन सिद्धान्तों की जांच करने के लिये कहा गया है जिनके आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। आशा की जाती है कि आयोग इस महीने के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगा।

356. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967--68 की वार्षिक योजना का आकार अब निर्धारित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब उसका आकार क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : केन्द्रीय तथा राज्य बजटों के प्रस्तुत हो जाने के बाद 1967–68 की सालाना योजना के लिये उद्व्ययों तथा लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना

357. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में धन लगाने के लिये और अधिक संसाधन जुटाने के लिये सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार, वर्ष 1967-68 के लिये कितना-कितना कुल धन जुटाये जाने का अनुमान है; और

(ग) उनका चौथी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि के लिये, राज्य-वार, कितना-कितना धन जुटाने का अनुमान है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से ग) : चौथी योजना को अन्तिम रूप अभी दिया जायेगा। फिर भी इस बीच राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे अपने-अपने राज्य में विकास कार्यक्रमों के लिये आवश्यकता पूर्ति के लिये संसाधन जुटाने का भरसक प्रयास करें।

जहाँ तक वर्ष 1967--68 का सम्बन्ध है कुछ राज्यों ने अपने प्रस्तावित बजटों में अतिरिक्त संसाधनों का हवाला दिया है परन्तु पूरी स्थिति, राज्यों द्वारा चालू वर्ष के लिये अपने अन्तिम बजट पेश किये जाने के बाद ही, स्पष्ट हो सकेगी।

नियत राशि से अधिक राशि का राज्यों द्वारा लिया जाना

358. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री स्वैल :
श्री किंकर सिंह :
डा० कर्णी सिंह:
श्री कोलाई बरुआ :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री जार्ज फरनेण्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कु :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री एम० सुदर्शनम :
श्री रामसेवक यादव :
श्री निहाल सिंह :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक राशि लिये जाने के सम्बन्ध में अप्रैल 1967 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ हुई बातचीत सफल रही;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये; और

(ग) क्या सब राज्यों ने नियत राशि से अधिक ली गई राशि का भुगतान कर दिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सम्मेलन में सामान्य रूप से यह मान लिया गया था कि राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) लेने से बचेंगी।

(ग) कुछ राज्य सरकारें निर्धारित राशि से अधिक ली हुई राशि को चुकाने में असमर्थ रहे हैं और उनसे इस मामले पर पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

उड़ीसा के लिये सिंचाई ऋण

359. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1955--56 से 1967--68 तक वर्ष-वार उड़ीसा राज्य को उसकी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है;

(ख) इन ऋणों पर सरकार को कितना ब्याज मिलना है; और

(ग) इन ऋणों पर अब तक ब्याज तथा पूंजी के रूप में कितनी धनराशि वसूल हो गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

छः वर्षीय योजना

360. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना को छः वर्षीय योजना बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किया है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है। यद्यपि, अप्रैल, 1967 में मुख्य मत्रियों के सम्मेलन में एक या दो मुख्य मंत्रियों ने सांयोगिक सुझाव दिया कि योजना में इस प्रकार संशोधन किया जाय जिससे वह पांच साल से अधिक अवधि की हो।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ

361. **श्री शारदा नन्द :**
श्री भारत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बृहद् योजना (मास्टर प्लान) का उल्लंघन करके कितनी अनधिकृत बस्तियां स्थापित की गई हैं तथा उनमें कितने-कितने मकान बनाये गये हैं; और

(ख) दिल्ली में मकानों की कमी को देखते हुए इन बस्तियों का विकास करने तथा उनमें उपयुक्त परिवर्तनों के बाद उन्हें विनियमित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 31 मार्च, 1967 को अनधिकृत बस्तियों की संख्या 186 है। इन बस्तियों में बनाये गये मकानों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली नगर निगम उन अनधिकृत निर्माणों के नियमतीकरण पर विचार कर रही है जो कि महत्वपूर्ण रूप में हैं; दिल्ली के मास्टर प्लान के लागू होने से पूर्व के हैं (अर्थात् 1 सितम्बर, 1962 से पूर्व) ; तथा जो दिल्ली के मास्टर प्लान की भूमि-उपयोगिता के प्रारूप का उल्लंघन नहीं करते तथा जो ले-आउट सर्विस प्लान में उचित रूप से ठीक बैठ सकें।

बैंकों द्वारा खाद्यान्न रखकर ऋण देना

362. **श्री उमानाथ :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री ई० के० नयानर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 25 जनवरी, 1967 को अनुसूचित बैंकों द्वारा खाद्यान्न रखकर ऋण देने सम्बन्धी अपने पहले निदेश में संशोधन किया है ;

(ख) क्या इस संशोधन से संकर अनाज के बीजों के स्टाक को रखकर ऋण देने को बैंक के नियंत्रण से छूट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फरवरी और मार्च, 1967 में कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(घ) उक्त अवधि में राज्य सरकारों ने कुल कितने व्यक्तियों को ऐसे बीजों का व्यापार करने का अधिकार दिया ?

उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, पर ऋण लेने वाले व्यक्ति को संकर अनाज के बीजों के स्टाक के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड) या सम्बद्ध राज्य सरकार का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि उसे संकर अनाज के बीजों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया है।

(ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

उपरि भवानी योजना

363. **श्री के० रमानी :**
श्री उमानाथ

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उपरि भवानी योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा और यह कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इससे कितनी भूमि में सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मद्रास सरकार ने अपर भवानी स्कीम को अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल कर लिया है।

(ख) इस स्कीम की जांच की जा रही है। इसलिए इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि यह स्कीम कब तैयार हो जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में बाढ़ नियंत्रण

364. **श्री स्वैल** **श्री कीकर सिंह**
श्री कर्ण सिंह **श्री आर० के० बिड़ला**
श्री कोलाई बरुआ

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षा ऋतु में बाढ़ को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : बाढ़ें तो प्राकृतिक घटनाएं हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। किन्तु इनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान को बाढ़ नियन्त्रण उपायों द्वारा, जहां भी ये तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से सम्भव हो, कम किया जा सकता है।

बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों को राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उनका निर्माण किया जाता है; वे ही इनका रखरखाव और प्रचालन करता करती है। केन्द्रीय सरकार से यदि प्रार्थना की जाती है तो वे राज्य सरकार को इसके सम्बन्ध में तकनीकी सहायता देती है। राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तीन योजनाओं के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए गए बाढ़ नियन्त्रण उपायों से लगभग 130 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचने की संभावना है।

अमरीकी सहायता

365. **श्रीस्वैल :** **श्री आर० के० बिड़ला :**
श्री कीकर सिंह : **श्री पी० एम० सईद :**
डा० कर्ण सिंह : **श्री कोलाई बरुआ :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : **श्री सी० जनार्दन् :**
श्री पी० सी० अदिचन : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा भारत के खाद्य उत्पादन और आर्थिक विकास के लिये चालू सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी सहायता दी गई है;

(ख) यह धन किन शर्तों पर किया गया है अथवा दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार इस धन का उपयोग किस प्रकार करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 384/67**]

बेल्जियम से सहायता

366. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रामपुरे :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री न० कु० सांघी :
श्री म० अ० प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 600 लाख बेल्जियाई फ्रेंक के ऋण के लिये भारत सरकार तथा बेल्जियम सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह ऋण किस उद्योग विशेष में उपयोग में बताया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस करार में चौथी आयोजना के लिए बेल्जियम से आवश्यक सामान तथा वहां के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए 600 लाख बेल्जियन फ्रेंक (लगभग 90 लाख रुपये) के ऋण की व्यवस्था की गयी है। इस ऋण की व्याज-दर 3 प्रतिशत है और इसे 1 अक्टूबर, 1972 से शुरू होने वाली 15 वार्षिक किस्तों से अदा किया जाना है ।

(ग) विशेष प्रकार के इस्पात और रासायनिक खाद के आयात के अलावा इस ऋण का निर्धारण विभिन्न उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों के लिए कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए किया गया है ।

छोटी बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि

367. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई हैं;

(ख) उसी अवधि में कितनी राशि निकाली गई; और

(ग) पिछले छ : महीनों की तुलना में यह राशि कितनी कम अथवा अधिक है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अक्टूबर, 1966 से मार्च 1967 तक की अवधि में, अल्प बचत योजना के अधीन लगभग कुल 279.53 करोड़

रुपये की रकम इक्टठी हुई (जिसमें, डाकघर बचत बैंक की जमा रकमों पर अनुमित व्याज की रकम भी शामिल है) ।

(ख) (लगभग) 201. 34 करोड़ रुपये ।

(ग) अप्रैल से सितम्बर, 1966 तक की अवधि में, छोटी बचतों के अन्तर्गत कुल 242 30 करोड़ रुपया इक्ट्ठा हुआ और 203. 36 करोड़ रुपया निकाला गया ।

आपातकालीन जोखिम बीमा प्रीमियम

368. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन जोखिम बीमा (सामान) योजना तथा (कारखाना) योजना के अन्तर्गत 1966-67 में बीमे की किस्त के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1965-66 में यह राशि कितनी थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) 1966-67 तथा 1965-66 में आपातकालीन जोखिम (सामान) तथा (कारखाना) बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रीमियम की रकमों के आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

	1966-67	1965-66
	(लाख रुपयों में)	
1. आहातकालीन जोखिम (सामान)		
बीमा योजना	74	5, 52
2. आपातकालीन जोखिम (कारखाना)		
बीमा योजना	72	15, 42

1966-67 के आंकड़े अन्तिम हैं ।

सरकारी उपक्रमों का आय-कर निर्धारण

369. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी उपक्रमों का आय-कर निर्धारण करने का कार्य कर निर्धारण वर्ष 1922-23 तक पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन उपक्रमों का आय-कर निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

प्रधान मंत्री का निवास स्थान

370. डा० कर्णी सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री शिव पूजन शास्त्री :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 259 के तारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के लिये एक स्थायी निवास स्थान निश्चित करने तथा उन्हें नये निवास स्थान में ले जाने के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधान मंत्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये निवास स्थान को नया रूप देने के काम पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी समवायों के आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को भारतीय तेल निगम में नौकरी

371. श्री बी० के० मोदक :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी तैल समवायों के फालतू कर्मचारियों को भारतीय तैल निगम में नौकरी की पेशकश की है;

(ख) यदि हां तो क्या इन कर्मचारियों को भारतीय तैल निगम में बिना परिवीक्षा काल के स्थायी काल के स्थायी सेवा में रखे जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या भारतीय तैल निगम में इन कर्मचारियों के वर्तमान वेतन सुरक्षित रखे जायेंगे; और

(घ) इस योजना से कुल कितने कर्मचारियों को लाभ होगा;

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) : वर्तमान आदेशों के अनुसार भारतीय तैल निगम लि० को निगम में रिक्त पदों पर विदेशी तेल कम्पनियों के फालतू कर्मचारियों को अधिमान देना है ।

निगम में लागू वेतन-मान (Scale of pay) के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं और प्रत्येक नई भर्ती के 12 महीनों की आवश्यक सामान्य परिवीक्षा काल की तरह ये भी निर्धारित हैं। एक नये अभ्यार्थी के प्रारम्भिक वेतन को निश्चित करने में उसके पिछले उपलब्धियों (Emoluments) को ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) 31-12-1966 तक भारतीय तैल निगम लि० में दूसरी तैल कम्पनियों के 276 अफसर और 404 कर्मचारी नियुक्त किये हैं । ऐसे कर्मचारियों की संख्या, जो भविष्य में भारतीत तैल निगम में रख लिये जायेंगे, समय-समय पर होने वाले रिक्त स्थानों पर निर्भर होगी ।

कैंसर की औषधियां

372. श्री रामपुरे : **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री एन० के० सांघी : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च 1967 में भारत का दौरा करने वाले रूसी प्रतिनिधि मण्डल से कैंसर की औषधियां बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने की सम्भावना के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) यह बातचीत मात्र पूछ-ताछ जैसी थी । इस विषय पर विचार तभी किया जायेगा जब रूसी अधिकारियों से कोई पक्का प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा ।

PL 480 Funds

373. Shri Bibhuti Mishra **Shri Dhuleshwar Meena**
Shri K. N. Tiwary **Shri K. Pradhani**
Shri Rama Chandra Ulka **Shri Heerji Bhai**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount drawnby the U. S. Embassy from that deposited in the Rupee account as sale proceeds of food grains imported under **PL 480** from November 1966 to March 1967 ; and

(b) the items on which the U. S. Embassy have spent this amount. ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The withdrawals from PL 480 funds from November 1966 to March 1967 were as follows :

Month	Amount (Rs. in Crores)
November 1966	4.12
December 1966	3·40
January 1967	3.05
February 1967	6.65
March 1967	350.06
Total	368·06

(b) The disbursements during the above period were :

	(Rs. in crores)
(i) Loans to the Govt. of India.	350.00
(ii) Grants to the Govt. of India.	5·11
(iii) Gooley loans.	2.44
(iv) U. S. Govt. expenditures (as per detal given in statement given below).	10.15
Total :	367·70

Statement

	(Rs. in crores)
I. Fxpenditure of the U. S. Embassy on :	
(i) Educational exchange programmes in India.	0.52
(ii) Agricultural programmes in India.	0.63
(iii) Other administrative and programme expenditures.	4·22
II. Experditure of the U. S. A. I. D. Mission :	1.42
III. Expenditure of the U. S. Information Service :	1.38
IV. U. S. Aid to Nepal :	1·37
V. Conversions into foreign currencies :	
(i) for agricultural market development :	0·17
(ii) for sale to America Tourists :	r.02
(iii) for sale to U. S. citizens and U. S. Foundations.	0·42
Total :	10·15

Taking over of Gandak Project

374. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N Tiwary :
Shri Deven Sen :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bishwanath Roy :
Shri Yashpal Singh :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the meeting of the Gandak Control Board was held at Patna in the third week of April, 1967 ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Board has accepted the proposal of the Irrigation Minister of Bihar that the construction work of the Gandak Project should be taken over by the Centre ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) and (c) The postal of the Irrigation Minister, Bihar, that the Centre should take over the Gandak Project was considered and endorsed by the Board. The Chairman of the Board agreed to write to the Central Government in this regard. This reference is awaited.

Ban Galows for Ministers

375. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Baburao Patel :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Works Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the scheduled rent per mensem separately of the residences allotted to the Central Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers ;

(b) the annual expenditure on their maintenance, cost of the furniture and of electric budgets provided at these residences separately ; and

(c) the extent of reduction which can be effected in the expenditure under these heads in view of the present economic conditions of the country ?

The Diputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) A statement Showing the rent or the house occupied by the Cabinate Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers is laid on the Table of the house. [**Placed in Library See No. L. T.–385/67**]

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Residences are allotted to the Ministers in accordance with the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 and the Ministers' Residences Rules, 1962, framed thereunder.

उड़ीसा की चौथी योजना

376. **श्री प्र० कु० देव :**
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा (ब्ल्यू प्रिंट) भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) उसके लिये किस प्रकार साधन जुटाये जाने का विचार है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । जिसमें उड़ीसा की चौथी योजना की व्यय व्यवस्था का निर्देश किया गया है । यह व्यय व्यवस्था 14 नवम्बर

1966 को योजना आयोग के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य मंत्री के मध्य विचार विमर्श के दौरान तय की गई है।

विवरण		लाख रुपये
	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	विचार विमर्श के बाद तय किया गया
कृषि कार्य-क्रम	7483	5700
समुदायिक विकास और सहकारिता	2267	1500
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1615	3900
बिजली	7315	6168
उद्योग और खनिज	5650	3950
परिवहन और संचार	3030	2900
सामाजिक सेवा	8063	5579
विविध	1158	303
कुल योग	**39581**	**60000**

(घ) चौथी योजना की व्यय व्यवस्था के लिये वित्तीय प्रबन्ध करने के बारे में राज्य सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि 150 करोड़ रुपये वह अपने साधनों से उपलब्ध करेगी और शेष केन्द्रीय सहायता के रूप में होगा।

जम्मू तथा काश्मीर में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण

377. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या पैट्रोलियन और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जम्बू तथा काश्मीर राज्य का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कितने समय से किया जा रहा है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ।

(ख) मई 1957 से।

(ग) अब तक व्यधित किये गये कम गहरे कुओं के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सरकारी उपक्रम

378. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कोई बड़ा सरकारी उपक्रम स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का उद्योग है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना के लिए अस्थायीरूप से प्रस्तावित स्कीमें ये हैं : एक सीमेन्ट कारखाने का निर्माण और ऊन, सिल्क, चमड़ा, सीमेन्ट निर्मित पाइप, कोयला आदि सम्बन्धी अनेक वर्तमान औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार और नवीनीकरण ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा दी गई सहायता

379. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) भारत ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अब तक नैपाल, भूटान, लंका तथा वर्मा को कितनी सहायता दी है: और

(ख) सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भारत ने कोलम्बो आयोजना के अधीन जो सहायता दी है, उसका ब्यौरा यह है :-

नेपाल : मार्च 1967 के अंत तक, वित्तीय और तकनीकी सहायता के रूप में 39.6 करोड़ रुपया ।

श्री लंका : मार्च 1967 तक, अधिकांशत; विशेषज्ञों भारत में दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं. और भैंसों की सप्लाई के रूप में 49.15 लाख रुपया ।

बर्मा : 31 दिसम्बर, 1966 तक, प्रशिक्षण के लिए जगहें देकर और विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में 3,18,085 रुपया ।

कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत भूटान को कोई सहायता नहीं दी गयी है, पर उसे बजट सम्बन्धी सहायता अवश्य दी जाती है ।

कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत, सारी सहायता अनुदान के रूप में दी जाती हैं ।

Plantation of Ayurvedic Herbs

380. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 238 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether any final decision has since been taken on the scheme of growing Ayurvedic herbs; and

(b) the amount likely to be invested therein and the probable profit to be earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : The matter is still under consideration.

Recovery of Watches.

381. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 203 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether Government have since conducted investigations into the recovery of watches amounting to Rs. 41 lakhs from a car on the 11th March, 1967; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Ministry of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) : The matter is still under investigation

Unaccounted Money

382. Shri Onkar Singh :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri S. C. Samanta :
Shri Vishwannath Pandey :

Will the Minister of finance be pleased to state :

(a) whether any scheme has been submitted to him by the chief Minister of Utter Pradesh to unearth unaccounted money add if so, the action being taken thereon ; and

(b) the amount of unaccounted money unearthed so far consequent on the steps taken by Government to that end ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir, The proposal submitted by Shri Charan Singh, Chief Minister of Utter Pradesh, is that Government should announce that all notes at present in circulation should be exchanged for new notes over a specified period, at the end of which the present series of notes will be demonetized. Those tendering notes will submit returns, to be checked in due course. It is also suggested in the scheme that it should be announced that this process will be repeated every five years or, if necessary, even earlier.

Government consider that demonetization will not serve any useful purpose. Parties tendering notes and offering plausible explanations of how they acquired these would have to general conversion facilities and it is likely that practically all notes will have to be converted. Also demonetization cannot deal with unaccounted wealth held in the form of bullion, land etc.

(b) Continuing efforts are made by Government to detect concealed incomes. The concealed income detected and assessed to income tax, financial year-wise is as follows :

	(Rs. in crores)
1963–64	13
1964–65	14
1965–66	21

The Information for the financial year 1966-67 is not yet available.

Besides the above, voluntary disclosures have been made details of which are given below (the information is as on 31-12-1966) :—

(i) Amount of undisclosed income disclosed u/s 68 of the Finance Act 1965 (60 : 40 Scheme) :	Rs. 52 crores
(ii) Amount of undisclosed income disclosed u/s 24 of the Finance (No. 2) Act, 1965 :	Rs. 145 crores.

(iii) Amount of undisclosed income disclosed under the normal provinsions of the Income-tax Act, namely see. 271 (4A) of the Income-tax Act, 1961 : } Rs. 28 crores.

In addition to the above, as a result of raids carried out by income-tax Department, substantial amounts of concealed income are expected to be assessed.

पी० एल० 480 निधि

383. श्री स्वैल : श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री कोकर सिंह : श्री घुलेश्वर मीना :
श्री डा० कर्णी सिंह : श्री के० प्रधानी :
श्री कोलाई बरुआ : श्री हीरजी भाई :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत वर्षवार कुल कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ख) उक्त अवधि में इस निधि के उपयोग का व्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले तीन वित्तीय-वर्षों में, भारत सरकार ने पी० एल० 480 निधि से ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल मिला कर 787.78 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त की । वर्षों के अनुसार इसका व्योरा यह है :

वर्ष		ऋण (करोड़ रुपयों में)	अनुदान (करोड़ रुपयों में)
1964-65		170.38	122.00
1965-66		80.00	60.17
1966-67		350.00	5.23
	जोड़	600.38	187.40

(ख) इस रकम के इस्तेमाल का व्यौरा साथ के पृष्ठ पर दिया गया है (अनुबन्ध क) **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 386/67]**

संसदीय कार्य में लगाये गए व्यक्तियों के लिये विशेष भत्ता

384. श्री रामचरण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायकों तथा उच्च श्रेणी क्लर्कों को छोड़कर,उन अराज पत्रित कर्मचारियों को, जिन्हें पूरे समय के लिए संसदीय कार्य में लगाया हुआ है, विशेष भत्ता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मारारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) संसदीय सहायकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता अतिरिक्त-समय-भत्ते के स्थान पर दिया जाता है। इसके देने का मुख्य कारण यह है कि अतिरिक्त समय के भत्ते की अदायगी के लिए कुछ अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। संसदीय कार्य करने वाले अन्य अराज पत्रित कर्मचारियों की स्थिति वैसी नहीं है तथा उनके मामले में अतिरिक्त-भत्ते की अदायगी करने में कोई कठिनाई नहीं होती, इसलिये उन्हें विशेष भत्ते की मंजूरी देने का कोई कारण ही नहीं है।

नार्थ और साउथ एवेन्यू में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के लिये आवास स्थान

386. श्री रामचरण : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने डाक्टर नार्थ और साउथ एवेन्यू में में स्थित डिस्पैंसरियों के भवनों में रह रहे है; और

(ख) उन्हें किस टाइप का आवास स्थान दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) नार्थ एवेन्यू की डिस्पेन्सरी के ऊपर केवल दो टाइप IV क्वार्टर उपलब्ध हैं। ये क्वार्टर दो मेडिकल अफसरों को दिये गये हैं। साउथ एवेन्यू डिस्पेन्सरी में रहने के लिए मकान की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत योजनायें

385. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1967–68 में अपने विद्युत तथा सिंचाई कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये अतिरिक्त ऋण की माँग की है; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) 1967–68 के दौरान अपनी बिजली योजनाओं पर धन लगाने के अतिरिक्त ऋण सहायता के लिए उडीसा सरकार से अभी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु उड़ीसा सरकार ने प्रार्थना की है कि महानदी डेल्टा सिंचाई स्कीम के लिए 1967–68 के वर्ष के दौरान 1.52 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शीघ्रति-शीघ्र दी जाए। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा की चौथी योजना

387. श्री के० प्रधानी
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की चौथी योजना के पहले वर्ष के लिये योजना-परिव्यय में 2 करोड़ 25 लाख रुपये की कटौती करदी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पहले वर्ष के लिये राज्य के निमित्त आरम्भिक योजना परिव्यय कितना था;

(ग) कटौती करने के पश्चात् अब यह कितना रह गया है;

(घ) उड़ीसा राज्य योजना के पहले वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार का कितना हिस्सा है;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा योजना-परिव्यय में कटौती किये जाने के फलस्वरूप किन-किन मदों पर प्रभाव पड़ा है; और

(च) योजना-परिव्यय में कमी करने के क्या कारण हैं ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : जी, नहीं। योजना आयोग ने उड़ीसा की चौथी योजना के पहले वर्ष के लिए योजना उद्व्यय में कोई कटौती नहीं की है।

(घ) उड़ीसा के लिए 1966-67 के लिए 45.77 करोड़ रुपये के सालाना योजना उद्व्यय में से केन्द्रीय सहायता की राशि 24.70 करोड़ रुपये थी।

(ङ) और (च) : प्रश्न ही नहीं उठता।

इड्डिकी पन बिजली परियोजना

388. **श्री के० एम० अब्राहम :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने के लिए राशि निर्धारित की है जिनकी भूमि केरल स्थिति इड्डिकी पन-बिजली परियोजना के लिए अर्जित करली गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस दर पर ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) भूमि देने तथा पुनर्स्थापन की सुविधाएँ उपलब्ध करने के अतिरिक्त केरल सरकार, हाल ही के आदेशानुसार, निम्नलिखित रूप से लगभग 35000 रुपये कुल मुआवजा विस्थापितों को देगी।

(1) विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए दी गई भूमि के सुधार की लागत जो कि केरल कम्पेन्सेशन फार टेनेन्टस इम्प्रुवमैंट एक्ट, 1958 के अनुसार निर्धारित होगी।

(2) जो विस्थापित सुधार की लागत के रूप में मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं हैं या जिनका मुआवजा 100 रुपये से कम बनता है उन्हें 100 रुपये प्रति विस्थापित अनुदान दिया जायगा।

(3) यदि कोई फसल उस भूमि में खड़ी है तो उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा और उन भूमि वालों को वह फसल ले जाने की इजाजत होगी अथवा दूसरी सूरत में यदि फसल का मूल्य 100 रुपये से अधिक हुआ तो उसको मुआवजा मिलेगा।

औद्योगिक कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण

389. श्री के० एम० अब्राहम : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : औद्योगिक कर्मचारियों के मकानों के लिए ऋण तथा आर्थिक सहायता देने की योजना सितम्बर, 1952 से चल रही है। इसे अब समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त संयुक्त आवास योजना के नाम से जाना जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 2 (1) के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों तथा माइन्स एक्ट 1952 की धारा 2 (एच०) के अर्थ में आने वाले खान कर्मचारियों (कोयला तथा माइका की खानों में संलग्न कर्मचारियों के अलावा) तथा उनके लिए जिनकी मासिक आय 350 रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना में भारत सरकार के द्वारा दीर्घकालीन ब्याज-युक्त ऋण तथा उदार आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

केन्द्रीय आर्थिक सहायता जो कि विभिन्न टाइप के रिहायशी यूनिटों के लिए निर्धारित सीमा लागत पर आधारित है निम्नांकित सीमा तक मान्यता प्राप्त निर्माण एजेंसियों को दी जाती है :

मान्यता प्राप्त एजेन्सी	ऋण	सहायता
1 राज्य सरकारें स्टेच्यूरी हाउसिंग बोर्ड तथा नगरपालिका निकाय (म्यूनिसीपल बॉडीज	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2 पात्र कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी समितियाँ	65 प्रतिशत	25 प्रतिशत
3 उद्योग मालिक	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

परिवार नियोजन के लिये राज्यवार नियतन

390. श्री पी० पी० एसथोस : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातों के बारे में राज्यवार जानकारी दी हो :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लिये कितना धन नियत किया गया था;

(ख) उस पर कितना खर्च किया गया तथा कितना लक्ष्य पूरा हुआ ; और

(ग) परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम में और क्या सफलताएं मिली हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 387/67**]

तिब्बा (राजस्थान) के निकट प्राकृतिक गैस

391. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को राजस्थान के जयपुर जिले में तिब्बा के निकट प्राकृतिक गैस मिली है;

(ख) क्या यह गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सके और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या खोज कार्य आगे जारी है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जैसलमैर जिले में मनहेर तिब्बा नामक स्थान पर हाल ही में व्यधित एक कुंए में गैस पाई गई।

(ख) और (ग) इस मालूमात के महत्व को जानने के लिए कुछ और कुओं का व्यधन करना पड़ेगा।

मेहरपुर निराश्रित-गृह के व्यक्ति

392. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मेहरपुर गृह, कचार के निराश्रित गृह के निवासियों को उनकी वित्तीय सहायता अथवा बेरोजगारी भत्ता विकसित रूप से नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मकानों को उचित तरीके से नहीं रखा जाता है और कुछ इमारतें तूफान के कारण पहले ही गिर चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार निराश्रित-गृह के निवासी नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं।

(ख) गृह की इमारतों के उचित अनुरक्षण के लिये राज्य सरकार सभी सम्भव देख

रेख रखती है। तो भी सफेद-चींटियों द्वारा हानि पहुँचाये जाने तथा तूफान के कारण कुछ इमारतें गिर गई;

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि इमारतों की आवश्यक मरम्मत के लिये उन्होंने आदेश जारी कर दिये हैं।

पोंग बांध के कारण निकाले गये व्यक्ति

393. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) पोंग बांध बनाने के कारण जो लोग उजाड़े गये थे उनमें से कितने राजस्थान में 15 मई 1967 तक फिर बसा दिये गये हैं;

(ख) राजस्थान में उनसे प्रति एकड़ भूमि का कितना मूल्य वसूल किया गया है;

(ग) पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में उन्हें प्रति एकड़ भूमि का कितना मुआवजा दिया गया है; और

(घ) उन्हें फिर बसाने के सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 15 मई, 1957 तक पोंग बाँध के 208 विस्थापितों को राजस्थान में भूमि दी गई।

(ख) विस्थापितों को दी गई हलकी चिकनी मिट्टी वाली और बालू-युक्त चिकनी मिट्टी वाली भूमि की दरें क्रमशः 576 रुपये और 448 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गईं। राजस्थान नहर परियोजन पर सिंचाई की मात्रा बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप दरें फिर से निर्धारित की जाएंगी।

(ग) विस्थापितों को प्रति एकड़ भूमि के बदले में मुआवजा देने की दरें भूमि की श्रेणी के अनुसार गांव-गांव में भिन्न हैं। सिंचित भूमि का मुआवजा 883 से 2213 रुपये प्रति एकड़ तक और असिंचित भूमि का मुआवजा 422 से 1739 रुपये प्रति एकड़ के दर से दिया गया है।

(घ) विस्थापितों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :—

(1) एक झोंपड़ी या अस्थायी रूप से रहने को स्थान।

(2) 2000 रुपये प्रति परिवार मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जाता है।

(3) पुनर्वास चकों में पीने के पानी के लिए पक्की डिगियों का प्रबन्ध किया जाता है।

(4) नई आबादियों में आवश्यकतानुसार चिकित्सालय, स्कूल, लिंक सड़कों आदि का प्रबन्ध किया जाता है।

(5) ऊँट/बैल, अच्छे बीज क्रय करने के लिए तकावी कर्जे; किराये पर ट्रैक्टर दिलाने की सहायता आदि जैसी अन्य सुविधायें दी गई हैं।

Sewage System in Delhi.

394. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received any plan from the Delhi Municipal Corporation for laying sewage system in the colonies of Delhi across the Jamuna; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) (i) Shahdara Sullage Scheme (Part I) estimated to cost Rs. 0. 49 lakhs has been approved by the Central Public Health Engineering Organisation.

(ii) A Sewerage Scheme for providing Trunk Sewers for part of Shahdara area estimated to cost Rs. 304.95 lakhs is under technical examination of the Central Public Health Engineering Organisation.

D. D. A. Plots

395. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the area of land acquired by the Delhi Development Authority so far since 1962;

(b) the number of plots auctioned or sold after developing that area;

(c) whether Government are aware that the pace of progress in the work of the Delhi Development Authority is comparatively slow; and

(d) if so, the steps taken by Government to accelerate the progress ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works. Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) 8,040 acres.

(b) 4,361 residential and 593 industrial plots upto the 30th April, 1967.

(c) Yes, Sir. The principal bottlenecks inhibiting the progress of development of land are (i) delay in providing water supply and trunk services and (ii) court injunctions about possession of certain plots.

(d) The Delhi Development Authority have been asked to make inter im arrangements, where possible, for providing water supply and sewage disposal by means of tube wells and tanks.

M/s Mechanzies and Oriental Timber Trading Corporation Ltd.

396. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of contracts obtained by M/s Mechanzies Limited and Oriental Timber Trading Corporation from Heavy Engineering Corporation, Ranchi, Hindustan Photo Film Corporation, Ootacumand and Hindustan Steel, Rourkela;

(b) whether it is a fact that these Companies earned huge profits but the amount shown in the books is very small;

(c) whether it is also a fact that the Accounts of both the Companies have not been audited although these should have been audited in accordance with the Company Law;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the results of the enquiry conducted by Government ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The values of contracts taken by joint venture of Mackenzics Limited and Oriental Timber Trading Corporation are as follows :—

(1) From Heavy Engineering Corporation :		Rs. 63, 84,000
(2) From Hindustan Photo Film Corporation :		Rs. 69,43,000
(3) From Hindustan Steel, Rourkela :	About	Rs. 2 crores.

(b) Since the assessments are still pending, no firm conclusions have been arrived at as to whether huge profits have been earned or whether the profits earned have been fully shown in the books.

(c) The accounts of both the Companies viz., Mackenzies Ltd. and Orientai Timber Trading Corporation Ltd. have been audited according to Company Law requirements.

(d) Does not arise.

(e) The assessments are in progress.

अखिल भारतीय सिंचाई आयोग

397. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के अन्त तक कितनी सिंचाई परियोजनायें (बड़ी और मध्यम) आरम्भ की गई थीं; और

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कितनी भूमि में सिंचाई की जा सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रथम तीन योजनाओं के दौरान 500 बड़ी व मंझली स्कीमों को कार्यान्विन के लिए हाथ में लिया गया था।

(ख) पूर्ण होने पर इन स्कीमों से 440 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न होगी।

इड्डिकी जल विद्युत् परियोजना

398. **श्री वासुदेवन नायर :** (क) क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में स्थित इड्डिकी जल विद्युत् परियोजना में सहायता के लिए कनाडा की फर्म के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की क्या शर्तें हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बाह्य सहायता कार्यालय, कनाडा से प्राप्त पुनरीक्षित ऋण करार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। कनाडा की फर्म के साथ समझौता करने का प्रश्न ऋण करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही उठेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्रप्रदेश में सिंचाई योजनायें

399. श्री के० सूर्यनारायण : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ बड़ी सिंचाई योजनायें केन्द्र के पास स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं तथा उनके प्रस्ताव कब पेश किये गये थे; और

(ग) क्या वे योजनायें स्वीकृत हो गई हैं तथा क्या कुछ वित्तीय सहायता दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तुंगभद्र उच्च स्तरीय नहर चरण-2 ही एक ऐसी नई बड़ी सिंचाई स्कीम है जिसको आन्ध्रप्रदेश सरकार ने केन्द्र की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है ।

(ख) आन्ध्रप्रदेश सरकार ने इस स्कीम को अप्रैल, 1966 में प्रस्तुत किया था ।

(ग) इसे योजना आयोग ने जनवरी, 1967 में अपनी स्वीकृति दे दी थी । इस स्कीम के लिए कोई निर्धारित राशि नहीं दी जा रही है । किन्तु राज्य सरकार को विविध विकास ऋणों द्वारा सहायता दी जाती है, ताकि वे योजना में सम्मिलित सिंचाई परियोजनाओं पर, और स्कीमों के साथ-साथ, धन लगा सकें ।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

400. श्री के. सूर्यनारायण : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोल्लेरा झील बुदाखेरा आदि जैसी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर मित्रा समिति के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) कथित योजनाओं का कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) इन योजनाओं पर कितनी राशि व्यय होगी तथा बाढ़ नियंत्रण द्वारा लगभग कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मित्रा समिति के सुझावों के कार्यान्विन के लिए अपेक्षित कार्यों के प्रथम चरण के लिए आंध्रप्रदेश सरकार ने हाल ही में विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं । प्रथम चरण में यह कार्य अपेक्षित हैं :

(1) 15000 क्यूसेक की निस्सार क्षमता के लिए उप्पूतेरू निकास मार्ग में सुधार,

(2) थम्मिलेरू के ऊपर एक बाढ़ रोक जलाशय,

(3) कृष्णा और गोदावरी डेल्टा प्रणाली की नालियों में सुधार,

(4) वर्तमान रोमपेरू सीधी काट का विस्तार, तथा

(5) विक्कावोल ड्रेन को चौड़ा करना ।

(ख) राज्य सरकार का यह विचार है कि इस प्रकार चरण पर चौथी योजना के दौरान को चालू कर दिया जाये और उन्होंने हाल ही में यह सूचित किया है कि उनके राज्य की चौथी योजना में इस उद्देश्य के लिए 1.6 करोड़ रुपये का बन्दोबस्त कर दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार का अनुमान है कि प्रथम चरण की अनुमति लागत लगभग 10.66 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने यह बताया है कि इस योजना से 1,35,136 एकड़ उस भूमि की बाढ़ों से रक्षा होगी जहाँ चावल उगता है औप 13,254 एकड़ उस भूमि की रक्षा होगी जहाँ खुश्क फसलें उगाई जाती हैं और कि कोल्लेरू झील तल में दस हजार एकड़ नई भूमि को भी सिंचाई के अर्न्तगत लाया जा सकता है।

लहसुन से कुष्ठ रोग की औषधि तैयार करना

401. **श्री इ० के० नयानर :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थिति केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था ने लहसुन से कुष्ठ रोग की कारगर दवाई बनाने का एक तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो यह तरीका कब निकाला गया था क्या इसकी उपादेयता का परीक्षण कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान में 1960 में लहसुन से जो औषधि तैयार की गई थी वह अपने प्रारम्भिक परीक्षणों में कुष्ठ रोग के लिए कारगर सिद्ध हुई है। इन प्रभावों की पुष्टि के लिए और आगे परीक्षण किये जा रहे हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी

402. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के गोल मार्किट और किदवई नगर' नई दिल्ली में स्थित दोनों आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी है; ?

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगियों ने इस प्रकार की शिकायतें औषधालयों में रखें 'शिकायत रजिस्टर, में दर्ज की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन दोनों औषधालयों में औषधियों की पर्याप्त और नियमित सप्लाई के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : जी हां, मांग कभी कम कभी ज्यादा होने से दवाइयों की कुछ कमी रही है।

(ग) आयुर्वेदीय दवाइयों की आवश्यकताओं के निर्धारण तथा उन्हें प्राप्त करने एवं देने की वर्तमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा की जारही है ताकि इन डिस्पेन्सरियों में दवाइयां मांग के अनुकूल पर्याप्त मात्रा और नियमित रूप में दी जाती रहें।

दिल्ली में एक और आयुर्वेदिक औषधालय की आवश्यकता

403. श्री प० ला० बारूपाल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीबाग से लेकर लाजपत नगर तक, समस्त दक्षिण दिल्ली की आवश्यकताओं के लिये एक ही आयुर्वेदिक औषधालय है, जो किदवई नगर में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषधालय में प्रति-दिन 400 से अधिक रोगी आते हैं;

(ग) क्या इन सभी रोगियों को देखने के लिये वहाँ केवल दो ही डाक्टर हैं जबकि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्य एलोपैथिक औषधालय में, जहाँ इस संख्या से भी कम रोगी आते हैं, अधिक डाक्टरों का प्रबन्ध है;

(घ) क्या दक्षिण दिल्ली में, प्राथमिकता से मोतीबाग में, एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सरकार का विचार है, जिससे कि उन क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) किदवईनगर स्थित आयुर्वेदीय डिस्पेंसरी निम्नलिखित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है :

1. चाणक्यपुरी
2. कस्तूरबा नगर
3. किदवई नगर
4. लाजपत नगर
5. लक्ष्मीबाई नगर
6. लोदी रोड–I
7. लोदी रोड–II
8. मोती बाग
9. नानकपुर
10. नौरोजी नगर
11. नेताजी नगर
12. पंडारा रोड
13. सरोजिनी नगर–I
14. सरोजिनी नगर–II
15. सरोजिनी नगर मार्किट
16. श्रीनिवासपुरी
17. एण्ड्रयूजगंज
18. जगपुरा
19. मालवीय नगर
20. कालकाजी
21. रामकृष्ण पुरम–I
22. रामकृष्ण पुरम–II
23. रामकृष्ण पुरम–III
24. रामकृष्ण पुरम IV
25. वेलजली रोड
26. हौज खास

(ख) 1966-67 में रोगियों की औसत दैनिक संख्या 228 थी।

(ग) इस डिस्पेंसरी के लिये वैद्यों के तीन स्थानों की मंजूरी है जिसमें से दो पर नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं और तीसरी नियुक्ति के लिये कार्यवाही की जारही है।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय

404. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत गोल मार्केट और किदवई नगर में चलने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों के डाक्टर रोगियों के लिये औषधियाँ नहीं मंगा सकते और न ही रोगियों को उन औषधियों की लागत की प्रतिपूर्ति उस प्रकार की जाती है, जिस प्रकार कि अन्य ऐलोपैथिक औषधालयों के सम्बन्ध में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने का है, और यदि हाँ, तो कब ?

'स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों में अधिकांश दवाइयों का स्टाक रखा रहता है और वे हितग्राहियों को देदी जाती हैं । जहां कोई ऐसा स्टाक तुरन्त उपलब्ध न हो वहां दवाइयां मँगाली जाती हैं और रोगियों को दूसरे दिन दे दी जाती हैं । आपाती मामलों में रोगियों को इस कार्य के लिए मान्यता प्राप्त केमिस्ट से दवाइयां लाने के लिए पर्ची दे दी जाती है जो यथा समय उसका बिल केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को भेज देता है परन्तु दवाइयां रोगी को वहीं और उसी क्षण दे दी जाती है । आयुर्वेदीय दवाइयां देने के लिए ऐसी कोई पद्धति नहीं है । पहले तो आयुर्वेदीय दवाइयों की कोई योग-संहित (फार्मुलरी) नहीं है दूसरे में कोई मान्यता प्राप्त दवाफरोश (केमिस्ट) भी नहीं हैं जिसे इस काम के लिए नियुक्त किया जा सके आयुर्वेदीय डिस्पेन्सरियों के डाक्टर केवल वे ही दवाइयां दे सकते हैं जो डिस्पेन्सरियों में उपलब्ध हों । आयुर्वेदीय दवाइयों के स्टाक रखने के वर्तमान प्रबन्धों में सुधार करने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

"फोलिडोल" का उत्पादन तथा बिक्री

405. श्री मुहम्मद इमाम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "फोलिडौल" के गलत प्रयोग से प्रतिवर्ष असंख्य लोगों और पशुओं की मौत हो रही है; और

(ख) इसके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

क्या सरकार ने परिवार नियोजन के विज्ञापनों के सम्बन्ध में कुछ आधार सूत्र बनाये हैं, जिससे ऐसे विज्ञापनों के नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखा जा सके; और

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परिवार नियोजन संबंधी विज्ञापन

406. प्रो० समर गुह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के विज्ञापनों के सम्बन्ध में कुछ आधार सूत्र बनाये हैं, जिससे ऐसे विज्ञापनों के नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखा जा सके; और

(ख) क्या सरकार परिवार नियोजन से सम्बन्धित विज्ञापनों के लिये उन नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जिन्हें हमारे देश में ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त है आधार सूत्र बनाने में, सहायता के लिये, कुछ चुने हुए संसद् सदस्यों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । सरकार द्वारा बनाई गयी विभिन्न माध्यम समितियों के अतिरिक्त एक "राष्ट्रीय जनसाधारण (मास) शिक्षा सलाहकार समिति" को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें संसद् सदस्य, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विज्ञापन तथा अन्य माध्यमों के विशेषज्ञ तथा पत्रकार सम्मिलित किये जायेंगे । यह समिति जनसाधारण को परिवार नियोजन से सम्बन्धित शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने और जनसाधारण-शिक्षा तथा माध्यम कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने वाले आधार सूत्रों को तैयार करने में मदद करेगी ।

समुद्र के नीचे तेल संसाधन

407. प्रो० समर गुह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के नीचे कच्चे तेल का पता लगाने के लिये सुन्दरवन और मिदनापुर के निकटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में तेल मिलने की कोई निशानी मिली है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के कोई चुम्बकीय सर्वेक्षण भी किये गये हैं और यदि हां, तो किस एजेंसी द्वारा; और

(घ) भारत के विभिन्न समुद्र तटों में समुद्र के नीचे तेल संसाधनों के बारे में पूरा विवरण कब प्राप्त हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं कहा जा सकता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अन्वेषण कार्य अभी चल रहा है, इसलिये अभी निश्चित् तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

हरियाणा में सिंचाई की सुविधाएँ

*** 409. श्री रणधीर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा राज्य का विकास अपने आरम्भिक चरण में है और इसके संभाव्य संसधानों का उपयोग नहीं किया गया है, क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तंगत कृषि सुविधाओं नलकूपों के लिये बिजली देने, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी जमा है नालियाँ बनाकर पानी निकालने और नहरों के मार्ग निर्धारण आदि के लिये धन आवंटित करके हरियाणा राज्य के मूल्यवान कृषि संसधानों का उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इन सभी श्रेणियों की स्कीमें हरियाणा सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल है । धन के खण्डश: आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देहातों में गृह-निर्माण कार्यक्रम

*** 410. श्री राने :** क्या निर्माण, **आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में देहातों में गृह-निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि दी गई;

(ख) उक्त योजना के अर्न्तगत केन्द्रीय सहायता से कितने नये देहातों अथवा मकानों का निर्माण किया गया; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में भुसावल, मलकापुर ताल्लुकों और आदिलाबाद पेटा के देहातों में जो बाढ़ में पूर्णतया बह गये थे, देहाती गृह-निर्माण कार्य-क्रम आरम्भ किये जाने के बारे में वर्ष 1962 में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न क में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 388/67]**

(ग) जी हां । इस विषय पर माननीय सदस्य के द्वारा इस मन्त्रालय के तत्कालीन उप-मन्त्री को लिखा गया पत्र मार्च, 1962 में प्राप्त हुआ था । क्योंकि ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तंगत ग्रामों का चयन राज्य सरकारों से संबन्धित है अतएव यह मामला महाराष्ट्र सरकार के नोटिस में ला दिया गया था, जिन्होंने माननीय सदस्य को इस पर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से सूचित कर दिया था ।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

411. श्री प्र० कु० घोष : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया के बाइकार्बोनाइट का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है; और

(ख) इस उत्पाद को वितरित करने का प्रबन्धकों द्वारा क्या तरीका अपनाया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) 1300 मीटरी टन।

(ख) समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन के उत्तर में टैण्डरों के आधार पर और भारतीय उर्वरक निगम लि० के निदेशकों के बोर्ड से अनुमोदन के बाद चुने गये अधिकृत प्रादेशिक वितरकों द्वारा, यह उत्पाद वितरित किया जाता है।

चेचक का टीका

412. श्री प्र० कु० घोष :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने एक करोड़ डौज चेचक के टीके और दो जैट-गन वैक्सीन इंजेक्शन दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका प्रयोग देश के किन क्षेत्रों में किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) अमेरिका की अन्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने भारत सरकार को जमा कर सुखायी गयी चेचक वैक्सीन की 1 करोड़ 9 लाख मात्रायें तथा 26 जैट इंजैक्टर दिये हैं।

(ख) अभी तक दिल्ली में ही।

केन्द्रीय सरकार पर ऋण

413. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार पर 1950–51 से अब तक कर्ज की रकम पाँच गुना बढ़ गई है जिसमें विदेशों से लिये गये ऋण की मात्रा सबसे अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर नियन्त्रण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) विकास कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित धन को जुटाने हेतु ऋण के माध्यम से सरकारी संसाधनों को बढ़ाना एक मान्यता प्राप्त तरीका है। यद्यपि कम से कम ऋण लेने का प्रयास किया जाता है, परन्तु देश की वर्तमान विकास की स्थित में राष्ट्र ऋण का बढ़ना अनिवार्य है।

बकाया आयकर

414. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 के अन्त तक कितना आयकर वसूल करना शेष था;

(ख) क्या इस राशि में विगत वर्ष की बकाया राशि भी शामिल हैं;

(ग) यदि हाँ, तो विगत वर्ष की बकाया राशि क्या है; और

(घ) आयकर की वसूली को तेज करने तथा किसी पर आयकर बकाया न रहे इसके लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 528.11 करोड़ रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले वर्ष अर्थात् 1966–67 की जिन बकाया रकमों की 31–3–1967 को वसूली होनी बाकी थी, वे 270.35 करोड़ रुपये की थी ।

(घ) इस सम्बन्ध में प्रयुक्त महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं :–

(i) वसूली का काम राज्य सरकारों के पास से धीरे-धीरे आयकर विभाग द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है । मैसूर राज्यों में तो यह काम आयकर विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है, तथा गुजरात राज्य में आंशिक रूप से हाथ में लिया गया है । चालू वर्ष में बाकी राज्यों का काम हाथ में लेने का विचार है ।

(ii) पूरी तरह से वसूली के काम पर ही लगाये गये आयकर अधिकारियों को वसूली का काम सौंपा जा रहा है ।

(iii) बकाया मांगों की रकमों की शीघ्र वसूली के काम की देखभाल के लिए आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में विशेष वसूली एककों के बनाये जा रहे हैं ।

(iv) जिन मामलों में 5 लाख रुपये से अधिक की रकम की मांग की वसूली बकाया हो, उनको, समय-समय पर, निरीक्षण निर्देशालय (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) द्वारा समीक्षा की जायगी ।

मन्त्रालयों के लिए भवनों का निर्माण

415. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः वर्षों में विभिन्न मन्त्रालयों के लिये नये भवनों के निर्माण पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ख) ऐसे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं को जारी रखने पर कितना खर्च आयेगा ;

(ग) क्या इस प्रकार के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित नीति पर समय-समय पुनर्विचार किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) लगभग 7.44 करोड़ रुपये ।

(ख) बनाई जा रही इमारतों में लगभग 116 लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(ग) और (घ) : 31 दिसम्बर, 1966 को 64.38 लाख वर्ग फीट कार्यालय वास की मांग निर्धारित की गयी थी । 53.60 लाख वर्ग फीट का वास उपलब्ध था, जिसमें लगभग 21 लाख वर्ग फीट पट्ठे तथा अधिग्रहीत भवनों तथा अस्थाई हटमैन्टों का वास शामिल है । क्योंकि गैर सरकारी भवनों को किराये पर लेने की अपेक्षा स्थाई भवनों का निर्माण अधिक बचतपूर्ण है अतएव यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कमी को पूर्ण करने के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार, ऐसे भवनों का निर्माण जारी रखा जाये ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता

416. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री नारायन स्वरूप शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री ब्रजभूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्टरों तथा योजनाओं की क्रियान्विति के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रुचि न लिये जाने के कारण परिवार नियोजन योजनाओं के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) चालू वर्ष में परिवार नियोजन सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्ति इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुचि लें तथा इन योजनाओं को कारगार बनायें, इस हेतु क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यकम बढ़ा दिये गये हैं । शैक्षिणिक विधियों के विस्तार तथा परिवार नियोजन सेवाओं के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सावधानी बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रशिक्षण और औरिएन्टेशन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है । मामलों के उचित चयन, ठीक परामर्श और उचित देखभाल के लिए जोर डाला जा रहा है । अच्छा कार्य करने वालों को मान्यता, पुरस्कार और इनाम देने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) कार्यक्रम में काफी प्रगति हुई है और वह इस प्रकार है :–

(1) छोटा परिवार रखने के सम्बन्ध में कार्यक्रम द्वारा की गई व्यापक जाग्रति ।

(2) नसबन्दी आपरेशन और गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) पहचानने की संख्या में वृद्धि, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

गत पाँच वर्षों में किये गये नसबन्दी आपरेशनों की संख्या :–

वर्ष	किये गये नसबन्दी आपरेशन
1962	157816
1963	169527
1964	269272
1965	468872
1966	790438
	योग 1855970

1965 और 1966 में पहनाये गये गर्भाशयी गर्भरोधकों कें (लूप) की संख्या :–

वर्ष	पहनाये गये लूप
1965	463592
1966	1019715
	योग 1483307

(गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) कार्यक्रम 1965 में आरम्भ किया गया था)

(घ) 28 करोड़ रुपये

अराजपत्रित कर्मचारियों की छंटनी

417. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन में व्यय कम करने के अभिप्राय से अराजपत्रित कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन किन मन्त्रालयों/विभागों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : सरकार इस बात के लिए तो उत्सुक है कि प्रशासन पर होने वाले व्यय को कम किया जाये, किन्तु

अराजपत्रित कर्मचारियों की सामान्य तौर पर अथवा उसी निमित्त छंटनी करने की कोई योजना नहीं है। वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किये गये कार्य-अध्ययन के कारण अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा कार्य-प्रणालियों में सुधार करने के कारण समय समय पर कर्मचारी अतिरिक्त पाये जा सकते हैं। इन अतिरिक्त कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने के लिए गृह मन्त्रालय में एक विशेष कक्ष काम कर रहा है।

पंजाब और हरियाणा में बिजली का बन्द हो जाना

418. श्री मीठा लाल : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा में हाल ही में चार दिनों से अधिक समय तक जो बिजली बन्द रही थी उसका कारण था तोड़-फोड़ की कार्यवाही;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी जाँच की गई है; और

(ग) जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने यह सूचित किया है कि संशयित तोड़-फोड़ की 14 घटनाएँ नोटिस में आई हैं और इन सभी मामलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस द्वारा की जाने वाली जाँच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

विदेश स्थित बैंकों में खाते

419. श्री फ० गो० सेन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उस फर्म का नाम क्या है जिसकी विदेश स्थित बैंकों में सबसे अधिक राशि जमा है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रखी जायेगी।

Development of Backward States in Fourth Plan

420. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission decided to provide assistance to the State Governments on the basis of the population for the development of States during the forthcoming Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the amount proposed to be earmarked in the Fourth Five Year Plan to backward States like Rajasthan on the basis of population for development;

(c) whether the amount to be spent on the early completion of construction of Rajasthan Canal would also be fixed on the basis of population ratio; and

(d) if so, whether the amount to be allocated to the Rajasthan Government in accordance with the said decision would be sufficient for all development works ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social welfare (Shri Ashoka Mehta) : (a) and (b) No, Sir. In determining the Central assistance for the Fourth Five Year Plans of State Governments, the Planning Commission took into account a number of criteria, such as population, requirements for continuing big irrigation & Power schemes, the relative backwardness, etc.

In the discussion between the State Chief Minister and the Planning Commission held in November, 1966, the Fourth Plan outlay and Central assistance for Rajasthan were agreed at Rs. 313 crores and Rs. 227 crores, respectively.

(c) and (d) The Fourth Plan outlay as agreed to, includes a provision of Rs. 32.63 crores for work on Rajasthan Canal, as estimated by the technical Working Group constituted at the time of the formulation of the Fourth Five Year Plan.

Silver Recovered at Bombay

421. Shri P. L. Barupal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Customs officials recovered silver weighing three and a half tons or more at Bombay Port on the 11th April, 1967;

(b) if so, the value of that silver in terms of rupees, the names of the persons who were taking away the same and the respective Companies on whose ships it was being carried;

(c) whether some persons have been apprehended in this connection; and

(d) if so, their identity and vocations ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) In the early hours of 12th April, 1967 the officers of the Bomay Central Excise Collectorate intercepted one mechanised vessel and another small craft in the sea off Reti Bunder in Bombay and on search of the two vessels recovered 94 silver ingots weighing 2961.796 Kg. valued at Rs. 12 lakhs. The owners of the mechanised vessel and small craft which have been seized are Shrimati Bhavanibhai Dharma Koli and Shri Sugand Babu Sabte.

(c) & (d) Two persons named Shri Narain Changya Moti and Shri Balkrishna Changya Moti were found on board the mechanised vessel and were arrested. Another person named Shri Ananta Narayan Gajar was subsequently arrested. All the three persons are reported to be members of the crew of the mechanised vessel.

लूप के प्रयोग से होने वाली खराबियां

422. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी देहाती महिलाओं ने कल्याणकारी (24 परगना) पश्चिमी बंगाल के पुराने अस्पताल से लूप लगवाये थे। उन्होंने अस्पताल अधिकारियों से कहा है कि उनके लूप निकाल दिये जायें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह शिकायत की है कि लूप लगवाने से उन्हें विभिन्न रोग लग गये हैं; और

(ग) क्या इस बारे में पता लगाया गया है कि लूप लगवाने से इस प्रकार के हानिकारक परिणाम क्यों होते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है और ज्यों ही जानकारी मिलेगी उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

विदेशी ऋण

423. श्री याज्ञिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विदेशी ऋण पर ब्याज और मूल की किस्तों के भुगतान के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ख) इस देय ब्याज और किस्तों का लौटाने का क्या ढंग है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस देय राशि का भुगतान सरकार द्वारा किये गये नये समझौतों के अन्तर्गत नये ऋणों में से भुगतान करने का निर्णय किया है जसा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनुमान है, कि कुल 2030 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जिसमें, 871 करोड़ रुपया ब्याज की अदायगी के लिए और 1159 करोड़ रुपया मूलधन की वापिसी के लिए होगा।

(ख) ये रकमें, हमारी निर्यात की आमदनी और विदेशी मुद्रा की अन्य प्राप्तियों से अदा की जाती हैं।

(ग) ऋण-परिशोधन के लिए पुनर्वित्त या भुगतान के लिए नयी समय-सूची निर्धारित कराने की सुविधायें प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

तिब्बिया कॉलेज, दिल्ली

424 श्री बलराज मधोक :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का तिब्बिया कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको पुनः खुलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) छात्रों ने तिब्बिया कॉलेज और इससे सम्बद्ध अस्पताल तथा कार्यालयों को ताला लगा दिया था और इस प्रकार इस संस्थान के लिए काम करना असंभव कर दिया था।

(ग) छात्रों की उचित माँगों पर विचार किया जा रहा है और दिल्ली प्रशासन इस संस्थान के क्रिया-कलापों में सुधार करने के लिए कदम उठा रहा है। यदि स्थिति सामान्य रही तो ग्रीष्म-कालीन अवकाश के बाद यह कॉलेज फिर से खोल दिया जायेगा।

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सम्भरण योजनायें

425. श्री एम० एस० मूर्ति : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 तथा 1967–68 में आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के सम्भरण के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सुरक्षित जल सम्भरण की कितनी योजनायें मंजूर की गईं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता खर्च के 50 प्रतिशत तक दी जाती है और यह अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में दी जाती है जिसका हिसाब किताब वर्ष के अन्त में बिठा दिया जाता है। 1966–67 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को उसकी ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिये 7.86 लाख रुपये की एक राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई। 1967–68 में कितनी रकम दी जायेगी यह इतनी जल्दी निर्धारित नहीं किया जा सकेगा।

(ख) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजिनियरी संगठन ने 1966-67 में 38.52 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तीन ग्राम जल पूर्ति योजनाओं को तथा 1967–68 में 2.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना को तकनीकी दृष्टि से मंजूर किया। राज्य सरकार ने कितनी योजनायें चलाने की मंजूरी दी है; यह मालूम नहीं।

(ग) भारत सरकार के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्

426. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की, जिसमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है, एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) इस प्रस्तावित परिषद् की स्थापना के लिए विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनायी जा रही है।

वार्षिक अनुत्पादी व्यय तथा अपवंचन

427. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि देश में उच्च आय वर्गों के लोगों द्वारा साल भर में कितना अनुत्पादी व्यय किया जाता है और कितना कर अपवंचन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, उच्च आय वर्गों के लोगों द्वारा कर अपवंचन को रोकने के लिये कानून के अन्तर्गत उपलब्ध सभी कदम उठाये जाते हैं।

कमला बालान बांध

428. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **सिंचाई और बिजली** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में झाझरपुर के निकट कमला-बालान बांध में पुनः दरारें न पड़ने पायें इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण कार्य इस समय किस प्रक्रम पर है; और

(ग) नहर खोदने का कार्य वस्तुतः कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) निम्नलिखित दो उपाय किये जा रहे हैं :—

1. राज्य सरकार द्वारा जाझरपुर रेलवे लाइन के ऊपर 3 मील लम्बे तटबंध को चौड़ा किया जा रहा है और 1966 के उच्च बाढ़ स्तर से $5\frac{1}{2}$ फुट ऊँचा उठाया जा रहा है; और
2. रेलवे अधिकारी पुल नं० 88 के नीचे नदी तल को खुदवा रहे हैं और रेलवे पुल के प्रतिस्रोत और अनुस्रोत रुकावटों को हटा रहे हैं।

(ख) और (ग) जनवरी, 1967 के आरंभ में नेपाल सरकार की आज्ञा प्राप्त होने पर नेपाल क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान किए जा रहे हैं। इनके फरवरी, 1968 तक पूरा होने की संभावना है। इसके शीघ्र ही बाद नहर की वास्तविक खुदाई शुरू कर दी जाएगी।

उत्तरी बिहार का औद्योगिक विकास

429. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तरी बिहार के औद्योगिक विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरी बिहार के और अधिक औद्योगिक विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तरी बिहार में फलों को डिब्बों में बन्द करने विशेषकर आम और लीची को डिब्बों में बन्द करने सम्बन्धी उद्योग शुरू करने का है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (अशोक मेहता) : (क) इस अवधि के दौरान, सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत बरौनी में 20 लाख मीट्रिकटन की क्षमता का तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया। निजी क्षेत्र में, कुछ चीनी कारखानों का विस्तार और आधुनिकी-करण का काम किया गया। इसके अलावा दो कागज कारखानों का काम भी हाथ में लिया गया।

(ख) बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता का विस्तार कर 20 से 30 लाख मीट्रिकटन करने का है। इसके अलावा, बरौनी में 152,000 मीट्रिकटन नेत्रजन क्षमता का उर्वरक कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। चौथी योजना अवधि के दौरान उत्तरी बिहार के क्षेत्र में कितनी निजी क्षेत्र परियोजनायें स्थापित होने की सम्भावना है, इस बारे में अभी कुछ कहना कठिन है।

(ग) उत्तरी बिहार में फल परिरक्षण एकक स्थापित करने के कतिपय प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवायें

430. श्री अनन्त राव पाटिल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के कार्यों में लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ता यह महसूस करते हैं कि परिवार नियोजन के कार्य को बड़े पैमाने पर चलाने के लिये खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवायें सफल सिद्ध नहीं हो सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गर्भपात को वैध बनाना

431. श्री अनन्त राव पाटिल :
श्री नम्बियार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि को रोकने की दृष्टि से गर्भपात को वैध बनाने तथा लड़कियों की स्वेच्छापूर्वक विवाह करने की आयु को 18 से बढ़ा कर 20 वर्ष करने के सुझावों का महिलाओं के संगठनों ने विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) गर्भपात के वैधीकरण तथा लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु को बढ़ाने के प्रश्न पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा प्रकट किये गये विचार संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 389/67]** प्रत्यक्षतः गर्भपात के सम्बन्ध में एक गलतफहमी फैली हुई है । जो विचार किया जा रहा है वह पूर्ण वैधीकरण नहीं है, बल्कि शान्तिलाल शाह समिति के सुझावों के अनुसार गर्भपात के कानून को उदार बनाना है ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

432. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक उरांव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस अपीलीय बोर्ड ने मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाये जाने के मामले की जांच की थी, उसके काम के सम्बन्ध में विभागीय जांच की जाने का आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है और सरकार को प्रतिवेदन भेज दिया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो जांच का निष्कर्ष क्या निकला है; और

(घ) क्या जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड न्यायिक-सदृश मण्डल है तथा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों के अधीन काम करता है । मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा दायर की गयी अपीलों का निर्णय करने में, बोर्ड ने उसी अधिनियम के अधीन अपने अधिकार-शक्ति का ही प्रयोग किया

है। इसलिए किसी विभागीय जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है। किन्तु इस मामले के महत्व को देखते हुए सरकार ने बोर्ड द्वारा दिये गये अपीलीय आदेशों पर महान्यायवादी की राय मांगी है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

योजना से पृथक् सहायता का उपयोग किया जाना

433. श्री हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-परियोजना सहायता का अच्छे तरीके से और शीघ्र उपयोग करने के लिये सार्थ संत्र (कांसर्शियम) के देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सहायता संघ के सदस्यों के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं उनके अनुसार दोनों ओर से बातचीत हर समय होती रहती है। भारत सरकार, आवश्यकतानुसार ऐसे अवसरों का इस्तेमाल, उन पहलुओं पर जोर देने के लिए करती रहती है, जिनसे गैर-प्रायोजना सहायता को और भी अच्छी तरह से और जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए मदद मिल सके।

(ख) इस तरह की बातचीत से, विभिन्न देशों से लिये जाने वाले ऋणों से सम्बन्ध रखने वाली कार्यप्रणालियों में अनेक सुधार हुए हैं। इसके उदाहरण ये हैं :--

(1) कुछ ऐसे मामलों में, जिनमें इस कारण देर हो जाती थी कि सहायता संभरक ऋणों (सप्लायर्स क्रैडिट) के रूप में होती थी और लम्बी अवधियों के लिए बैंक की गारण्टियों की जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार की आवश्यकताओं को एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दिये जाने वाले ऋण के रूप में सहायता प्राप्त करके, हटा दिया गया है।

(2) कुछ ऐसे मामलों में, जहां लिये गये ऋण से आयात की जा सकने वाली चीजों के बारे में कड़े प्रतिबन्ध लागू थे, कुछ ढील दे दी गयी है, ताकि ऋणों के अन्तर्गत और अधिक चीजों का आयात किया जा सके और इस तरह ऋणों की रकमों को अधिक शीघ्रता से इस्तेमाल किया जा सके।

(3) कुछ दूसरे मामलों में, जिनमें, टैण्डरों के विज्ञापन के बाद उत्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम अवधि निर्धारित की जाती थी, प्रतीक्षा की अवधि को और भी कम कर दिया गया है ताकि ऋणों का शीघ्रता के साथ इस्तेमाल किया जा सके।

(4) कई मामलों में, रासायनिक खाद जैसी बहुत शीघ्रता से भेजी जाने वाली प्राथमिकता प्राप्त वस्तुएं गैर-प्रायोजना ऋणों के अन्तर्गत दी गयीं है।

गैर सरकारी मुद्रक

434. श्री श्रीधरण : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 तथा 1965–66 के दौरान सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन के लिए गैर-सरकारी मुद्रकों को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) गैर-सरकारी मुद्रकों को काम के वितरण के लिए क्या कसौटी अपनाई गई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) 1964–65—30, 48,634.00 रुपये।
1965–66—19, 19,829.00 रुपये।

(ख) जिन परिस्थितियों में कार्य गैर सरकारी मुद्रकों को दिया गया वे हैं :—

(1) क्षमता की कमी,

(2) कार्य की तुरन्त आवश्यकता, तथा

(3) विशेष प्रकार की छपाई के कार्य के लिए साज-सामान की कमी।

केरल में बड़ी सिंचाई योजनायें

435. **श्री ए० श्रीधरण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक "क्रैश प्रोग्राम" के लिए स्वीकृति देने के लिये अनुरोध किया है जिसके अन्तर्गत राज्य की सभी बड़ी सिंचाई योजनाओं को अगले पांच वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अप्रैल 1966 में केरल सरकार ने चौथी योजना के दौरान पूरा करने के उद्देश्य से कुछ बड़ी तथा मझली सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में तेजी लाने का एक प्रस्ताव भेजा था। इस "क्रैश प्रोग्राम" पर 30 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था जिसको पांच वर्षों की अवधि में व्यय करना था।

(ख) सीमित संसाधनों के कारण, और निर्माण की प्रौढावस्था प्राप्त परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए "क्रैश प्रोग्राम" में सम्मिलित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को नहीं स्वीकार किया गया है।

Ganga and Ghagra Irrigation Scheme.

436. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of eastern Districts of Uttar Pradesh which have benefited from the irrigation schemes of Ganga and Ghagra and also the number of those which have not derived any benefit and the reasons therefor; and

(b) the time by which the schemes are likely to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) : A statement is attached. (**Placed in Library, see No. LT-390/67**)

महाराष्ट्र में बाध तथा इतियादोह सिंचाई परियोजनायें

437. श्री दे० शि० पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाध सिंचाई परियोजना तथा इतियादोह सिंचाई परियोजना (जिला भण्डारा, महाराष्ट्र) पर कार्य रोक दिया गया है अथवा निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ये परियोजनायें कब पूरी होंगी और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन दोनों परियोजनाओं के चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। महाराष्ट्र में बाध और इतियादोह से क्रमशः 83,200 एकड़ और 99,500 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

महाराष्ट्र में पेंच पन बिजली तथा सिंचाई योजना

438. श्री दे० शि० पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंच पन बिजली तथा सिंचाई योजना (जिला नागपुर, महाराष्ट्र) की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होगा और उससे क्या क्या लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : पेंच पन बिजली तथा सिंचाई परियोजना सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) परियोजना के पन बिजली भाग की अनुमित लागत 20.67 करोड़ रुपये है और सिंचाई भाग की 17.52 करोड़ रुपये। पन बिजली कार्यों में 70-70 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिटों का प्रतिष्ठापन शामिल है जो कि महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में बराबर बराबर विभक्त होगा। परियोजना के सिंचाई भाग से महाराष्ट्र राज्य के भंडारा और नागपुर जिलों में 182, 400 एकड़ भूमि की सिंचाई होना परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त परियोजना से नागपुर के निकट बन रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्र को 100 क्यूसेक तक ठंडा करने वाला पानी प्राप्त होगा तथा नागपुर शहर को घरेलू और औद्योगिक खपत के लिये 100 क्यूसेक पानी मिलेगा।

नागपुर में सुपर तापीय बिजली घर

439. श्री दे० शि० पाटिल : क्या सिंचाई व विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर में सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता कितनी है और उस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) कार्य कब तक आरम्भ होगा तथा कब पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) नागपुर के सुपर ताप बिजली केन्द्र में 480 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता परिकल्पित है और इस पर पूर्व-अवमूल्यन दरों के अनुसार 60.23 करोड़ रुपये व्यय होंगे। अवमूल्यन के बाद के दरों के आधार पर लागत के पुनरीक्षित अनुमान की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) कार्य शुरू हो चुके हैं। 120-120 मैगावाट के प्रथम दो उत्पादन यूनिटों के चौथी योजना के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है और बाकी दो उत्पादन यूनिटों के पांचवीं योजना अवधि के शुरू शुरू में चालू होने की सम्भावना है।

Drought in U. P. and Bihar

440. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the L. I. C. employees of Patna Division have sent a memorandum to the officers of the L I. C. demanding payment of three months pay or Rs. 500 as 'National Calamity Advance' supply of essential articles of daily use at cheap rates by departmental stores and postponement of recovery of loans and advances from the employees for two years;

(b) whether it is a fact that L. I. C. have been providing financial assistance from time to time to flood affected L. I. C. employees;

(c) whether it is also a fact that the State Governments have granted advance assistance to their employees working in Bihar and Eastern U. P. in view of the famine conditions prevailing in those areas; and

(d) if so, whether Government are also examining the question of providing financial assistance to the drought-hit empioyees of L. I. C. ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Insurance Employees Association, Patna Division made the following demands vide its letter dated 28th April 1967 :—

(i) Minimum grant of advance free of interest to the extent of 3 months' salary inclusive of allowances or Rs. 500 whichever is higher as Famine Advance, and the recovery to commence after the end of this famine condition in 50 equal monthly instalments;

(ii) Suspend recoveries of all outstanding loans and advance so long as famine condition persists.

(iii) Arrange supply of essential commodities at subsidised rates through departmental stores in all the offices under Patna Division.

The following decision, taken by the L. I. C. on the above demands, has been communicated to the Zonal Manager, Calcutta on the 15th May, 1967 :

All employees in the affected areas who as on 1.5.67 drew total emoluments of less than Rs. 501 per month may be granted Drought Advance of 2 months' basic pay subject to a maximum of Rs. 500. The said advance shall be recovered in 24 monthly instalments and the recovery shall commence three months after the date of advance, i. e. from the September, 1967 salary of the employees concerned.

It has not been found possible to agree to the demand of arranging supply of essential commodities at subsidised rates through departmental stores in all the offices under Patna Division.

(b) Yes, Sir.

(c) Information is not available.

(d) As mentioned above the L. I. C. has already decided to extend financial assistance to its employees.

अनुवेरीकरण (स्टेरीलाइजेशन)

441. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री के० प्रधानी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन अब तक कुल कितने पुरुषों और महिलाओं को अनुवेर (स्टेरलाइज) बनाया गया है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया है;

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू०मूर्ति) :
(क) और (ख) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 22,74,970 नसबन्दी के आपरेशन किये जा चुके हैं ।

(ख) नसबन्दी आपरेशनों में हुए खर्चे के अलग से आंकड़े नहीं रखे गये हैं, क्योंकि नसबन्दी परिवार नियोजन के तरीकों में से एक है जिनके लिए सरकार सेवाओं की व्यवस्था करती है ।

उड़ीसा में अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियाँ

442. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को 1966-67 में मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी गई;

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा से कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र दिये; और

(ग) उन विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां कब दी गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क)	अनुसूचित जातियां	636
	अनुसूचित आदिम जातियां	536
(ख)	अनुसूचित जातियां	660
	अनुसूचित आदिम जातियां	551

(ग) प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पर छात्रों को चार महीनों के लिये तदर्थ छात्रवृत्तियां मंजूर की गई। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अगस्त और सितम्बर, 1966 में नियमित छात्र-वृत्तियां प्रदान की गईं। नवीकरण की गई छात्रवृत्तियों की अदायगी 29 जून, 1966 से आरम्भ हुई। कुछ बहुत थोड़ी ताजा और नवीकरण की जाने वाली छात्रवृत्तियों, जिनसे सम्बन्धित आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त हुये, की अदायगी पश्चाद्-वर्ती महीनों में की गई।

उड़ीसा में अनुसन्धान योजनायें

443. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड द्वारा 1967-68 के दौरान उड़ीसा में कोई अनुसंधान योजनायें स्वीकृत की गई हैं अथवा उनके स्वीकार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) और (ख) मूलभूत तथा आधारिक अनुसंधान स्कीम के अन्तर्गत उड़ीसा को निम्नलिखित अनुसंधान समस्याएं अलाट की गई थीं जिन पर 1967-68 के दौरान भी कार्य जारी रहेगा :—

(क) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों से सम्बद्ध अनुसंधान समस्याएं

विवरण	**अनुसंधान कारी संस्था**
1. सरिताओं और जलाशयों में गाद भरजाने के सम्बन्ध में अध्ययन।	हीराकुण्ड अनुसन्धान केन्द्र
2. मसाले और कन्क्रीट मिले अभिकल्प सम्बन्धी सिद्धान्त	

(ख) बिजली से सम्बन्ध अनुसंधान समस्याएं

1. पारेषण प्रणाली पर तडित् का आयतन और परिमाण	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड
2. बिजली प्रणाली में हानियों का अध्ययन।	
3. पारेषण पथों के नीचे जंगली झाड़ियों को उगने से रोकने के लिए तजरवे।	

बम्बई के एक करोड़पति व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

444. श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई का एक करोड़पति व्यक्ति श्री रामकिशन रुइया विदेशी मुद्रा, स्वर्ण नियंत्रण, आयकर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य विधियों का उल्लंघन करने से सम्बन्धित कुछ मामलों/जांच/कानूनी कार्रवाइयों में अन्तग्रंस्त है;

(ख) क्या ये उल्लंघन लगभग 80 लाख रुपयों के सौदों से सम्बन्धित हैं;

(ग) क्या बम्बई में उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने उनको बताये बिना ही इस मामले को दबा दिया है;

(घ) क्या इस मामले में जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रामकिशन रुइया नाम के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला नहीं है। यह अवश्य है कि श्री राधाकिशन रामनारायण रुइया नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अधीन जांच पड़ताल चल रही है;

(ख) चूंकि जांच पड़ताल अभी चल रही है, इसलिए छिपाई गई आय की मात्रा का अन्दाजा लगाना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जांच पड़ताल अभी चल रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Assistance for Nagarjunasagar Project

445. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the total amount of assistance extended so far by the Central Government for the Nagarjunasagar Project;

(b) when the Nagarjunasagar Project would be completed; and

(c) the acreage of land which would be irrigated by it ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Rs. 1, 29, 66, 40, 399.

(b) By the end of Fourth Five Year Plan, if sufficient funds are made available.

(c) 22 lakh acres.

सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने

446. श्री डी० बी० राजू : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी, बरौनी तथा कोयली स्थित सरकारी क्षेत्र के तीनों तेल शोधक कारखानों में लाभ हो रहा है;

(ख) गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा का, कच्चे तेल को आयात करने के लिये व्यय किया जाता है; और

(ग) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 60 करोड़ रुपये।

(ग) गुजरात के अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र में उत्पादन को अप्रैल 1966 में प्रतिदिन 6,000 मीटरीटन से 6,600 मीटरीटन तक और अक्तूबर 1966 से प्रतिदिन 7,400 मीटरीटन तक और बढ़ाया गया। इस समय उत्पादन की दर 7,500 मीटरीटन है। असम के रुद्रसागर तेल क्षेत्र से भी परीक्षण उत्पादन शुरू हो गया है। गुजरात के कलोल और नवागाम तेल-क्षेत्रों में भी परीक्षण उत्पादन शुरू हो गया है।

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत मारे गये छापे

447. श्री एन० के० साळवे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 अथवा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों में कितने छापे मारे गये तथा तलाशियां ली गईं तथा माल बरामद किया गया;

(ख) कितने मामलों में उच्च-न्यायालयों में छापों, तलाशियों तथा बरामदगियों की वैधता को चुनौती दिये जाने पर उन न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि छापे, तलाशियां तथा बरामदगियां अवैध थीं;

(ग) कितने मामलों में उच्च-न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि अधिकारियों ने छापों, तलाशियों तथा बरामदगियों के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों का प्रयोग असद्भाव से तथा अपने अधिकार से बाहर किया था;

(घ) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, जिन्हें उच्च-न्यायालयों ने दोषी ठहराया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन सम्बन्धित कर दाताओं को किसी प्रकार से मुआवजा देने का है, जिनके मामले में उच्च-न्यायालयों ने छापों, तलाशियों तथा बरामदगियों को अवैध ठहराया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क)	1962-63	3
	1963-64	20
	1964-65	397
	1965-66	306

(ख) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

मेडिकल कालेजों में स्थान

448. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री शशि रंजन :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपाती योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों समेत सभी विभिन्न मेडिकल कालेजों में स्थान बढ़ाने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी प्रक्रिया बनाई गई थी जिसका अनुसरण किया गया;

(ग) यह मंजूरी कितने वर्षों के लिये दी गई है; और

(घ) क्या कोई सावधानी बरती गई हैं जिससे प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण विद्यार्थियों विशेष कर मेडिकल कालेजों के विद्यार्थियों को नुकसान न हो ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के मेडिकल कालिजों में दाखिला बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को आपत्कालीन विस्तार योजना के अधीन वित्तीय सहायता दी गई है बशर्ते ये संस्थायें ऐसी सहायता प्राप्त करने की पात्र हों।

(ख) राज्य सरकारों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों और भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करके, ताकि यह निश्चित हो जो कि प्रवेश संख्या बढ़ाने से शिक्षा का स्तर गिरेगा नहीं, अपने अपने मेडिकल कालिजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने होते हैं।

(ग) यह योजना 1963-64 में चलायी गई थी और इसे चौथी योजना अवधि में जारी रखा जा रहा है।

(घ) सभी प्रार्थनाओं की छान-बीन करने तथा उपलब्ध धन को दृष्टि में रखते हुए उन पर निर्णय लेने के बाद इस योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से भेजी जाती है। दिक्कत तभी आती है जब कोई संस्था पूर्व अनुमति लिये बिना सीटों की संख्या बढ़ा दे।

जाली मुद्रा का प्रचलन

449. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री शशि रंजन :
श्री सीताराम केसरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाजार में भारतीय तथा अमरीकी जाली मुद्रा के प्रचलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी प्रचलित जाली मुद्रा की प्रतिशतता का अनुमान लगा लिया है; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार क्या कारगर उपाय कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : जाली भारतीय मुद्रा के चलन के बारे में कभी-कभी सूचनाएँ मिलती हैं। जाली मुद्रा और बैंक नोटों के चलन से सम्बन्ध रखने वाले अपराध, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराध हैं; इसलिए उनके सम्बन्ध में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि यह राज्य-सरकार का विषय है। जाली मुद्रा बनाने से सम्बन्ध रखने वाले अपराधों के मामलों की जांच करने और उनके सम्बन्ध में मुकदमे चलाने का काम राज्य पुलिस अधिकारी करते हैं। अपराधियों द्वारा अपनाये जाने वाले विभिन्न तरीकों का रेकार्ड रखकर और जाली भारतीय मुद्रा के प्रचलन के सम्बन्ध में समय-समय पर नये सिरे से विचार करके गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित, केन्द्रीय जांच कार्यालय भी जाली भारतीय मुद्रा की समस्या पर बराबर विचार करता रहता है।

देश की बढ़ती हुई जन संख्या पर नियन्त्रण

450. श्री मोहसिन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूप तथा नसबन्दी के अतिरिक्त कौन से अन्य नये तरीकों से सरकार का विचार देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने का है; और

(ख) क्या यह सच है कि लूप तथा नसबन्दी से इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) और नसबन्दी (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए) के अतिरिक्त प्रचलित गर्भरोधकों के विस्तृत प्रयोग का प्रचार किया जा रहा है और मुफ्त अथवा बहुत कम कीमत पर देकर इनकी सप्लाई बढ़ाई जा रही है। जनसंख्या के नियन्त्रण के लिए सरकार लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है, गर्भपात के कानून को उदार बनाना, जिस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है,

भी जन संख्या के नियन्त्रण की दृष्टि से सहायक होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की सलाह से खाये जाने के गर्भरोधकों के सीमित प्रयोग के सम्बन्ध में एक परीक्षणात्मक कार्य पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

राजस्थान में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

451. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में "चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" नामक शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र संचालित योजनाओं के हेतु राजस्थान सरकार के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) उसी अवधि में राज्य सरकार ने उस धन-राशि का किस प्रकार प्रयोग किया।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) "चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र समर्थित योजनाओं पर राजस्थान सरकार ने 1966–67 में जो खर्च किया था उसकी पूर्ति के लिए उन्हें अप्रैल 1967 में 5.75 लाख रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया गया।

(ख) राज्य सरकार ने इस रकम की पाँच मेडिकल कालिजों में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने तथा इन कालेजों में से एक कालेज के चिकित्सा विभाग के उन्नयन पर खर्च किया है।

जयपुर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी

452. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में जयपुर (राजस्थान) स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कितने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा गया था; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भूटान सरकार को परराष्ट्र मन्त्रालय के जरिये भेजी गई नामों की तालिका में से दो उच्च श्रेणी लिपिक (सर्व श्री रिछपाल शर्मा और डी० एन० माथुर) उक्त सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चुने गये थे। नये पद को संभालने के लिये उक्त दोनों व्यक्तियों को, महालेखाकार जयपुर के कार्यालय से 1–3–1967 को मुक्त किया गया था।

राजस्थान से प्राप्त राजस्व

453. श्री धुलेश्वर मीना : श्री के० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966–67 में राजस्थान राज्य से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह रकम लगभग 7,43,78,000 रुपये हैं।

राजस्थान को दी जाने वाली सहायता में कमी

454. श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य को वर्ष 1966–67 में दी जाने वाली सहायता में कमी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान राज्य को उसके लिये नियत मूल राशि देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की अन्तिम किस्तें फरवरी और मार्च के महीनों में अस्थायी रूप से दी गई थी। राजस्थान के मामले में राजस्थान सरकार ने खर्च का ब्यौरा इतनी देर में भेजा कि उसको वित्तीय वर्ष बन्द होने से पहले दी जाने वाली सहायता की राशि में सम्मलित न किया जा सका बाद में उनकी जाँच की गई तथा 239.54 लाख रुपये की राशि उसके बाद में दे दी गई है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

455. श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में पुनरीक्षण करने का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है।

अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

456. श्री हीरजी भाई : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री के० प्रधानी :**

क्या स्वास्थ्य **तथा परिवार नियोजन** मन्त्री 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 296 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई पूंजी

457. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1966–67 में जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में कितनी पूंजी लगाई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : 322.66 लाख रुपये।

ऋण देने में कटौती करने की रिजर्व बैंक की नीति

458. श्री एम० अमरसे : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सैन्ट्रल गुजरात वाणिज्य मण्डल से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें ऋण पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को दी गयी हिदायतों को रोकने के लिये उनसे प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक ने, अक्टूबर, 1966 में अधिक कामकाज के मौसम के शुरू में, बड़े-बड़े अनुसूचित बैंकों को इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक निर्देश भेजा

था कि ऋण के मौसमी विस्तार का कम से कम 80 प्रतिशत भाग औद्योगिक प्रतिष्ठानों को और निर्यात/आयत के व्यय के आधार पर दिया जाय। ऐसा मालूम होता है कि कुछ बैंकों ने अन्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों को मौसम के शुरू में अधिक अनुपात में बढ़ने दिया और सही अनुपात को बनाये रखने के लिए इन क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों की सीमाएं अप्रैल से बहुत कम कर दीं या ऋण देना बिलकुल ही बन्द कर दिया। इससे कुछ मामलों में अस्थायी तौर पर कुछ कठिनाई पैदा हो गयी लेकिन चूंकि 28 अप्रैल, 1967 से रिजर्व बैंक के निदेश पर अमल होना बन्द हो गया है इसलिए अनुमान है कि अब स्थिति काफी सुधर गयी होगी।

विद्युत बोर्डों की समाप्ति

459. श्री डी० एन देव :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने यह सुझाव दिया है कि विद्युत बोर्डों को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले से क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस विषय पर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के आस-पास अनधिकृत बस्तियां बनने से रोकने के लिये अन्तर्राज्यीय समिति

460. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आसपास राजधानी क्षेत्र में अनधिकृत बस्तियों बनने को रोकने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त अन्तर्राज्यीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली के आस-पास राजधानी क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा बनायी गयी विकास की योजनाओं को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने में समन्वय के लिए 31-7-1961 को एक उच्च-शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना की गयी थी। बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :—

(1) गृह-मन्त्री	अध्यक्ष
(2) निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री	सदस्य
(3) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री	,,
(4) उपाध्यक्ष, योजना आयोग	,,
(5) उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री	,,

(6) हरियाणा के मुख्य मन्त्री	सदस्य
(7) मेयर, दिल्ली नगर निगम	,,
(8) उप-राज्यपाल, दिल्ली	,,
(9) मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली	,,
(10) संयुक्त सचिव, निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय	,,

2. बोर्ड की आखिरी बैठक 2 मई, 1967 को हुई थी।

बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

461. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अप्रैल, 1967 को दक्षिण बम्बई में एक परिवहन कम्पनी के पास से चोरी छिपे लाई गई 15,000 रुपये के मूल्यों की कलाई की घड़ियां पकड़ी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई में एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के गोदाम से 5 अप्रैल 1967 को लगभग 11,000 रुपये मूल्य की 108 कलाई-घड़ियाँ पकड़ी गयीं।

(ख) मामले की जाँच-पड़ताल चल रही है।

कलकत्ता के आयकर अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण कागजात बरामद किया जाना

462. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अप्रैल 1967 को कलकत्ता के आयकर अधिकारियों ने कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर ब्रिटेन की एक रसायन फर्म से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण कागजात इसके एक अधिकारी ने पकड़े जो बम्बई जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) पकड़े गये कागजों की जांच की जा रही है और विभागों द्वारा की जानेवाली कार्यवाही में उनका प्रयोग किया जाएगा।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां

463. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या सिंचाई व बिजली मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियाँ स्थापित करने की व्यवहारिकता के बारे में जाँच जारी रखने के उद्देश्य के लिए, कार्यकारी योजना के सम्बन्ध

में मई, 1967 में दिल्ली में भारत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था के बीच एक समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युतन सहकारिताओं के सर्वेक्षण, अनुसन्धान और स्थापना से सम्बन्धित कार्य के समस्त कार्यक्रम को पांच चरणों में विभक्त किया गया है। ऐसी सहकारिताओं को शुरू करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को ढूंढने से सम्बन्धित कार्य का प्रथम चरण पूरा हो गया है। अभी हाल ही में जो समझौता किया गया है उसमें अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के तत्वावधान में अमरीका की राष्ट्रीय ग्राम विद्युतन सहकारिता संस्था के विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले दूसरे और तीसरे चरणों के कार्य की योजना का बन्दोबस्त है। इस कार्य में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में और विस्तृत अनुसन्धान कार्य परिकल्पित हैं।

हैदराबाद में सोने की छड़ों का पकड़ा जाना

464. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और बीमा शुल्क विभाग के खुफिया विभाग ने 29 अप्रैल 1967 को सिकन्दराबाद (हैदराबाद) के रानीगंज क्षेत्र के निकट दो व्यक्तियों के पास से 32,000 रुपये से अधिक मूल्य की विदेशों से आई हुई सोने की 16 छड़ें पकड़ी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हैदराबाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने 29 अप्रैल 1967 को सिकन्दराबाद के रानीगंज बस-अड्डे पर दो व्यक्तियों को रोका और उनमें से एक के पास से 16 छड़ों के रूप में 160 तोला विदेशी मार्के का सोना बरामद किया। सोने का अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 15,747 रुपये है।

(ख) उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जाँच-पड़ताल चल रही है।

Water From Ganga And Yamuna River

465. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the quantity of water being supplied to Haryana, Delhi and Rajasthan at present from Ganga and Yamuna rivers of Uttar Pradesh;

(b) the particulars of schemes for increasing the supply of water in future, the proposed quantity and the time by which it would be made available; and

(c) whether Government propose to set up Ganga-Yamuna Corporation to ensure proper utilization of water, efficiency and co-ordination in the departments and distribution of water according to the needs of the areas of the several states to be irrigated by the said rivers ?

The Minister of Irrigation And Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) : A statement is attached. **[Placed in Library, See No. Lt-391,67]**

(c) No such proposal is under consideration.

Dams on River Ganga

466. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of dams proposed to be constructed on the river Ganga in the Himalayan region in Uttar Pradesh for which survey has already been made;

(b) the number of dams among them which would earn profits and number of those which will not earn profits; and

(c) the additional power and irrigation capacity that would be available after the construction of all these dams and the estimated total cost ?

The Ministers or Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) : The Government of U. P. are conducting surveys and investigations of several dam sites in the Ganga Basin in the Himalayan region in U. P. Investigations of these sites have not been completed so far. As such, the number of dams which can be constructed in this region cannot be indicated at this stage. It is only after surveys and investigations are completed and firm proposals for construction of dams are formulated that the benefits from these projects can be determined and the economic aspects evaluated.

Ramganga Project

467. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the time since when the work on Ramganga Project in U. P. has been in progress, the initial estimate of the expenditure and the amount spent thereon so far;

(b) whether the workers on the dam have gone on strike since 2nd May, 1967; and

(c) if so, the reasons therefor and action taken thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The work on the Ramganga Project is in progress from September, 1961, The initial estimated cost of the Project was 39.83 crores. The revised estimated cost is Rs. 92.41 crores. The amount spent on the Project up to March, 1967 is Rs. 31 crores.

(b) and (c) : The workers served a notice on the Project authorities demanding (i) increase in the wages of workcharged employees (ii) grant of 20 percent site compensatory allowance (iii) restoration of certain facilities and (iv) free supply of electricity and water to workcharged employees. The State Government have agreed to the grant of an adhoc increase of 10% in the wages of workcharged employees subject to a minimum of Rs. 10/- and maximum of Rs. 25/- pending the recommendations of the Permanent Conciliation Board to whom the matter is already under reference. The workers were, however, not satisfied and have gone on strike from 3.5.1967.

पश्चिम बंगाल को राजसहायता

468 श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता शहर तथा पश्चिम

बंगाल के अन्य संविहित राशन वाले क्षेत्रों में राशन की व्यवस्था करने के अपने वचन को पूरा करने के हेतु ऊंचे दामों पर 2 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने से राज्य को हुई 4.5 करोड़ रुपये की हानि को पूरा करने के लिये कोई राजसहायता देने से इन्कार कर दिया है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : पश्चिम बंगाल के कानूनी तौर पर राशन-पद्धति लागू किये गये क्षेत्रों में अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य सरकार को होनेवाली हानि को पूरा करने के लिये सहायता देने के सम्बन्ध के पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम दिल्ली में अस्पताल

469. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली तथा नजफगढ़ रोड की बस्तियों में, जिनकी कुल जनसंख्या चार लाख से अधिक नहीं है; एक भी सार्वजनिक अस्पताल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम दिल्ली की बस्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक सार्वजनिक अस्पताल खोलने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की क्रियान्वित में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) इन बस्तियों में छोटे-छोटे म्यूनिसिपल अस्पताल हैं, जिनमें कुल 104 पलंगों की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) : चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में एक, 100 पलंगों वाले अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। इस काम के लिए जमीन प्राप्त की जा चुकी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी अपने हितग्राहियों के लिए पश्चिम दिल्ली में एक अस्पताल खोलने का विचार कर रहा है।

Master Plan For Irrigation in U. P.

470 **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any Master Plan has been prepared in conection with irrigation system for Eastern Districts of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the salient points thereof and the form in which the Gorakhpur District would get irrigation facilities after completion of the said Plan ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) : Master Plan for irrigation the Estern districts of U. P. does not appear to have been prepared so far. However, Gorakhpur district will receive irrigation benefits from the Gandak Project, which is under construction.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अखनूर के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा गश्ती दस्ते पर गोली-बारी)

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon.

Firing by Pakistani forces on the Indian border patrol South-West of Akhnoor on the 19th May, 1967 and concentration of Pakistani forces in Daggar area."

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 19 मई को प्रातः 8 बजे के लगभग अखनूर के दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम 4 से 5½ मील तक की दूरी पर भारतीय सीमा के अन्दर हमारी गश्ती पुलिस पर पाकिस्तानी जवानों ने फायर किया। पाकिस्तानी जवानों ने हल्की मशीन गनों से फायर किया तथा ग्रेनेड फेंका और उन्होंने मझोली मशीन गनों व 81 मिली मीटर वाले मारटरों का भी इस्तेमाल किया। हमारी सुरक्षा टुकड़ी को मजबूर होकर जवाबी फायर करना पड़ा। प्रायः 9-15 बजे प्रातः फायर समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी रुक-रुक कर 4 बजे सायंकाल तक फायर चलता रहा।

इससे पहले 17 मई को पहली बार उसी क्षेत्र में गश्त लगाने वाली हमारी गश्ती पुलिस को पाकिस्तानी जवानों ने चैलेंज किया तथा उनसे कहा कि वे उस क्षेत्र में गश्त नहीं लगा सकते क्योंकि गश्त लगाने वाली पटरी पाकिस्तानी अधिकार के अन्तर्गत आती है। चूंकि हमारी गश्ती टुकड़ी हमेशा से इस पटरी का इस्तेमाल करती रही है और यह रास्ता भारतीय क्षेत्र के अन्दर आता है, पाकिस्तानियों का दावा हमने स्वीकार नहीं किया। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तानियों ने हमारी पुलिस टुकड़ी पर 19 मई को जो फायर किया, वह उनकी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार था, जिससे कि वे जबर्दस्ती से उस रास्ते पर अपना अधिकार जमा लें।

पाकिस्तानी जवानों द्वारा किये गये फायर के फलस्वरूप हमारी गश्ती पुलिस का एक हैड-कांस्टेबुल मारा गया और दो अन्य श्रेणियों को चोटें आईं। दो नागरिकों को भी चोटें आईं। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तानी भी हताहत हुए हैं।

पाकिस्तान ने संयुक्तराष्ट्र फील्ड पर्यवेक्षक दल के द्वारा युद्ध-बन्दी तथा सब-सेक्टर कमाण्डर की बैठक की मांग की। उस दिन 5 बजे सांय बैठक हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि युद्ध बन्दी कायम रखी जाय। सब-सेक्टर कमाण्डरों की और आगे बैठकें हुईं, जिनमें कोई समझौता न हो सका। सब-सेक्टर कमाण्डरों ने फैसला किया है कि मामला उच्च कमाण्डरों द्वारा निर्णय लेने के लिए उनके सामने रखा जाय।

सरकार को दुःख है कि पाकिस्तान ने अकारण ही फायर किया जिससे दोनों ओर जवान हताहत हुए और तनाव बढ़ा। पाकिस्तान सरकार को एक कड़ा विरोध-पत्र भेज दिया गया है। इस सिलसिले में यह और बताना उचित होगा कि निश्चित कार्यविधि यह है कि जब दोनों

तरह के लोग आपस में कोई समझौता न कर सकें तो मामला उच्च अधिकारियों के सामने जाना चाहिए और फिर फायरिंग नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस वजह से पाकिस्तानियों ने इस मामले में निश्चित कार्यविधि नहीं अपनाई और उन्होंने शक्ति का उपयोग किया।

सरकार को इस बात का पता है कि इस फायरिंग के बाद पाकिस्तान ने कुछ और यूनिटें अखनूर सीमा के पार अपनी ओर डागर क्षेत्र में एकत्रित की हैं। इस फायरिंग से जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसमें किसी प्रकार की भी वृद्धि करने की इच्छा न रखते हुए भी मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether it is not a fact that since the date of the decision of resumption of American Military aid to Pakistan, they have intensified their propaganda war against India and at same time they attacked on petrol only to show that they are in search of an excuse to raise the Kashmir question once again in the Security Council.

The new of conflict was released first by Pakistan and their version appeared in the Indian newspapers also. I would like to know the reasons of delay in giving our version of the happening to the Press.

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीका के पाकिस्तान को फौजी सामान का विक्रय पुनः आरम्भ करने के बारे में सरकार ने अपनी स्थिति कई बार स्पष्ट की है। हम समझते हैं कि अमरीका की इस कार्यवाही से निश्चित ही हमें हानि पहुंचेगी क्योंकि अधिकांश पाकिस्तानी सामानन अमरीका का बना हुआ है।

मेरे विचार में इस घटना का पाकिस्तान द्वारा यह मामला सुरक्षा परिषद में पुनः उठाने से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। मैं उस बारे में जांच करूंगा कि कुछ समाचारपत्रों में क्या पहले छपा है। परन्तु अगले दिन समाचारपत्रों में इस मामले में हमारा दृष्टिकोण भी छपा था।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : May I know whether it is not a fact that the aggressor is aware of the situation beforehand and they are in a position to give publicity before any publicity is made by the aggrieved the country on which invasion took place ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बढ़) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के प्रतिरक्षा मन्त्री ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय विधान सभा में वक्तव्य दिया है कि वह न केवल अपने राज्यक्षेत्र की रक्षा के लिए, बल्कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी प्रतिरक्षा मंत्री को ऐसा वक्तव्य देने का प्रोत्साहन किस प्रकार मिला ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका कारण बताना तो मेरे लिए कठिन है परन्तु विभिन्न सूत्रों से पाकिस्तान को जो सहायता मिल रही है, उससे पाकिस्तानी नेताओं में युद्ध की सम्भावना हो हो सकती है।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : What is the reaction of U. N. Observers to this firing ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों से प्राप्त संदेश के आधार पर ही युद्ध विराम की व्यवस्था हुई थी। दोनों पक्षों में विभिन्न स्तरों पर सेनापतियों की बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान की मांग पर इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने हस्तक्षेप करके युद्ध विराम कराया।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I would like to know from the Hon. Minister whether there was any such clause in the Tashkent Agreement by which we would be bound by the agreement irrespective of violation of this agreement by Pakistan.

Shri Swaran Singh : There is no such clause in the Tashkent Agreement.

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते को समाप्त करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। इसके बावजूद हम कब तक इससे चिपटे रहेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : अखनूर में गोलाबारी का ताशकंद समझौते से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री निम्न बातचीत के लिए उचित वातावरण बनायेंगे ?

(क) क्या यह ठीक है कि यह गोलाबारी 17 तारीख को हुई थी;

(ख) क्या सरकार ताशकंद करार समाप्त करने पर विचार करेगी; और

(ग) हाल ही में पाकिस्तान के 5 राजनैतिक दलों ने मिलकर बिना किसी पूर्व शर्त के भारत के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : (क) जी नहीं

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : I would like to know the arrangements made for compensation made to the soldiers and civilians injured in firing. I would also like to know whether a copy of the protest will be laid on the Table.

श्री स्वर्ण सिंह : विरोध पत्र वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने भेजा है, मुझे इसकी प्रति सभा-पटल पर रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : पाकिस्तान के इस सीधे आक्रमण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उसे राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ने का कोई अलटीमेटम देगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सुझाव बुद्धिमतता पूर्ण नहीं है।

Shri Ram Charan (Khurja) : What is the intention of the Pakistan Government. Why do they indulge in such shooting ?

Shri Swaran Singh : The intention of Pakistan Government does not appear to be good and they have been rightly punised for this firing.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Simultaneously with the fighting in Akhnoor the situation in Vietnam and Gulf of Aqba is very serious. In such a situation we may have to align ourselves with any group which is against Pakistan.

श्री स्वर्ण सिंह : वियतनाम, अकाबा तथा अन्य स्थानों पर झगड़ों से हम बहुत चिन्तित हैं। हम आशा करते हैं कि इनसे झगड़ा नहीं बढ़ेगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : May I know whether there is any possibility of a meeting between the Defence Ministers of India and Pakistan in order to avoid such incidents in future ?

Shri Swaran Singh : There is no such possibility.

श्री श्रीचन्द गोयल : (चंडीगढ़) : क्या यह सच नहीं है कि डागर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव पाकिस्तान के भारत पर सितम्बर, 1965 के आक्रमण के समय से भी अधिक है ? क्या सरकार इसे गम्भीर समझती है ? यदि हां तो स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें इसकी पूरी जानकारी है और हमने इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या यह सच है कि जिस खण्ड के बारे में अब विवाद है, भारत सरकार ने युद्ध-विराम के बाद वहां गश्त न करने का निर्णय किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is constant practice of Pakistan to violate the agreements for peace. This incident is a repetition of the same practice. May I know whether, in view of this, Government will reconsider their policy ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में हमारी नीति सदा ही अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की तथा पाकिस्तान का सामना करने की रही है और यह नीति जारी रहेगी।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : May I know whether any reply has been received to our protests from Pakistan ?

Shri Swarn Singh : No, Sir.

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : अखनूर की गोलाबारी के युद्ध-विराम की शर्तें क्या हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : उसमें केवल यही शर्त है कि गोलाबारी बन्द कर दी जाये।

Shri R. Shastri (Patna) : May I know whether any financial assistance will be rendered to those injured in this firing ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know the size of the tract of land now in dispute and who is in possession of this tract ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कच्ची सड़क है और उस पर भारत का कब्जा है।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : पाकिस्तानी केवल आक्रमण का मार्ग ही जानता है। इसे देखते हुये क्या भारत सरकार भी अपनी नीति में परिवर्तन करके आक्रमण को अपनायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने न कभी आक्रमण किया है, न ही करेंगे। हम अपनी प्रतिरक्षा पूरी तरह करेंगे।

श्री राम कृष्ण (होशियारपुर) : क्या अखनूर ग्राम की सुरक्षा के लिए और पाकिस्तानी सिपाहियों को निकालने के लिए कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हाँ। हमने पर्याप्त कार्यवाही की है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : May I know whether the hot-line which was set up after the Tashkent declaration, was used during this Akhnoor conflict ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों ओर के मुख्य सेनापतियों का सम्पर्क बना हुआ था।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या माननीय मंत्री के विचार में इस गोलाबारी का सम्बन्ध केवल अखनूर की पगडंडी से ही है या यह निकट भविष्य में भारत के विरुद्ध आक्रमण करने से पहले की कार्यवाही है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम ऐसी घटनाओं को पृथक्-पृथक् रूप से नहीं देखते बल्कि उन पर अन्य बातों को ध्यान में रखकर विचार करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वक्तव्य में कहा गया है कि यह पगडंडी (ट्रैक) भारतीय क्षेत्र में है तथा भारतीय सैनिक इसका सदा इस्तेमाल करते रहे हैं। यदि वह भारतीय क्षेत्र में है तो इसके इस्तेमाल करने या न करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। रन आफ कच्छ में डिंग-सुराथ पगडंडी (ट्रैक) के बारे में भी ऐसा ही कहा गया था, परन्तु बाद में पाकिस्तान को उस पगडंडी का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई थी। 'स्टेट्स्मेन' में छापे समाचार से एक भ्रम उत्पन्न हो गया है इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह पगडंडी जिव्हा की शक्ल की है और पाकिस्तान में जाती है और क्या यह भारत की है अथवा नहीं ? हम कब से नियमित रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ? मंत्री महोदय को सब स्पष्ट करके कहना चाहिए अन्यथा बाद में रन आफ कच्छ की भांति जटिलताएँ उत्पन्न होने की सम्भावना है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह पगडंडी (ट्रैक) भारतीय क्षेत्र में है। हमने इसका सदा प्रयोग किया है। तीसरे पाकिस्तान की यह आपत्ति कि पगडंडी पर उनका नियंत्रण था अनुचित थी तथा रद्द कर दी गई थी।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I would like to know whether any permanent arrangement has been made to deal with such sort of isolated happenings ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रकार की घुसपैठ की रोक-थाम की जाती है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I would like to know the strength of the Pakistan army in that Sector period and after the incident of the 19th. I would also like to know the actual increase in Pakistan strength thereafter ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने बताया है कि वास्तव में उनकी शक्ति में वृद्धि हुई है। परन्तु वास्तव में उन्होंने और कितनी तोपें वहाँ पर लगाई हैं तथा उनकी संख्या क्या है तथा अपनी सेनाओं के बारे में कुछ बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान चीन तथा अमरीका दोनों से हथियार ले रहा है और रूस से लेने का प्रयत्न कर रहा है क्या

सरकार को विश्वास है कि पाकिस्तान किसी स्थान पर धोखे से आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि संसार का ध्यान पश्चिम एशिया के संकट तथा वियतनाम की ओर लगा हुआ है ? क्या ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक तैयारी कर ली गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने कर्त्तव्य को जानते हैं और हम निश्चय ही पाकिस्तान के किसी भी खतरे का मुकाबला करेंगे ।

Shri B. S. Sharma (Banka) : I would like to know whether our army has since been equipped with the best equipment or not ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न को नहीं समझ पाया हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ कहना चाहते थे ।

श्री रा. बरुआ : (जोरहाट) मंत्री महोदय के वक्तव्य के पहले भाग से यह प्रभाव बनता है कि अखनूर की घटना केवल मात्र सीमा घटना है परन्तु दूसरे भाग से यह प्रभाव बनता है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में सेना का जमाव कर रहा है । मंत्री महोदय इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह मामला इसी प्रकार आरम्भ हुआ था, परन्तु बाद की घटनाओं से स्थिति गम्भीर हो गई ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) क्या सरकार पाकिस्तान के प्रति कठोर रवैया अपनाने तथा एकपक्षीय कार्यवाही करके पाकिस्तान को प्रसन्न न करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस प्रकार की स्थिति के लिये पर्याप्त कार्यवाही करते हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : (जूनागढ़) इस पगडण्डी का क्षेत्र तथा रूपरेखा क्या है जिसका पाकिस्तान ने दावा किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह मुझे मिले मैं उनको नक्शा दिखाकर संतुष्ट कर दूँगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण–दिल्ली) गत पन्द्रह वर्षों में ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तान 20 अथवा 30 ऐकड़ का क्षेत्र ले गया है । जब तक यह मालूम न हो कि कुल कितना क्षत्र है तथा वास्तव में उस क्षेत्र की स्थिति क्या है तो कोई नहीं जान सकता कि पाकिस्तान का इरादा क्या है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : माननीय मंत्री नक्शे को सभापटल पर रखने की कृपा करें ।

श्री स्वर्ण सिंह : जब तक सावधानी से जांच न कर ली जाये मेरे लिए क्षेत्र बताना उचित नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghry) : It means some territory has already been lost.

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस पगडण्डी का कितना भाग भारतीय क्षेत्र में है। इस समय तथ्यों के बारे में वक्तव्य देने के लिए मुझे बाध्य करना राष्ट्रीय हितों में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसको पुस्तकालय में रख दिया जाय ताकि माननीय सदस्य इसका अध्ययन कर सके।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for lunch till Fourteen of the clock

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Fourteen of the clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **The Deputy Speaker** *in the Chair* }

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभापटल पर रखे जायें।

श्री म. ला. सोंधी (नई दिल्ली) हम चाहते हैं कि मध्यपूर्व एशिया की स्थिति पर पूरी चर्चा हो। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि आप स्थिति की गम्भीरता को महसूस करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वैदेशिक कार्य मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् मैं सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूँगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

डाकघर बचत पत्र नियम

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत (पत्र पहला संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर जो दिनांक 14 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 566 में प्रकाशित हुए थे, रखता हूँ : [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 363/67]

दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

निमार्ण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूँ :–

(1) दिल्ली विकास प्राधिकार (कर्मचारी भविष्य निधि तथा उपदान) नियम, 1966 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1859 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 256/67**]

(2) दिल्ली विकास प्राधिकार (समितियों की बैठकें) विनियम, 1966 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3619 में प्रकाशित हुए थे ।

दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अन्तगर्त अधिसूचना :

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ : (1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 16 मार्च, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (92) / 66 फाइनेंस (ई) (आई) में प्रकाशित हुये थे । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी०146/62**]

(एक) आय पर दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत सरकार तथा यूनान (ग्रीस) की सरकार के बीच करार को कार्य रूप देने के लिये आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी की गई जी० एस० आर० 394 जो दिनांक 17 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 364/67**]

(दो) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(क) एस० ओ० 1129 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) जी० एस० आर० 584 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग) जी० एस० आर० 586 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(घ) जी० एस० आर० 630 जो दिनांक 6 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हई थी ।

(ङ) जी० एस० आर० 659 जो दिनांक 3 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(च) जी० एस० आर० 707 जो दिनांक 9 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 365/67]**

(तीन) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रिय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 24 वाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 581 में प्रकाशित हुये थे।

(ख) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 26 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 582 में प्रकाशित हुये थे।

(ग) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 27 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 583 में प्रकाशित हुये थे।

(घ) जी० एस० आर० 585 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनाँक 24 सितम्बर, 1966 की जी० एस० आर० 1478 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 492 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 544 में प्रकाशित हुए थे।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 587 में प्रकाशित हुए थे।

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 13 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 702 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिए, संख्या एल० टी० 366/67]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(क) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 464 में प्रकाशित हुआ था।

(ख) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 498 में प्रकाशित हुआ था।

(ग) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 12 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 535 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 367/67**]

स्थायी सिन्धु आयोग का प्रतिवेदन

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री कु० ल० राव की ओर से 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थायी सिन्धु आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 368/67**]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लेखे।

श्री इकबाल सिंह : मैं श्री ब० मू० मूर्ति की ओर से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संख्या अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक लेखा विवरण की एक प्रति, तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 369/67**]

पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REG. SITUATION IN WEST ASIA

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पढ़ दें।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : इसराइल की सृष्टि से इसराइल और अरब देशों के बीच तनाव खड़ा हो गया। समय-समय पर यह तनाव छोटी-बड़ी आकार की घटनाओं का रूप लेता रहा है। 1956 में संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण के बाद, मिस्र और इसराइल के बीच लड़ाई खत्म कराने और निगरानी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना बनाई गई थी। इस संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना में ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, भारत, नार्वे, स्वीडन और युगोस्लाविया की सैनिक टुकड़ियां थीं, इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना को

अपनी सीमा पर तैनात करने अथवा सीमा में घुसने की इजाजत देने से हमेशा इन्कार किया है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना ने सदा ही संयुक्त अरब गणराज्य सरकार की सहमति से उसी की ओर के इलाके से कार्यवाई की।

हाल के सप्ताहों में सीरिया और इसराइल में गम्भीर तनाव पैदा हो गया है। बताया जाता है कि इसराइल के प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और सेनाध्यक्ष ने कहा है कि वे सीरिया को अच्छा सबक सिखायेंगे और दमिश्क तक पहुँच जाएंगे। साथ ही, सीरिया की सीमा के पास इसराइल की फौजों के जमाव की रिपोर्ट भी मिली हैं। सीरियाइयों को इसराइल की ओर से आसन्न आक्रमण का खतरा दिखाई दिया और उन्होंने नवम्बर 1966 के **संयुक्त अरब गणराज्य सीरिया आपसी रक्षा करार** के अन्तर्गत तुरन्त संयुक्त अरब गणराज्य से सलाह-मशविरा किया।

18 मई को ऊथांट को संयुक्त अरब गणराज्य के विदेश मंत्री से एक पत्र मिला जिसमें संयुक्त अरब गणराज्य के प्रदेश से और गाजा की पट्टी से सारी की सारी संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना हटा लेने के लिए कहा गया। संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति से फिर सलाह-मशविरा करने के बाद, महासचिव ने संयुक्त अरब गणराज्य की प्रार्थनानुसार संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना हटा लेने का फैसला किया।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना की गतिविधियों का हमेशा समर्थन किया है और वह यह विश्वास करती है कि इसराइल—संयुक्त अरब गणराज्य की सीमा पर इसकी उपस्थिति से उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहायता मिली है। फिर भी, हम इतना स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य ने जिन कारणों से विवश होकर संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना हटा लेने के लिए कहा है, उन्हें हम ठीक समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना संयुक्त अरब गणराज्य में वहां की सरकार की सहमति से ही रखी जा सकी थी और उसकी मर्जी के बिना संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना संयुक्त अरब गणराज्य के प्रदेश में नहीं रह सकती। भारत किसी भी ऐसी प्रकिया का पक्षधर नहीं बना सकता जो संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना को कब्जाकारी सेना (औक्रूपेशन फोर्स) बना दे; और न ही भारत सरकार यह स्वीकार कर सकती है कि संयुक्त अरब गणराज्य की मर्जी के बिना संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना बराबर वहाँ बनी रहे और संयुक्त अरब गणराज्य की अनुमति के आभाव में भारत के सैनिक तो किसी भी तरह संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना के अंग नहीं रह सकते। यह पुराने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबद्ध प्रस्ताव और स्वर्गीय श्री डाग हेमरशोल्ड, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, तथा संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के बीच हुए समझौते के अनुरूप भी है।

संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना को हटाने के बारे में, मैं महासचिव, ऊथांट द्वारा बताए गए कारणों का उल्लेख करना चाहूँगा जो उन्होंने 18 मई 1967 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मुख अपनी रिपोर्ट में पेश किए थे। ऊथांट ने कहा है: —

(क) संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना संयुक्त अरब गणराज्य के प्रदेश में काहिरा में सम्पन्न उस समझौते के आधार पर भेजी गई थी जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव और मिश्र के राष्ट्रपति

के बीच हुआ था और, इसलिए, मैं इसे बिल्कुल ठीक समझता हूँ कि चूँकि संयुक्त अरब गणराज्य अब अपनी सहमति देने को तैयार नहीं, इस कारण संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह सेना को हटाने का आदेश दे । मेजवान देश की सहमति होना एक आधारभूत सिद्धान्त है जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से शांति को बनाए रखने के लिए किए गए सभी कार्यों पर लागू किया गया है ।

(ख) सच्चाई यह है कि मेजवान-देश की सहमति और सहयोग के बिना संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना न यहाँ रह सकती है और न कार्य कर सकती है ।

(ग) अपनी इस गहरी चिंता का प्रभाव भी मुझ पर पड़ा है कि कोई ऐसा कार्य न होने पावे जिससे इस सेना की सैनिक टुकड़ियाँ किसी संकट में पड़ जाएं या उनके लिए कोई खतरा खड़ा हो जाए । आखिर, संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना शांति बनाए रखने के लिए ही है, दबाव डालने के लिए नहीं ।

(घ) इस सेना को हटा लेने की जब प्रार्थना की गई है तो मुझे ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता जिसे महासचिव बरत सकें और जिसके बरतने से संयुक्त अरब गणराज्य सरकार पर अपने ही प्रदेश में उसके प्रभुसत्तात्मक अधिकार पर आँच न आए ।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो बात कही है, भारत सरकार उससे पूरी तरह सहमत है ।

यहाँ में 18 मई 1967 की उस हवाई जहाज की घटना का भी उल्लेख करूंगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना के कमांडर जनरल इन्दरजीत रिखी जा रहे थे । जनरल रिखी का हवाई जहाज गाजा पट्टी के भीतर उड़ रहा था जबकि दो इसराइली विमानों ने उनके विमान को बहुत करीब से आकर घेर लिया, चेतावनी देने के लिए गोली चलाई और उनके विमान को भूमध्य सागर पर इसराइली प्रदेश में घुसने पर मजबूर करने की कोशिश की । जनरल रिखी घबराए नहीं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए । हम इस घटना को अत्यधिक उत्तेजनात्मक घटना समझते हैं । लेकिन, ऐसा समझा जाता है कि इस सिलसिले में इसराइली अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों से क्षमा याचना की है । इस अधिकारी ने, जो कि हमारी सशस्त्र सेना का अधिकारी है, जिस तरह ठण्डे दिमाग से और बहादुरी के साथ काम किया वह तारीफ के काबिल है ।

18 मई 1967 को प्रधानमंत्री को अपने राजदूत के जरिए राष्ट्रपति नासिर का ऐक मौखिक संदेश मिला । इस संदेश में इसराइल के प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और सेनाध्यक्ष के हाल ही में दिए गए विभिन्न वक्तव्यों का जिक्र किया गया था और जिनसे यह संकेत मिलता था कि सीरिया पर आक्रमण की तैयारियां की जा रही हैं । इस संदेश में यह संकेत भी था कि इसराइल दबाव से, और जरूरत हो तो आक्रमण करके भी, सीरिया में सरकार बदलना चाहती है । इन परिस्थितियों में, संयुक्त अरब गणराज्य खुले तौर पर यह कहना चाहता है कि अगर इसराइल ने सीरिया पर हमला किया तो वह सीरिया की मदद करेगा । इसी के अनुरूप संयुक्त अरब गणराज्य ने इसराइल को सीरिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय बरत लिए हैं ।

इस संदेश में यह भी कहा गया था कि संयुक्त अरब गणराज्य इस क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अपने विगत अनुभव को देखते हुए, खासतौर पर स्वेज संकट के अनुभव को देखते हुए, वह इस बात को आवश्यक समझता है कि किसी अरब देश पर इसराइल के सम्भाव्य आक्रमण का सामना करने के लिए आवश्यक ऐहतियाती कार्यवाई करले।

19 मई 1967 को, काहिरा–स्थित अपने राजदूत के जरिए, राष्ट्रपति नासिर के संदेश का उत्तर भेज दिया गया था। इस उत्तर में, इस गम्भीर स्थिति पर भारत सरकार की गहरी चिंता व्यक्त की गई थी और इसराइली नेताओं के हाल के वक्तव्यों की प्रकृति पर चिंता प्रकट की गई थी। उत्तर में यह भी कहा गया था कि संयुक्त अरब गणराज्य की तरह हम भी इस सिद्धांत के पालन में विश्वास करते हैं कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमने कहा है, कि संयुक्त अरब गणराज्य ने जिन कारणों से ऐहतियाती कार्यवाईयां की हैं, उनकी हम पूरी तरह सराहना करते हैं। हमारी यह आशा है कि शांति–कायम रहेगी और इस बात पर संतोष व्यक्त करते हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य इस क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और उसने जो कदम उठाए हैं वे एक अरब देश पर सम्भाव्य आक्रमण की ओर से तैयार रहने के लिए ऐहतियात की दृष्टि से उठाए गए हैं। इस संदेश में राष्ट्रपति नासिर के लिए व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त अरब गणराज्य के प्रति हमारी मित्रता के प्रति सादर और सम्मान पुनः व्यक्त किया गया है।

21 मई 1967 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त अरब गणराज्य के नेताओं से बातचीत करने के लिए विमान द्वारा काहिरा गए।

यह समाचार मिला है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने इसराइल के जहाजों के लिए और इसराइल के लिए लड़ाई का सामान ले जाने वाले दूसरे जहाजों के लिए अकावा की खाड़ी बन्द कर देने का फैसला किया है। जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है, हमने 1957 में ही यह फैसला कर लिया था कि अकावा की खाड़ी एक अंतर्देशीय सागर है तथा इसमें जहां से प्रवेश करते हैं वह स्थान संयुक्त अरब गणराज्य और सऊदी अरब के प्रादेशिक समुद्र में आता है। हमारा अब भी यही विचार है।

मैं सदन को मौके की नाजुकता से अवगत कराना चाहता हूँ और इस ओर से भी कि तेजी से बदलती हुई परिस्थिति में कोई विचार व्यक्त करने में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम एशिया के देशों के हितों को, भारत के हितों को और सारे संसार के हितों को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस समूचे पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। ऊथाँट एक बहुत ही नाजुक मिशन पर हैं। शांति बनाए रखने के लिए वे जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें भारत सरकार का उन्हें पूरा–पूरा समर्थन प्राप्त है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने अपने साथियों को परामर्श दिया है कि वे प्रत्येक मामले में पहल लें। यह एक अच्छी सलाह है। परन्तु इसका अनुसरण सभा के अधिकारों की उपेक्षा का नहीं होना चाहिए। हमने इस मामले पर ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी जो कि अस्वीकृत हो गई थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस अधिकार से मेरी ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकृति नहीं दी गई थी और श्री चागला ने

उसी विषय पर वक्तव्य देना उचित समझा ? मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकार को प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले पर वक्तव्य देने का अधिकार है। परन्तु यह मामला पृथक है। ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Shri M. L. Sondhi (New Delhi) : Whole f the West Asia is on the brink of war. We wanted a full discussion on it but simply a statement has been laid on tne Table of the House. My point of Order is that no attention has been paid on the points mentioned in the Calling Attention Notices.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the last Parliament a ruling was given by the Speaker that any Statement should be taken as Calling Attention Notice if the notice on the subject is received prior to the Statement. I would, therefore, request that statement of Shri Chagla should be considered as Calling Attention Notice and that too in the name of the persons who gave notices on the subject earlier.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I would also like to say the same thing that Call Attention Notice or Adjournment Motion should be taken first if they have been received earlier.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टे) : मैं माननीय मित्र श्री नाथ पाई द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूँ। हमने ध्यान दिलाने वाली दो-सूचनाएं दी थीं एक विशेष रूप से इसरायली विमानों द्वारा जनरल रिखी के विमान पर गोली चलाये जाने के बारे में थी। परन्तु उन दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु बाद में उसी विषय पर वैदेशिक कार्य मंत्री श्री चागला ने वक्तव्य दिया। यह क्या प्रक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं नहीं कह सकती कि पहले क्या प्राप्त हुआ था। यह मांग की गई थी कि श्री चागला एक वक्तव्य दे। अतः यह किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि किसी सूचना को अस्वीकार किया जाता है तो उसका कारण भी बताया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष का यह अधिकार है कि वह किस सूचना को स्वीकार या अस्वीकार करे। इस मामले में तो सूचना प्राप्त हुई थी और सरकार भी वक्तव्य देना चाहती थी।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमने अध्यक्ष महोदय को पत्र भी लिखा था कि स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : ब्रिटेन के इ० सी० एम० में प्रवेश के बारे में मेरी ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया गया परन्तु बाद में मुझे पता चला कि मंत्री ने इस बारे में वक्तव्य दे दिया है। यह कैसे हुआ ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण विषयों पर वक्तव्य दिये जाने में विलम्ब नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय वक्तव्य के बारे में कहने से पहले हमने सूचना दी थी।

श्री मु० क० चागला : जब 10 या 15 सूचनाएं प्राप्त हुई तो मैंने यह उचित समझा कि मैं एक व्यापक वक्तव्य दे दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सी ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। उन पर विचार हो रहा था। इस बीच में सरकार ने वक्तव्य देने का निर्णय कर लिया। इसमें सभा के अधिकारों की किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं हुई है।

श्री म० ला० सोंधी : यह वक्तव्य व्यापक नहीं है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हमारी सरकार ने बहुत जल्दी में अपनी राय व्यक्त कर दी है। इस झगड़े में संयुक्त अरब गणराज्य एक पक्ष नहीं है। वास्तव में सीरिया का झगड़ा है। हम यह सब कुछ संयुक्त अरब गणराज्य के लिये कर रहे हैं। परन्तु जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था या जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उस समय संयुक्त अरब गणराज्य तटस्थ रहा था और हमारी सहायता नहीं की थी। अब हमें भी चुप रहना चाहिये था। हमें अपने देश के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

श्री मु० क० चागला : हम शान्ति के लिये यह कार्य कर रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : आप तो युद्ध चाहते हैं।

श्री मु० क० चागला : भारत ने कभी नहीं चाहा कि युद्ध हो।

श्री बलराज मधोक : परन्तु हमारी कार्यवाही का अर्थ यही है।

श्री मु० क० चागला : हमें गर्व है कि 10 वर्षों तक हमने वहां पर शान्ति कायम किये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सेना रखी। अकाबा की खाड़ी में राष्ट्रपति नासर ने जो कार्यवाही की वह तो सावधानी के रूप में की गई है।

श्री म० ल० सोंधी : खाड़ी की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी है...... **(व्यवधान)**

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या यह अमरीकी एजेन्ट है...... **(व्यवधान)**

Shri A. B. Vajpayee : It is unparliamentary. He should not say that he is American lobbyist.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या भारत युद्ध चाहता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मतभेद हो सकता है परन्तु दूसरों पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोंधी से कहा है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें और बीच में खड़े न हों।

श्री बलराज मधोक : माननीय सदस्यों पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वे शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे ऐसे आरोप पहले भी यहां पर लगाये जाते रहे हैं। इन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** *in the Chair* }

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a question on which there can be a difference of opinion. In a democracy people have got a right to differ. It is not proper to call a man as American agent. Hon. Speaker can ask a member to sit down. I request Prof. Mukerjee to withdraw his words.

अध्यक्ष महोदय : वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अभी अभी जो वक्तव्य दिया है उस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लोक तंत्र में हम में एक दूसरे के विचारों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिये भले ही हम उन विचारों से सहमत हों या न हों मैं माननीय सदस्यों को उनके विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं विरोधी दल के सदस्यों के मतभेद को पूर्ण रूप से समझता हूँ, परन्तु आप एक बात से तो सहमत होंगे कि भारत सदा शान्ति प्रिय देश रहा है और भारत ने सदा आक्रमण की निन्दा की है। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमने वही कार्य किया है जिससे युद्ध टल जाय और शान्ति की स्थापना हो सके।

अकाबा की खाड़ी के विषय में हम ने बिलकुल सही दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रपति नासर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि इसराइल को हथियार दिये जा रहे हैं। इसी से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि वह केवल इसरायल के जहाज या उन जहाजों को, जो इसराइल के लिये युद्ध का सामान ले जा रहे हों, उस खाड़ी में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं। क्या हम इस सीमा तक राष्ट्रपति का समर्थन नहीं कर सकते ? विधि के अनुसार यह खाड़ी उनकी समुद्री सीमा के अन्तर्गत है और वह अपनी सुरक्षा के लिये खाड़ी का मार्ग बन्द करना चाहते हैं और यह ठीक बात है। इस खाड़ी की चौड़ाई 9 मील है। एक ओर संयुक्त अरब गणराज्य है और दूसरी ओर साऊदी अरब है। समुद्री सीमा के सिद्धान्त के अनुसार भी यह चौड़ाई बारह मील होनी चाहिये जबकि इस खाड़ी की चौड़ाई 9 मील है। उन्होंने कहा है "सीरिया मेरा मित्र देश है और उस पर आक्रमण को रोकने के लिये मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहता।" इस सही दृष्टिकोण के कारण ही हम उनका समर्थन करते हैं। हम युद्ध-पिपासु नहीं हैं और इस तरह की बातें करके हमें अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहिये।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Whether it is not a fact that India has accepted the existence of Israel ? Whether it is not a fact that we have recognised Israel ? When we have recognised Israel then how the Minister of External Affairs has stated that the creation of Israel has given rise to tension. Does it not mean that so long the existence of Israel is there, the tension will continue ? On one side the Hon'ble Minister claims to be very cautious but will it not incite the Arab countries that they should not accept the existence of Israel and tension may continue till the existence of that country. This statement is contrary to the facts. It would have been better if the facts had been ascertained by sending a special emissary to Cairo and Tel Aviv before offering any opinion.

We being member of Security Council are also obliged to make efforts to maintain peace. On one side we have supported the action of Mr. U. Thant and on the other side we continue to support one party blindly. Is it in conformity with the principle of co-existence ? Is it not a fact that the commandoes from Syria have created this tension ?

श्री मु० क० चागला : इसराइल का अस्तित्व एक तथ्यपूर्ण बात है और जो मैंने कहा है वह भी तथ्य है। हमने इसरायल का अस्तित्व माना है। जहाँ तक सीरिया के कमांडोज़ का सम्बन्ध है, इस विषय में महासचिव ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि कमांडोज़ के संगठन पर आरोप लगाया जाता है परन्तु उसके बारे में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। इस प्रकार महासचिव अब तक यह निश्चय नहीं कर पाये कि इन कमांडोज के आक्रमणों के पीछे कोई अरब देश है। परन्तु दूसरी ओर सीरिया के विरुद्ध दिये गये वक्तव्य हमारे पास मौजूद हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आपको महासचिव के 13 मई के वक्तव्य का भी उल्लेख करना चाहिये जिसमें उन्होंने कहा है कि सीरिया तोड़फोड़, करने वालों को इसराइल में भेजता है।

श्री मु० क० चागला : मेरे पास यह वक्तव्य नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इसराइल के जिद्दी रवैये के कारण, जो पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थन के कारण है, और जनरल रिखी के हवाई जहाज पर कायरतापूर्ण आक्रमण के कारण हम यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम किसी विदेशी प्रभाव के कारण पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में अपनी विदेशी नीति को परिवर्तित नहीं करेंगे। यह बहुत ही आवश्यक बात है और क्या हमने राष्ट्रपति नासर को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम उसके साथ हैं ? मुझे ऐसा आभास मिल रहा है कि इस सम्बन्ध में हम पर काफी दबाव डाला जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

श्री मु० क० चागला : मैंने यह बता दिया है कि हम पर किसी देश का दबाव नहीं है और हमारी विदेश नीति एक स्वतंत्र नीति है और हमारे देश का हित करने वाली है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Hon'ble Minister has stated that he would like to impress on the House the gravity of the hour and need to be extremely cautions in expressing views but he himself has given one-sided picture as he quoted the Israeli Prime Minister, Foreign Minister and Chief of Army Staff as saying that they would teach Syria a severe lesson. But President Nasser has repeated several times that he will put an end to the existence of Israel. We condemned the action of Israel in the year 1956 and we strongly supported the nationalisation of Suez Canal. He has stated in his statement that we express deep concern of the Government of India at the dangerous situation which had developed and our anxiety at the nature of statements recently made by the Israeli leaders. We accept concern on their statement and express gratification on the statements made by Egypt. Can we call it a neutral policy ? If a neutral country is attacked by a country who is affiliated with one of the power blocks, when Pakistan and China attack a neutral country, what is the attitude of these neutral countries towards it ? They do not support that neutral country. In other words neutral countries do not support the neutral country which has been attacked which is quite clear from the Pakistan and China invasions of India. I mean to say that friendship cannot be one sided. President Nasser should have been told about it. He should have supported us when w

were attacked in 1962 and 1965. I agree that is dangerous to constitute or State on the religious basis but the Hon'ble Minister should also have stated that Pakistan was also created on the basis of religious with the result that there is tension between India and Pakistan.

In order to resolve the tension in the world we should adhere to some principle that was adopted by India in 1946 and 1948. This suggestion was that Lews and Arab countries should form a federation and on this basis other disputes of the world can also be resolved. We always talk of foreign lobbies but we do not talk of Indian lobby of which we could feel proud.

अध्यक्ष महोदय : यहां पर हम सब भारतीय हैं और इसलिये हमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री मु० क० चागला : श्री लिमये ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने संयुक्त अरब गणराज्य का पक्ष लिया है और मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस वक्तव्य से पैराग्राफ पढ़े गये हैं, उसी संदर्भ में उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति नासर से बार बार यही बात कही है कि वह शान्ति बनाये रखने के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करें।

जहां तक निष्पक्षता का सम्बन्ध है, मेरे विचार में तो हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष है। मैं श्री लिमये की इस बात से सहमत हूँ कि धर्म और राष्ट्रीयता को एक ही नहीं समझना चाहिये। मिस्र का भी यही दृष्टिकोण है (**व्यवधान**) राष्ट्रपति नासर ने मुसलमानी गठबन्धनों का सदा विरोध किया है। (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : Has President Nasser ever made a statement that "The aggression of Pakistan has given rise to tension between India and Pakistan".

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये का पाकिस्तान, कोरिया, जर्मनी आदि के बारे में नीति सम्बन्धी प्रश्न था। उसका उत्तर बिना किसी पूर्व सूचना के देना कठिन है।

श्री मु० क० चागला : मैं उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा परन्तु उपयुक्त समय पर दूंगा। इस प्रश्न का वर्तमान चर्चा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : This is a straight forward view that tension will not exist at all if idea of Federation is accepted. Now the question is whether Government share this view ?

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : जो लोग सदा इस बात के पक्षपाती रहे हैं कि हमें किसी ब्लाक के साथ मिल जाना चाहिये वे इस मामले में निष्पक्षता के पक्ष में बोल रहे हैं। सरकार को उसी स्थिति पर दृढ़ रहना चाहिये जो सरकार ने अपने वक्तव्य में कही है चाहे उस पर कितना ही दबाव क्यों न डाला जाये।

मुझे पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव राष्ट्रपति नासर से यह बात कह रहे थे कि वह अकाबा की खाड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना रहने देने के लिये सहमत हो जायें और इस काम में मेजर जनरल रिखी उनके साथ थे। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मेजर जनरल रिखी गाजा के प्रतिनिधि के रूप में (**व्यवधान**)............

जनरल रिखी तो सैनिक कर्तव्य को निभाने के लिये गाजा हैं में और यह बातचीत राजनीतिक थी और यह प्रस्ताव भी राजनीतिक था, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि कहीं इससे अरब राष्ट्रों में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न न हो जाय ।

श्री मु० क० चागला : जनरल रिखी एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक कर्मचारी है । वह संयुक्त राष्ट्र संगठन में उपनियुक्ति पर है । वह महासचिव के अनुदेश पर बातचीत में शामिल हुए, हमारे कहने पर नहीं ।

श्रीनाथ पाई (राजापुर) : इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं कि आप संयुक्त अरब गणराज्य का पक्ष लें, परन्तु इस वक्तव्य में न तो वहाँ युद्ध जैसी स्थिति के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त की गई है और न शान्ति बनाये रखने की कोई बात कही गई है । रूस ने भी संयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन किया है परन्तु उन्होंने शान्ति बनाये रखना अपना कर्तव्य बताया है । इस वक्तव्य में उल्लिखित है कि हम संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा पूर्वोपाय करना ठीक समझते हैं इस प्रकार की विस्फोटक अवस्था में हम इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं । हमने एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने शुरू कर दिये । क्या हमने दूसरे पक्ष की बात को सुना है ? बिल्कुल नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछेंगे ?

श्री नाथ पाई : मैंने वादविवाद के लिये नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पर अब आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्रीनाथ पाई : मैं श्री चागला से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी देशों से मित्रता रखना हमारी नीति नहीं है और यदि यह ठीक बात है तो आप उसका अनुसरण कहां कर रहे हैं ? क्या आपने एक देश पर, जिसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, आरोप लगाने से पूर्व अच्छी प्रकार से विचार किया है ? क्या इस बात से शान्ति स्थापना में सहायता मिलेगी ? हमें रूस की तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था जिसने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उस क्षेत्र में युद्ध करना किसी के हित में नहीं होगा । हम भी इतनी बात तो कह ही सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्रीनाथ पाई : प्रश्न यह है कि क्या दूसरे पक्ष को जानने के लिये भारत सरकार ने प्रयत्न किया है ? क्या इस संकटपूर्ण स्थिति में भारत द्वारा एक पक्ष का समर्थन करना उचित है ? हमें अपनी मित्रता प्रदर्शित करने के साथ साथ सावधानी बरतने के लिये भी कहना चाहिये था । श्री चागला ने पहले कही हुई बात को दोहराया है । शायद प्रधान मंत्री इसका उत्तर दे सकें ।

श्री मु० क० चागला : मैं अपने वक्तव्य के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ । मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी भाषा पर नियन्त्रण रखेंगे । मैं जानता हूँ कि जब आप वकालत करते थे तो उनकी भाषा मधुर, आदरपूर्ण और सुविचारित होती थी ।

मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि श्री नाथपाई ने रूस के पत्र का उल्लेख किया है। इसमें यही लिखा है कि 7 अप्रैल को इसरायल की सेना ने सिरिया पर आक्रमण किया था तथा उसके बाद भी वह सीमा पर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाते आ रहे हैं। उन्होंने खुला आक्रमण करने की धमकी भी दी है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसरायल ने ऐसा कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों की शह पर ही किया है।

माननीय सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि हम शान्ति के लिए चिन्ता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में शान्ति के लिए चिन्ता व्यक्त की है। राष्ट्रपति नासिर को जो पत्र लिखा गया है उसमें भी शान्ति के लिए चिन्ता व्यक्त की गई है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : राष्ट्रपति नासिर ने कहा है कि उन्होंने केवल निरोधक कार्यवाही की है और कि इसरायल के विरुद्ध आक्रमण करने का उनका कोई इरादा नहीं है। क्या मंत्री महोदय दिन प्रतिदिन स्थिति पर निगाह रखेंगे तथा तीन अथवा चार दिन बाद सभा को बतायेंगे कि निरोधक कार्यवाही ने एक युद्ध का रूप धारण नहीं कर लिया है ? उनको उक्त विषय पर सभा में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि विवरण से पता चलता है कि स्थिति विस्फोटक है।

श्री मु० क० चागला : हम निश्चय ही हिंसा को रोकने का यथासम्भव प्रयत्न करेंगे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरूपल्लि) : हमें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) I would request you to give opportunity to speak to at least ten or twelve Members of the House.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य की मित्रता के बारे में कहा है। मैं अलजाहूरिया, जो कि संयुक्त अरब गणराज्य का एक प्रसिद्ध सरकारी समाचार पत्र है, के सम्पादक का बयान पढ़ सुनाता हूँ जो कि उन्होंने ढाका में दिया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त अरब गणराज्य के लोग काश्मीर के संघर्ष में वही भावनाएं रखते हैं जो आप फिलस्तीन के बारे में रखते हैं। 1965 की सितम्बर के युद्ध में हमारे जज़बात आपके साथ थे। इस का आप विश्वास करें उस समय संपादक महोदय ढाका के सरकारी दौरे पर थे। तो भारत सरकार किस प्रकार कह सकती है कि संयुक्त अरब गणराज्य एक मित्र देश है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्ध वैसे ही हैं जैसे कि इसरायल के साथ।

मंत्री महोदय ने कहा कि 1957 में जब इस खाड़ी का प्रश्न उत्पन्न हुआ था तो कृष्णमेनन ने कहा था कि हम संयुक्त अरब गणराज्य तथा साऊदी अरब के अधिकारों का समर्थन करते हैं। परन्तु उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने इस बात के लिए मत दिया था कि इस खाड़ी से इसरायल सहित सभी देशों के जहाजों को गुजरने की स्वतन्त्रता होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इन दोनों बातों में तालमेल किस प्रकार बनायेंगे।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य ने जिस समाचार पत्र का उल्लेख किया है मैंने इसको नहीं देखा है। फिर उस समाचार पत्र में जो छापा है उसको संयुक्त अरब गणराज्य की सरकारी नीति कहना उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिसमें यह

कहा गया हो कि इस खाड़ी से सभी देशों के जहाज गुजर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य उस संकल्प को मेरे ध्यान में लायें तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : मैं श्री चागला से इस बात में सहमत हूं कि हमारा देश युद्ध चाहने वाला देश न हो करके सदा शान्ति का समर्थन करता है। परन्तु मुझे दुख इस बात से हुआ कि प्रधान मंत्री ने अपने दल की बैठक में तुरन्त ही संयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन कर दिया। इस प्रकार शान्ति बनाये रखने के लिये कार्य नहीं किया जा सकता। क्या मंत्री महोदय का ध्यान संयुक्त अरब गणराज्य के समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र है और यहां मुसलमानों का दमन किया जाता है तथा भारत में कुत्ते इन्सानी बच्चों को खाकर खूब पनप रहे हैं? मैं विशेषकर प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह राष्ट्रपति नासिर को निवेदन करने वाली है कि वह इस गन्दे प्रचार को रोके?

श्री मु० क० चागला : मैंने भी उक्त बातों को पढ़ा है और उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे आशा तथा विश्वास है संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। फिर भी हमने उचित मार्गों से इन लेखों की ओर संयुक्त अरब गणराज्य का ध्यान दिलाया है।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय मैं एक पत्रकार के रूप में संयुक्त अरब गणराज्य में था। मैंने देखा कि वहां भारतीय राजनीति तथा लोग भारत के पक्ष के समर्थक थे। जैसा मैंने देखा संयुक्त अरब गणराज्य एक समाजवादी तथा धर्मनिर्पेक्ष देश है। साम्राज्यवादियों की देशों को बांटने की नीति के आधार पर ही इसरायल बनाया गया था। केवल संयुक्त अरब गणराज्य ही एक ऐसा देश है जो मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ रहा है। अरब देशों के अन्तिम उच्च सम्मेलन में राष्ट्रपति नासिर ने ही भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया था तथा पाक-समर्थक संकल्प को पारित नहीं होने दिया था। क्या मन्त्री महोदय ने इन सब बातों पर ध्यान दिया है?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य ने मेरे ही विचारों को अच्छी भाषा में व्यक्त किया है।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : क्या भारत सरकार ने इसरायल की सरकार से इस समस्त विषय पर उनके विचार जानने का प्रयत्न किया है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री मु० क० चागला : हमने कोई पूछताछ नहीं की है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : ऐसा कहा जाता है कि इसरायल अमरीका पर बहुत अधिक निर्भर है। क्या मंत्री महोदय ने इसरायल को अफ्रो-एशिया का ही एक देश मानने का आश्वासन देकर उसको अमरीका की निर्भरता से दूर ले जाने की सम्भावनाओं की जाँच की है? मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह मौके पर जा कर जाँच ब्यूरो की सम्भावनाओं पर विचार करे और सुनी सुनाई बातों पर निर्भर न रहें। क्या भारत सरकार इसरायल को

इस आधार पर मान्यता देने को तैयार है कि उसने अमरीका के नियंत्रण से बाहर स्वतन्त्र देश के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया है ।

श्री मु० क० चागला : हमने इसरायल को पहले ही मान्यता दे रखी है । परन्तु हमारे उसके साथ राजनैतिक सम्बन्ध नहीं हैं केवल एक वाणिज्य निकाय है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): We should follow our policy about the middle east keeping in view four factors i. e. friendship with Arab countries and their people, friendship with Jew community and recognisance of the existence of Israel State. In this way we will have the best policy.

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं उसको निश्चय ही ध्यान में रखूंगा ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I would like to know whether Government would adopt the attitude that foreign bases should not be established anywhere in the world so that peace may prevail in the world ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है ।

श्री निम्बियार (तिरुचिरूपल्लि) : इस बात को देखते हुए कि बड़ी शक्तियां जहाज आदि भेजकर पश्चिम एशिया में तनाव पैदा करने में रूचिकर हैं क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम इन शक्तियों का नाम लें तथा अपनी पूरी शक्ति दूसरी ओर लगाकर शान्ति बनाने का प्रयत्न करें ?

अध्यक्ष महोदय : सभा पाँच बजे शाम तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा सायं पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjoinned till seventeen of the lcock

लोकसभा सायं पांच बजे पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Re-assembled at seventeen Hours of the clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Speaker *in the Chair* }

सामान्य आयव्ययक, 1967-68
GENERAL BUDGET, 1967-68

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने इस माननीय सभा के सामने इसी वर्ष 20 मार्च को 1967-68 के लिए एक अन्तरिम बजट पेश किया था । वह बजट पेश करते हुए मैंने कहा था कि चालू वर्ष का बजट बनाते समय कई कठिन और परस्पर-विरोधी बातों का खयाल रखना पड़ा है । संसद के पिछले सत्र में, स्थिति की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए न तो माननीय सदस्यों के पास और न सरकार के ही पास काफी समय था । इसी पृष्ठभूमि में सरकार की बजट संबंधी तथा सामान्य आर्थिक नीतियों की पूरी तस्वीर संसद के इस अधिवेशन में पेश करने का विचार किया गया है और इसी उद्देश्य को लेकर मैं इस समय इस सभा के सम्मुख उपस्थित हूं ।

2. आर्थिक क्षेत्र में तात्कालिक चिन्ता के कारण ये हैं :

पहला यह है कि सूखे के कारण सामान्यतः अन्न की पूर्ति (सप्लाई) की स्थिति और खास तौर से कमी वाले इलाकों के लोगों के कल्याण की स्थिति जटिल है।

दूसरा यह कि पिछले तीन वर्ष से मूल्यों में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसे कम से कम समय में रोकना है।

तीसरा यह कि औद्योगिक क्रियाकलाप को नयी चेतना देना आवश्यक है, खास तौर से कई पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में, क्योंकि मांग की कमी से इन्हें हानि उठानी पड़ रही है।

चौथा यह कि निर्यातों के सम्बन्ध में, हाल में जो प्रतिकूल प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं उनका निवारण यथा सम्भव जल्दी से जल्दी करना है।

और आखिरी यह कि इन सभी तात्कालिक समस्याओं को इस तरह से हल किया जाना चाहिए जिससे हमें इस बात का भरोसा हो सके कि हम एक लम्बी अवधि तक संतोषजनक विकास की आशा कर सकते हैं जिसमें मूल्यों में उचित रूप से स्थिरता आयेगी तथा आत्म-निर्भरता बढ़ेगी और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं होगी।

खाद्य-स्थिति

3. पिछले दो मौसमों में अन्न की औसत पैदावार 1964-65 की पैदावार से 17 प्रतिशत कम रही है। पैदावार में इतनी ज्यादा कमी से देश के कई भागों में किसानों की आमदनी में कमी हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे पहले इस बात की चिंता करना स्वाभाविक था कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम और आमदनी की व्यवस्था करके तथा सरकारी माध्यमों से काफी अन्न देकर उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाय। मेरे विचार से, देश और हमारे विदेशी मित्रों के लिए, जिन्होंने इस कठिन समय में हमें मूल्यवान सहायता दी है, यह संतोष का विषय है कि पैदावार में भारी कमी होते हुए भी एक बड़ी विपत्ति टल गयी है। मैं इस माननीय सभा और सभी अभावग्रस्त क्षेत्रों, खासकर बिहार के बड़े-बड़े क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूखापीड़ित लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न तो कोई प्रयत्न उठा रखेंगे और न पैसे की कमी होने देंगे कि सहायता कार्य और अन्न के वितरण की सरकारी व्यवस्था आने वाले कमी के महीनों में भी जारी रहेगी और आवश्यक सीमा तक बढ़ायी भी जायगी। राहत के कामों और अन्न की तंगी वाले राज्यों को अन्य प्रकार से सहायता पहुँचाने के लिए, केन्द्रीय बजट 38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने का मेरा विचार है। अन्तरिम बजट में 37 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है यह रकम उसके अलावा है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज की कठिन परिस्थितियों में भी, केन्द्र में, हम जो भी पैसा बचा सकते हैं उसमें से, सबसे पहले कमी वाले क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुँचायी जानी चाहिए।

4. 1967 के पहले पांच महीनों में हम 35 लाख मैट्रिक टन अन्न का आयात कर चुके हैं। इसके अलावा, मई के अन्त तक बाहर से 26 लाख मैट्रिक टन और भी अन्न आने

की सम्भावना है। लगभग 60 लाख मैट्रिक टन के इस कुल परिमाण में 10 लाख मैट्रिक टन से कुछ अधिक अन्न, जिसमें गेहूं और चावल की मात्रा प्राय: बराबर बराबर है, हमारे अपने साधनों से खरीदा गया है; बाकी में पी० एल० 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त अन्न और दूसरे देशों, मुख्यत: कनाडा, सोविएट रूस और आस्ट्रेलिया से मिला हुआ अन्न शामिल है। बराबर की व्यवस्था करने की शर्त के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने और भी 30 लाख मैट्रिक टन अन्न देने की इच्छा प्रकट की है, और इसमें से अनुमानत: 15 लाख मैट्रिक टन की मंजूरी के जल्दी ही मिल जाने की आशा है। हमने अपने ही साधनों से जिन खरीदारियों की मंजूरी दी है उनमें से एक बड़े भाग की मंजूरी इस अनुमान के आधार पर दी गयी है कि दूसरे देशों से ऐसे रूप में उपयुक्त सहायता मिल सकेगी जिससे शोधन सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेंट्स) की हमारी सामान्य स्थिति पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकेगा। इन खरीदारियों के अलावा जो अन्न रियायती शर्तों पर हमें मिलता है उसके भाड़े की अदायगी पर हमें अपनी कमाई हुई विदेशी मुद्रा की भारी रकमें खर्च करनी पड़ती हैं। इतने पर भी, सरकारी वितरण-व्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए, हमारे अपने ही साधनों से आवश्यक मात्रा में और अधिक अन्न का आयात करने का प्रबन्ध किया जायेगा।

5. दुनियाँ भर में चावल की प्राप्ति बहुत सीमित है, और जो चावल मिलता भी है उसके भाव दूसरे अनाजों के भावों से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए, सरकारी वितरण-व्यवस्था को मुख्यत: गेहूं और माइलो पर निर्भर होना पड़ेगा। गेहूं की पूर्ति तो विदेशों से गेहूं मंगा कर काफी हद तक की जा सकती है, लेकिन चावल की पूर्ति तो देश के अंदर वसूल की जाने वाली मात्रा पर ही निर्भर होगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी राज्य सरकारें, चाहे उनके यहाँ आवश्यकता से अधिक (सर्प्लस) अनाज पैदा होता हो या कम, अधिक से अधिक मात्रा में चावल, गेहूं और दूसरे अनाज वसूल करने के काम में सहयोग दे रही हैं। इस प्रयत्न को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने वसूल किये जाने वाले अनाज के भाव बढ़ा दिये हैं और राज्यों के बीच क्षेत्रीय प्रतिबंधों को न सिर्फ कायम रखा है, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाया है। सामान्य परिस्थितियों में अबाध वितरण और अबाध यातायात के लाभ चाहे जो हों, स्पष्ट है कि आज की परिस्थितियों में सरकारी वितरण-व्यवस्था और क्षेत्रीय प्रतिबंधों को जारी रखना ही पड़ेगा।

6. माननीय सदस्यों को मालूम है कि राजसहायता-युक्त जिन दरों पर हम विदेशों से मंगाया गया अनाज राज्य सरकारों और दूसरों को देते हैं उनके कारण अन्न की मौजूदा वितरण-व्यवस्था से केन्द्र की वित्तीय स्थिति पर बहुत बोझ पड़ रहा है। अनुमान है कि इस राजसहायता से केन्द्रीय सरकार पर, चालू वर्ष में, 118 करोड़ रुपये का भारी बोझ पड़ेगा। बजट सम्बन्धी स्थिति कठिन होते हुए भी हमने अनाज के लिए दी जाने वाली राजसहायता को अभी जारी रखना ही उचित समझा है। किन्तु हमारी नीति यही है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल होती जायें, इस राजसहायता को कम करते हुए बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाये। इस वर्ष विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था करने में हमें जो कठिनाई हुई है उस के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि अन्न सम्बन्धी राजसहायता देने पर हमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ा है। इस्तेमाल की चीजें कितनी ही आवश्यक क्यों न हों, उन के लिए राज-सहायता देने की नीति अपना कर विकास सम्बन्धी खर्चों को

कम करते जाने से, आने वाले वर्षों में उन्हीं जरूरी चीजों की व्यवस्था करने की हमारी शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

7. केन्द्र द्वारा जो राजसहायता दी जाती है उसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से अनाज के सम्बन्ध में राजसहायता देती हैं। हमारे संघीय संविधान में यह निश्चय करना केन्द्र का काम नहीं है कि इस तरह के मामलों में राज्यों को क्या करना चाहिए। किन्तु यह बता देना मेरा कर्त्तव्य है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो काफी राज-सहायता दी जा रही है उस के अतिरिक्त भी यदि कोई राज्य सरकार अनाज के लिए राज-सहायता देना चाहती है, तो उसे अपने ही साधनों पर निर्भर रहते हुए, और इसके लिए किसी तरह की भी केन्द्रीय सहायता का भरोसा किये बिना, ऐसा करना होगा।

कृषि-उत्पादन

8. माननीय सदस्यों को पता है कि नयी कृषि-नीति के अनुसार, स्थायी आधार पर खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं। खरीफ की अगली फसल की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए तुरन्त उपाय करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी आशा में चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा कि दो भयंकर सूखों के बाद अगली फसल के समय मौसम जरूर ही अच्छा रहेगा। मौसम कैसा भी रहे, इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिए फौरन कदम उठाने ही होंगे कि अगले वर्ष की फसल की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए जिन कार्यक्रमों का सबसे अच्छा परिणाम निकलने की सम्भावना है, जैसे कि सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं का, पहले से अच्छे बीजों और अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की व्यवस्था करने का, उन्हें आपात स्थिति (इमर्जेंसी) के आधार पर हाथ में लिया जाये। यही कारण है कि अन्तरिम बजट में भी हम ने चालू वर्ष की पूरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था करने का यत्न किया था। इन आवश्यकताओं पर फिर से विचार करने के बाद, भूमि-बन्धक बैंकों के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है; और इसके लिए 5 करोड़ रुपये की और भी व्यवस्था करने का मेरा विचार है। राज्य सरकारों को दी जाने वाली आयोजना सम्बन्धी सहायता को 535 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, जिसकी व्यवस्था अन्तरिम बजट में की गयी थी, 590 करोड़ रुपया कर देने का मेरा विचार है। वास्तव में यह निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। किन्तु मुझे आशा है कि जो कुल साधन उन्हें प्राप्त हैं उनका एक बड़ा हिस्सा वे खेती की उपज में तुरन्त वृद्धि करने के लिए अलग कर देंगे। विदेशों से रासायनिक खाद मँगाने के लिए इस समय हम लगभग 30 करोड़ डालर की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि सिर्फ तीन साल पहले 10 करोड़ डालर से भी कम की व्यवस्था की जाती थी। इसी तरह, रासायनिक खाद सम्बन्धी ऋणों की रकमों में भी काफी वृद्धि की जा रही है।

9. सूखे ने न केवल अन्न सम्बन्धी स्थिति पर बुरा असर डाला है, बल्कि कच्चे जूट, कपास, तेलहन और चीनी जैसी अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति (सप्लाई) की स्थिति को भी बहुत बिगाड़ा है। कच्चे जूट और कपास दोनों के ही भारी आयात के लिए प्रबन्ध करने पड़े और करने पड़ रहे हैं और निर्यात तथा आन्तरिक खपत दोनों को ही सहारा देने के हेतु

अतिरिक्त आयात करने के लिए हम व्यवस्था करेंगे । जहाँ तक कच्चे जूट के आयात का सम्बन्ध है, भारतीय जूट उद्योग की प्रतियोगितात्मक स्थिति को सम्भाले रखने के लिए चालू वर्ष में राजसहायता जारी रखी गयी है । अगली फसल की सम्भावना को देख कर हम आयात और राजसहायता दोनों की स्थिति पर फिर से विचार करेंगे । इस बीच देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कच्चे जूट का निम्नतम सहायतार्थ मूल्य (सपोर्ट प्राइस) 35 रुपये प्रति मन से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति मन कर दिया गया है ।

10. कच्चे जूट और कपास तथा तेलहन के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गवेषणा और दूसरी तरह के कार्यों को बढ़ाना सबसे अधिक आवश्यक है। हमारे महत्वपूर्ण निर्यात उद्योगों में से बहुतों का भविष्य उस कुशलता पर निर्भर होगा जिसकी सहायता से हम उनके लिए कच्चा माल तैयार करेंगे । संतोष की बात है कि औद्योगिक क्षेत्र में इस आवश्यकता के प्रति चेतना बढ़ती जा रही है और कुछ बाद में, मैं अपने कर-कानूनों में उस परिवर्तन का जिक्र करूंगा जिसे मैं, अपने उद्योग-धंधों द्वारा गवेषणा-कार्यों को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए करना चाहता हूं ।

11. इस साल चीनी के उत्पादन में खास तौर से बहुत कमी हुई है । चीनी की आन्तरिक खपत में कमी किये बिना काम नहीं चल सकता; और इस कमी को उचित रूप से बांटने के लिए मूल्य और वितरण पर लगे हुए नियंत्रणों को जारी रखना होगा । हम स्थिति की बराबर समीक्षा करते रहेंगे और अगले मौसम में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे और अन्य प्रकार से इसके उपयोग को उचित सीमाओं में रखेंगे ।

मूल्य-स्थिरता

12. हाल के सूखे के कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है । रुपये के अवमूल्यन के कारण भी कुछ सीमा तक मूल्यों में वृद्धि हुई है । ऐसी परिस्थिति से, जिसमें तीन वर्ष में मूल्यों में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, स्वभावतः और अधिक मुद्राबाहुल्य (इन्फ्लेशन) की आशंकाएं पैदा होती हैं; और फिर इनके कारण बचतों में कमी हो जाती है और जमीन, शहरी सम्पत्ति, सोने और वस्तुओं की खरीद में पैसा लगाने जैसे अनुत्पादक निवेशों (इन्वेस्ट-मेण्ट) को बढ़ावा मिलता है । इसलिए ऐसे निवेशों पर रोक लगाना, किसी भी समय की अपेक्षा, ज्यादा जरूरी हो जाता है । इसके अलावा, मूल्यों के तेजी से बढ़ने वाले समय में, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में असमान गति से वृद्धि होने लगती है और इससे सापेक्ष (रिलेटिव) मूल्यों के समायोजन की अनेक कठिन समस्याएं पैदा हो जाती हैं ।

13. मुद्राबाहुल्य के साथ-साथ चलने वाली कठिनाइयों के अलावा हमें उस हालत में उन खास-खास पेचीदगियों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब मूल्य वृद्धि की प्रारम्भिक प्रेरणा मांग में बहुत अधिक वृद्धि होने की अपेक्षा उत्पादन में एकाएक और भारी कमी आ जाने से पैदा होती है । उत्पादन में सहसा कमी आ जाने पर माँग को तेजी से घटाना हमेशा ही सम्भव नहीं होता और तब सम्भरण (सप्लाई) और मांग (डिमाण्ड) में तालमेल बिठाने की प्रक्रिया को एक अरसे तक, और बाहर से माल मँगा कर, जारी रखना पड़ता है । लेकिन उत्पादन

घटने और मूल्यों के बढ़ने से, निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई भी घट जाती है। जिसके कारण पहले से अधिक आयातों द्वारा देश के अन्दर माल की उपलब्धि को बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। इस के अलावा, मुद्राबाहुल्य सम्बन्धी मनोवृत्ति और उत्पादन की कमी से राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता के कारण सरकारी और गैर-सरकारी खर्च में कमी करना जरूरी हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ खास-खास उद्योगों के माल की मांग में कमी आ जाती है। इसी तरह, जब फसलें खराब हो जाती हैं और वास्तविक आमदनी में व्यापक रूप से कमी आ जाती है, तो उपभोक्ता की मांग घटने और कच्चे माल को लागत में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है जिसके कारण कुछ उद्योग सचमुच दोहरी कठिनाई में पड़ जाते हैं। मैंने जो कुछ अभी कहा है उससे संक्षेप में उस कठिन और पेचीदा स्थिति का पता चलता है जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की पेचीदा स्थिति का मुकाबला करने का कोई अचूक उपाय नहीं है, इसलिए अपनी सामान्य नीति के उद्देश्यों के आधार पर वर्तमान स्थिति के विभिन्न तत्वों के बीच यथासम्भव अधिक से अधिक सामंजस्य लाने के लिए हम आने वाले महीनों में जिन मार्गों पर चलना चाहते हैं उनका केवल संकेत ही मैं माननीय सदस्यों को दे सकता हूं।

14. हम इस बात को सबसे जरूरी समझते हैं कि इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता यही होनी चाहिए कि मुद्राबाहुल्य की मनोवृत्ति को समाप्त किया जाय। पिछले कुछ वर्षों के बजट के भारी और लगातार घाटों से इस मनोवृत्ति को समर्थन मिला है। इसलिए, मौजूदा बजट में भी, केंद्रीय सरकार के खर्चों को में उन्हीं साधनों की सीमाओं के अन्दर रखना चाहता हूं जो मुद्रा के फैलाव किये बिना जुटाये जा सकते हैं।

15. इसी तरह, हमें उस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकना चाहिए जिसमें राज्य सरकारें अनधिकृत रूप से रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अधिक रकमें निकाल कर अपने बजट सम्बन्धी बोझ को केन्द्र पर डाल सकती हैं। जमा से अधिक रकमें निकालने से बचने का काम राज्य सरकारों के लिए बहुत कठिन न हो जाये, इसलिए मैं पहले ही, अन्तरिम बजट में जितनी सहायता करना सम्भव था उसकी अपेक्षा उनकी और अधिक सहायता करना चाहता हूं। आयोजना और-गैर आयोजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के लिए इस समय जो सहायता देने का प्रस्ताव है वह अन्तरिम बजट की रकम से 98 करोड़ रुपया अधिक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इससे राज्य सरकारों की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं; पर, मुझे आशा है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे भी अपने हिस्से का काम पूरा करेंगी। आज का समय ऐसा नहीं है जब केन्द्र या राज्य अपने राजस्व के महत्वपूर्ण साधनों को छोड़ दें या कम हो जाने दें। यदि कुछ रियायतें दी जानी हैं, मान लीजिए बहुत ही छोटे-छोटे किसानों को, तो उन की पूर्ति-वास्तव में पूर्ति से भी अधिक की प्राप्ति-खुशहाल किसानों पर और अधिक कर लगा कर करनी होगी। कभी-कभी सुझाव दिया जाता है कि यदि केन्द्र किसी और तरह से सहायता नहीं दे सकता, तो उसे राज्य सरकारों से दी जाने वाली ब्याज और ऋण-परिशोधन व्यय की वसूली स्थगित करके सहायता देनी चाहिए। हम मुख्य मंत्रियों और दूसरों से, सभी समस्याओं पर विचार करने को तैयार हैं, पर मेरे विचार से यह बात

स्पष्ट है कि यदि हम राज्यों की एक रास्ते से अधिक सहायता करें तो दूसरे रास्तों से उनकी कम सहायता कर सकेंगे।

16. मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि सभी परिस्थितियों में मूल्य-स्थिरता के लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था से बचना न तो आवश्यक और न पर्याप्त शर्त है। कुछ समय तक बढ़ते हुए उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मुद्रा-उपलब्धि में कुछ वृद्धि आवश्यक है। फिर भी, वर्तमान परिस्थितियों में उचित यही है कि सरकार को मुद्रा-प्रसार की अनुमतियोग्य (परमिसिबल) सीमा के किसी भी अंश का विनियोग (एप्रोप्रिएशन) नहीं करना चाहिए। इससे उत्पादन-वृद्धि में सहायता पहुँचाने के लिए बैंकों द्वारा कृषि और उद्योग-धन्धों के लिए अधिक ऋण दिये जा सकेंगे। नयी कृषि-नीति और कृषि उत्पादन बढ़ाने के तात्कालिक कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए काफी ऋण दिये जाने चाहिए। इस बात की निश्चित व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है कि ऋण उपलब्धता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाकर गैर सरकारी उद्योग को उत्पादन बढ़ाने से रोका न जाये। निश्चय ही, प्राइवेट ऋणों पर, खासतौर से सट्टे और अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर, कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक होगा। किन्तु, सरकार द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा न लिए जाने का जो मनोवैज्ञानिक महत्व है उसके अलावा भी, इस व्यवस्था से बचने से रिजर्व बैंक और अन्य बैंक कृषि और उद्योग की, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या गैर सरकारी क्षेत्र के, ऋण सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और भी अच्छी स्थिति में आ जायेंगे।

17. सापेक्ष मूल्यों के समयोजन के प्रश्न से कठिन सामाजिक और आर्थिक प्रश्न उठते हैं। जब लागत में वृद्धि होती है, तो उत्पादन को उसके प्रभाव से बचाने के लिए मूल्यों में कुछ हेरबदल करना अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह, जब रहन-सहन का खर्च बढ़ने से वास्तविक आमदनी घटने लगती है, तो आमदनी के निचले समूहों की कुछ हानिपूर्ति सामाजिक शांति और अच्छे औद्योगिक तथा सेवा (सर्विस) विषयक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए न केवल अनिवार्य बल्कि आवश्यक हो जाती है। इसके साथ ही लागत का पीछा मूल्यों और मूल्यों का पीछा लागत द्वारा किये जाने की प्रक्रिया को अबाध रूप से चलने नहीं दिया जा सकता। इसी कारण सरकार ने सापेक्ष मूल्यों का समायोजन, इन्हें बिल्कुल ही असंगत ठहराये बिना, धीरे धीरे करने का प्रयत्न किया है; और यही भेदमूलक नीति, वेतनों और मूल्यों को बढ़ने के विरूद्ध कुछ अधिक जोर के साथ काम में लायी जायेगी।

18. हाल में, देश में औद्योगिक सम्बन्धों के बिगड़ने पर बहुत चिंता प्रकट की गयी है, जो ठीक ही है। ऐसे समय में, जब कुछ कष्ट होना अनिवार्य है और जब कुशलता और उत्पादन बढ़ाने की बहुत जरूरत है इस तरह का बिगाड़ विशेष रूप से खेदजनक है। इसलिए, मैं मालिकों और कर्मचारियों से हार्दिक अपील करता हूँ कि वे एक दूसरे की सुविधा का ख्याल रखते हुए पारस्परिक समस्याओं का समाधान कर लें। औद्योगिक सम्बन्धों में और अधिक बिगाड़ आने से समाज के कमजोर वर्गों की कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी।

औद्योगिक उत्पादन का पुनरुज्जीवन

19. पिछले दो वर्षों में औद्योगिक उत्पादन का बढ़ना बहुत कम हो गया है। पिछले अक्टूबर महीने से थोड़ी सी चेतना आयी है। किन्तु सामान्य औद्योगिक उत्पादन ो किसी

तरह भी अधिक नहीं कहा जा सकता और बहुत से उद्योगों का तो वास्तव में उत्पादन घट रहा है, पर उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि हो रही है ।

20. आज की स्थिति ऐसी नहीं है जिसे व्यापक सुस्ती कहा जा सके । ऐसी स्थिति में किसी को भी सभी ओर अतिरिक्त क्षमता और इसी कारण, मांग को सामान्य उत्तेजन देकर, उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना दिखायी देने की आशा बंधेगी । किन्तु स्पष्ट है कि सिर्फ मांग को ही बढ़ावा देकर खेती की पैदावार बढ़ाने की अभी कोई सम्भावना नहीं है । औद्योगिक क्षेत्र में भी, काफी अतिरिक्त क्षमता का उभार पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में है, खास तौर से मालगाड़ी के डिब्बों, मशीनी औजारों, कपड़ा तैयार करने की मशीनों, ढली हुई चीजों, और इमारती काम की लोहे की चीजों के उद्योगों में । उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में, खास तौर से उन कमजोर सूती कपड़ा मिलों को कठिनाई का अनुभव हो रहा है जिन्हें एक लम्बे अरसे से अभिनवीकरण (रेशनलाइजेशन) और पहले से अधिक कुशल प्रबन्ध व्यवस्था की आवश्यकता है । जो नीतियाँ मांग को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गयी हैं वे आज की परिस्थिति में, जब थोड़े समय के अन्दर बुनियादी उपभोक्ता वस्तुएं और खेती से मिलने वाले कच्चे माल की उपलब्धता में काफी वृद्धि नहीं की जा सकती, काम नहीं दे सकतीं । साथ ही इस बात में भी कोई सन्देह नहीं कि औद्योगिक उत्पादन को पुनरुज्जीवित करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसे करना ही पड़ेगा ।

21. औद्योगिक उत्पादन के पुनरुज्जीवन के सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण कई बातों पर निर्भर है ।

प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए, हमारी उदार आयात नीति जारी है; दूसरे जो उद्योग अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी बनाते हैं उनकी कच्चे माल और मशीनी हिस्सों (कम्पोनेंट्स) की आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं अधिक उदारतापूर्वक पूरी की जाँयगी ।

बजट स्थिति कठिन होते हुए भी, केन्द्र और राज्यों की विकास सम्बन्धी और दूसरी आवश्यकताओं के लिए अन्तरिम बजट में जो व्यवस्था की गयी है, उसके अलावा अतिरिक्त रकमों की व्यवस्था करने का भी विचार है ।

जहां तक सम्भव है, पूंजीगत वस्तुएँ बनाने वाले उन उद्योगों के लिए भी अतिरिक्त रकमों की व्यवस्था की जा रही है, जिन्हें कुछ प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है ।

मेरा यह इरादा भी है कि जैसे ही अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के सम्भरण (सप्लाई) की बुनियादी स्थिति में कुछ सुधार दिखायी दे वैसे ही निवेश और विकास परिव्यय (आउटले) को प्रोत्साहन देने के लिए सभी मार्गों की खोज की जाय । इसलिए निवेश-सम्बन्धी क्रियाकलाप को, चाहे उसका सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र से हो या गैरसरकारी क्षेत्र से, पुनरुज्जीवित करने के आयोजन में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए ।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, घाटे की वित्त-व्यवस्था से बचने से यह सुनिश्चित करना सम्भव हो जायेगा कि ऋण के अभाव में उत्पादन में रुकावट नहीं आयेगी ।

22. कुछ हद तक, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की मौजूदा कठिनाइयाँ इस बात से पैदा हुई हैं कि जिन आशाओं को लेकर पहले रकमें लगायी गयी थीं वे पूरी नहीं हुईं । ऐसी

हालत में, बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए उत्पादन में विभिन्नता लाने के लिए उद्योग को बहुत उपक्रम करना पड़ेगा। इस काम को सुविधाजनक बनाने में सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है, और इस उद्देश्य से उद्योगों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में छंटाई के आधार पर ढील दी गयी है। इस्पात के मूल्यों और वितरण के नियंत्रण से भी, उत्पादन के ढर्रे को बदलती हुई मांगों के अनुसार ले आने की इस प्रक्रिया को, इस्पात के उत्पादन और इस्पात का इस्तेमाल करने वाले बहुसंख्यक उद्योगों के सम्बन्ध में सुविधाजनक बनाने में कुछ सहायता मिलेगी।

23. पहले की बनिस्बत ज्यादा निर्यात करने से हमारे बहुत-से इंजीनियरी और दूसरे उद्योगों की मौजूदा कठिनाइयों को हल करने का रास्ता निकल सकता है। निर्यात-सम्बन्धी हमारी कुल कमाई में निरन्तर वृद्धि करने की दृष्टि से हमारी नयी-नयी चीजों के निर्यात में वृद्धि करना बहुत जरूरी है और वर्तमान स्थिति से हमें इस दिशा में अपने प्रयत्नों को दुगना बढ़ाने का अवसर मिलता है। इंजीनियरी के सामान और दूसरी चीजों के निर्यात के लिए हम जो राजसहायता देते हैं उससे इस दिशा में मदद मिलेगी। जहां आवश्यक होगा वहां ऋण की उपयुक्त व्यवस्था करके भी हम पूंजीगत माल का निर्यात करने में सहायता देंगे। किन्तु यदि उद्योग को रचनात्मक ढंग से मौजूदा सुस्ती की प्रवृत्ति को दूर करना है, तो उसे भी निर्यात के आर्डरों के मुताबिक अपनी मूल्य तथा अन्य नीतियों को ढालना पड़ेगा। ऐसे समय में, जब अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, तो यह सम्बद्ध उद्योग के हित की ही बात है कि वह अपने माल की निकासी के लिए नये रास्ते निकाले, भले ही ऐसा करने में पूरी लागत भी न निकले।

24. संक्षेप में, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र अनेक जटिल तत्वों से भरा है, इसलिए किसी एक या सरल उपाय से इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जिस मार्ग का मैंने सुझाव दिया है उससे औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की आशा है और इससे मूल्यों में स्थिरता लाने में भी बाधा नहीं पड़ेगी।

निर्यात–प्रोत्साहन

25. निर्यात-प्रोत्साहन का प्रश्न, निश्चय ही, न केवल उन उद्योगों के लिए प्रासंगिक है जो इस समय मांग के अभाव से कठिनाई में हैं, बल्कि हमारे सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप और नीतियों के लिए भी। यह बात बहुत ही चिन्तनीय है कि तीसरी आयोजना के प्रारम्भिक वर्षों में हमारी निर्यात सम्बन्धी कमाई में जो गति आयी थी उसे कायम नहीं रखा जा सका। 1966–67 का निर्यात-व्यापार विशेष रूप से निराशाजनक है। हाल में, निर्यात सम्बन्धी कमाई में कुछ वृद्धि के संकेत मिले हैं। कृषि और उद्योग के पुनरुज्जीवन और उनके लिए विदेशों में मण्डियों की खोज के निरन्तर प्रयत्न से निर्यात से होने वाली कमाई में कुछ और वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

26. लेकिन देश में उन वस्तुओं की मांग पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा जिनका और भी अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। इसी तरह, यदि हमारे बड़े-बड़े निर्यात उद्योगों की प्रतियोगिता करने की शक्ति को बनाये रखने के लिए, निर्यात-शुल्कों में फेरबदल करना जरूरी होगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। इसके अलावा, ठीक तरह से स्थापित अपने उद्योगों के आधुनिकीकरण (मोडर्नाईजेशन) और अभिनवीकरण (रेशनलाइजेशन) के आधार पर तथा कृषि और उद्योगों के उन क्षेत्रों में जहाँ प्रतियोगिता करने की हमारी स्थिति, दीर्घकालीन दृष्टि से

सुदृढ़ है, क्षमता के सोच-समझ कर किये गये विस्तार के आधार पर ही, हम निर्यात से होने वाली अपनी आमदनी में विशेष रूप से वृद्धि कर सकते हैं। समय-समय पर, इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रबन्ध करने पड़ेंगे कि अपने सीमित साधनों का निर्धारण करते समय उन उद्योगों और कारवाइयों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाय, जिनसे निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना हो। अब निर्यात-उद्योग निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल और मशीनी हिस्से सबसे सस्ती मण्डी से मंगा सकते हैं; और इस काम में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम रहेगा। पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने, रुपयों के रूप में वित्त व्यवस्था करने और अन्य प्रयोजनों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा दिये जाने में, निर्यात-उद्योगों को तरजीह देनी पड़ेगी।

27. पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने से, हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आमदनी में काफी वृद्धि हो सकती है। इसलिए पर्यटन उद्योग को सहायता देने के लिए बाद में कुछ उपायों की घोषणा करने का मेरा विचार है। हमारा यह भी विचार है कि पर्यटकों से होने वाली आमदनी को अनधिकृत व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोका जाय, क्योंकि इसकी चोरी अभी भी हो रही है।

28. प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों में गैर-सरकारी विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का निर्यात की वृद्धि से काफी निकट का सम्बन्ध है। यह बात आम तौर पर मानी जाती है कि गैर-सरकारी विदेशी निवेश से, आयात पर हमारी निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है, विशेषतः उस स्थिति में, जबकि इसके अन्तर्गत पूंजी-साधनों के साथ-साथ तकनीकी जानकारी और आधुनिक ढंग का तकनीक भी देश में आये। लेकिन विदेशी निवेशक अपने साथ विदेशी मंडियों और संगठन की जानकारी और उनसे लाभ उठाने के साधन भी अपने साथ ला सकते हैं। ज्यों-ज्यों उन्हें हमारे देश और इसकी क्षमता की जानकारी होती जायेगी, त्यों-त्यों निर्यात में वृद्धि करने में हमें उनसे सहायता मिलती जायेगी। इसलिए हमें गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के लगाये जाने का स्वागत करना चाहिए, विशेषतः उस स्थिति में जबकि इससे हमारे निर्यात प्रयत्नों को सहायता मिल सकती हो।

29. मैं इस बात पर जोर दिये बिना नहीं रह सकता कि सामान्य मूल्य-स्थिरता कायम रखना, न केवल सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए, बल्कि निर्यात में वृद्धि करने के हमारे प्रयत्नों और वास्तव में आयात पर हमारी निर्भरता कम करने के प्रयत्नों को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। माननीय सदस्यों को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम भारतीय रुपये के बाह्य मूल्य को बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहने के लिए कृत-संकल्प हैं, ताकि जिन विकृतियों के कारण पिछले जून में अवमूल्यन करना पड़ा था और अवमूल्यन के बाद देश की अन्दरूनी अर्थ-व्यवस्था में भारी फेर-बदल करने की जरूरत पड़ गयी थी उनसे बचा जा सके।

30. यद्यपि निर्यात बढ़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्यवाई करना जरूरी है, फिर भी इस बात को भी स्वीकार करना आवश्यक है कि केवल उन वस्तुओं के निर्यात को अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो अन्ततः प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपने सहारे बनी रह सकती हों, ताकि हमारे साधन, जो पहले ही बहुत थोड़े हैं, उन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने में खर्च न हो जायें, जिनका आयात केवल थोड़ी अवधि के लिए ही किया जा सकता है। निर्यात से होने वाली

आमदनी में लगातार वृद्धि करने के लिए, सामान्य मूल्य-स्तरों या प्रोत्साहन के उपायों के ढांचे के सम्बन्ध में स्थिरता का वातावरण होना बहुत आवश्यक है। आशाओं का ऐसा वातावरण निर्यात को स्थायी और उपयोगी प्रोत्साहन देने के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकता जिसमें निर्यात उद्योग अपनी सारी कुशलता और कमी को बजट संबंधी समर्थन से बराबर करने की कोशिश करें। इसलिए यह बात बिलकुल साफ हो जानी चाहिए कि जहां सरकार अपने अल्प साधनों को निर्यात-उद्योगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करने के लिए तैयार रहेगी वहां स्वयं उद्योगों को अपनी कुशलता और नफा कमाने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करके, उनके साथ किये जाने वाले तरजीही व्यवहार के औचित्य को अधिकाधिक सिद्ध करना होगा।

आयात–नीति

31. जो कुछ मैंने अभी कहा है वह उन उद्योगों पर भी उतना ही लागू होता है जिनकी प्रतियोगिता आयात से है। हमने पिछले दस से पन्द्रह वर्ष की अवधि में देश में बहुत सी किस्मों की वस्तुओं के उत्पादन की काफी अधिक क्षमता पैदा कर ली है। आयात पर पाबन्दियां लगा कर और सीमा-शुल्क सम्बन्धी ऊंची दरों के जरिये हमने देशी उद्योगों को विदेशों के उन उत्पादकों की प्रतियोगिता से बचाने का प्रयत्न किया है जिनके लिए न केवल पूंजी और कच्चा माल सुलभ है, बल्कि जिन्हें लम्बा अनुभव भी है और जिनके पास प्रशिक्षित मजदूर भी हैं। अब यह बात आम तौर पर मान ली गयी है कि विकासशील देशों के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से कुछ बचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन सुरक्षा की दीवारों के भीतर उद्योगों का विकास होने के परिणाम-स्वरूप कुछ विकृतियां पैदा हो सकती हैं और पहले से ही अल्प परिमाण में विद्यमान साधनों का अपव्यय हो सकता है जब तक कि वे उद्योग, जिन्हें स्थापित हुए कुछ समय हो चुका हो, अधिकाधिक कुशल न होते जायं। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि प्रतियोगिता का वातावरण बाहर से मंगायी जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने को स्वस्थ रूप से प्रोत्साहन देने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना निर्यात को स्वस्थ आधार पर प्रोत्साहन देने के लिए। इसीलिए हमने खास-खास वस्तुओं के आयात के मामले में मात्रा सम्बन्धी पाबन्दियों को नरम कर दिया है। परिस्थितियों को देखते हुए, इस नीति को जारी रखा जायगा और सुदृढ़ बनाया जायगा, खासकर उस स्थिति में जबकि देशी उद्योगों को अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना आवश्यक हो।

32. हम मानते हैं कि भारत के उद्योगों को उत्पादन में विविधता लाने और कुशलता-पूर्वक उत्पादन करने के लिए अभी बहुत लम्बा रास्ता तय करना है। हमारे उद्योगों को जिन कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है वे थोड़े से समय में दूर नहीं की जा सकतीं। इसके अतिरिक्त, जिस तरह कुछ उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अधिकाधिक सामना करना पड़ता है, उसी तरह दूसरे उद्योग उभर कर चल निकलेंगे और शुरू-शुरू में उन्हें न केवल सीमा-शुल्कों के रूप में, बल्कि परिमाण सम्बन्धी पाबन्दियों के रूप में भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इसलिए आयात-नीति के सम्बन्ध में किसी अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है, जिसके जरिये हमेशा के लिए सभी पाबन्दियों को उचित ठहराया जा सकता है, और न इसके बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण की जरूरत है जिसके अनुसार हमेशा सभी किस्म की पाबन्दियों को समाप्त कर देने की कोशिश की जाती है। जरूरत एक ऐसी सुविचारित और विवेकपूर्ण नीति की है

जिसके अनुसार संरक्षण की सीमाएं समय समय पर और वस्तु-वस्तु के अनुसार बदलती रहें, ताकि धीरे-धीरे एक वस्तु का संरक्षण समाप्त करके उन अन्य वस्तुओं को संरक्षण दिया जाय, जिनका उत्पादन देश में शुरू हो जाय ।

नियंत्रण

33. यदि भारतीय उद्योगों के लिए निर्यात और आयात के संबंध में प्रतियोगिता के वातावरण का होना जरूरी है, तो देश के विभिन्न उद्योगों और एक ही उद्योग के विभिन्न एककों (यूनिटों) के बीच इस प्रकार के वातावरण का होना और भी अधिक आवश्यक है । यह ऐसा अवसर नहीं है कि मैं निवेश, वितरण और मूल्यों सम्बन्धी उन नियंत्रणों की व्यवस्था की समीक्षा करूं जो भारत में कई वर्षों से लागू हैं । इन नियंत्रणों के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक है, और हमने बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए, समय-समय पर उन्हें नरम बनाने या कड़ा करने में कभी संकोच नहीं किया । बुनियादी रूप से, नियंत्रणों के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक रहा है; नियंत्रणों के जरिये हमने अपने अल्प साधनों का संरक्षण करके विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है । भविष्य के लिए भी इसी प्रकार के व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । जहां नियंत्रणों को बनाये रखना आवश्यक होगा, वहां हमारा यह प्रयत्न होगा कि उन्हें इस प्रकार लागू किया जाय जिससे कम से कम विलम्ब और असुविधा हो और सम्बन्धित पक्षों के साथ समान व्यवहार हो । लेकिन इस बात को मानना जरूरी है कि नियंत्रण, उद्देश्य की पूर्ति के केवल साधन हैं और उनसे स्वाभाविक रूप से, ऐसी अपरिवर्तनशील परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके कारण सभी सम्बद्ध पक्षों की कुशलता और उपक्रम करने की भावना को धक्का लगता है । प्रायः नियंत्रणों के सामाजिक उद्देश्यों, जैसे असमान प्रारम्भिक सुविधाओं वाले व्यक्तियों के बीच समानता बनाये रखने और सम्पत्ति तथा आर्थिक शक्ति के अनुचित केन्द्रीकरण को अन्य साधनों से भी रोका जा सकता है जिनका उत्पादन सम्बन्धी कुशलता पर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । इसीलिए पिछले कुछ समय से हम खास-खास मामलों में नियंत्रणों को नरम बनाने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं ।

34. प्रशासनिक सुधार आयोग और बहुत से स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी इस प्रश्न की जांच की है । उनकी सिफारिशों पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने का हमारा इरादा है । इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि हमने जो नियंत्रण लगाये हैं उनके बुनियादी उद्देश्यों को छोड़ देने का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता । प्रश्न केवल यह है कि क्या इन उद्देश्यों को, नीतियों के इससे भिन्न एक ऐसे समूह द्वारा इससे बेहतर ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता, जिसमें नियंत्रणों की भूमिका आज की अपेक्षा कुछ कम महत्वपूर्ण होगी और अन्य साधनों, विशेषतः राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी साधनों की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होगी ।

दीर्घकालिक दृष्टि से विचारणीय बातें

35. अब मैं दीर्घकालिक दृष्टि से विचारणीय बातों में से कुछ का उल्लेख करूँगा जिन्हें कठिन अल्पकालिक स्थिति का सामना करते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है । हमारे सामने जो कठिनाइयां इस समय उपस्थित हैं वे, वास्तव में, हमारे देश पर किये गये दो आक्रमणों और लगातार दो वर्षों से पड़ने वाले सूखे का परिणाम है । फिर भी हमारे लिए इस बात का विचार

करना आवश्यक है कि क्या ये कठिनाइयां हमारी आयोजना की किसी ज्यादा बुनियादी आवश्यकता की ओर संकेत नहीं करतीं जिस के कारण यदि दिशा-निर्धारण में नहीं तो प्रमुखता के विचार से ही सुधार करने की आवश्यकता हो।

36. देश इस बात में सामान्यतः एकमत है कि अगले कुछ वर्षों की हमारी आयोजनाओं में कृषि और परिवार-नियोजन को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बात का भी कोई अधिक विरोध नहीं करता कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और मुद्राबाहुल्य से बचते हुए, सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों को ज्यादा जोर से चलाया जाय। इस सम्बन्ध में, महत्व की दृष्टि से शायद अन्न की पर्याप्त उपलब्धि की व्यवस्था के बाद, देश भर में पीने के पानी की सुविधा को बहुत व्यापक बनाने का ही स्थान है। शिक्षा के सुधार और पिछड़े हुए वर्गों के, खास तौर पर अनुसूचित वर्गों और जातियों के, कल्याण की ओर भी पहले से अधिक ध्यान देना आवश्यक होगा।

37. यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी आयोजनाओं के बारे में प्रायः जो मतभेद और सन्देह प्रकट किये जाते हैं उनका सम्बन्ध मुख्यतः दो या तीन बुनियादी क्षेत्रों से है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम देश में बचत और पूंजी-निर्माण की गति को कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ यह समस्या भी जुड़ी है कि हमारे पास जो पूँजी है उसकी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता हममें कितनी है। इस विषय में भी मतभेद प्रकट किये जाते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को, लाभकारी आधार पर, बचत की रकमों को पूंजी के रूप में लगाने की अपनी-अपनी जिम्मेदारी और क्षमता को देखते हुए, उपलब्ध बचतों का कितना भाग पूँजी के रूप में लगाना चाहिए। यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि हाल की अपेक्षा, कुछ अधिक प्राथमिकता उपभोक्ता वस्तु उद्योग को दी जानी चाहिए या पूँजीगत वस्तु उद्योग को।

38. मैं यहां उन विचारणीय विषयों के पक्ष और विपक्ष की बातों के बारे में बहस करना नहीं चाहता जिनके सम्बन्ध में उस प्रकार के मतभेद और सन्देह प्रकट किये जाते हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है। पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमने पहले एक राष्ट्र के रूप में बचत करने की अपनी क्षमता और पहले लगाई गई पूंजी से कुछ फल प्राप्त करने की अपनी क्षमता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंका है, तो उसका उद्देश्य अंशतः तो यही रहा है कि हम सबको और अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहन मिले। निःसन्देह, भविष्य में हमें इस विषय में अधिक सही अन्दाजा लगाना पड़ेगा कि बचतों के बारे में या पूंजी की उपयोगिता को बढ़ाने के बारे में किसी निर्धारित अवधि में हम क्या कर सकते हैं। पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के बाद भी हमें उससे—जिसे हममें से बुद्धिमान लोग करने योग्य अधिकतम काम समझें—कुछ अधिक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहां हमारे देश के लाखों आदमियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रश्न निहित है, और यह मान लेने से काम नहीं चलेगा कि जो बात हममें से कुछ के लिए कुछ समय के लिए संभवतः अच्छी और बुद्धिमानी की बात हो वही सारे देश के लिए भी हमेशा के लिए अच्छी और बुद्धिमानी की बात होगी।

39. मैं नहीं समझता कि भारत के आर्थिक विकास में उद्योगों के महत्व के बारे में सन्देह करने की भी कोई गुंजाइश है। आधुनिक परिस्थितियों में, कृषि का भी तब तक काया-

पलट नहीं हो सकता जब तक उन उद्योगों की समान रूप से वृद्धि न हो जो या तो कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या कृषिजन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। यदि वर्तमान परिस्थिति में हम कृषि को सबसे ऊँची प्राथमिकता देते हैं, तो उसका असली कारण यही है कि हम अपनी अन्न की आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्बी होना चाहते हैं। अधिक सामान्य रूप से, वर्तमान समय में कृषि में किये गये निवेश, खपत और निवेश दोनों के लिए तथा शोधन-सन्तुलन के सुधार के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि औद्योगिक निवेश बन्द रखा जा सकता है।

40. हम उद्योगों में जो निवेश कर रहे हैं वह मुख्यतः उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों में किया जाना चाहिए या पूंजीगत–वस्तु उद्योगों में, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय पहले के अनुभव के आधार पर नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि खपत में होने वाली वृद्धि सभी विकास कार्यों के औचित्य का अन्तिम प्रमाण है। हमारे लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कुल मात्रा आवश्यक पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा से हमेशा काफी ज्यादा होगी। पर साथ ही खपत में वृद्धि तब तक जारी नहीं रह सकती, जबतक पूंजी-निर्माण का स्तर ऊंचा न किया जाय।

41. शायद पहले, निवेश करने के हमारे निश्चय हमारी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की दृष्टि से जितना अधिक किये गये हैं उतना विभिन्न कार्यों में होने वाले लाभ के तुलनात्मक अनुपात के ठीक-ठीक अनुमान के आधार पर नहीं। हमें आने वाले वर्षों में विभिन्न कार्यों के खर्च और लाभ के विश्लेषण पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा और वैकल्पिक कार्यों का विचार करके अपना कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा। पर मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि समय-समय पर होने वाले मामूली परिवर्तनों को छोड़ कर, हमें अपने विकास-कार्यक्रम को एक विस्तृत मोर्चे पर आगे बढ़ाना होगा जिसमें कृषि और औद्योगिक कार्यों का विस्तृत क्षेत्र शामिल है। सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों द्वारा किये जाने वाले निवेश-सम्बन्धी निश्चयों के सम्बन्ध में निःसन्देह गलतियां हुई हैं और सम्भवतः भविष्य में भी होंगी। पर मुझे विश्वास है कि हमने जो भी गलतियाँ की हों और जो भी गलत अनुमान लगाये हों उन सब के पीछे इस बात की हार्दिक इच्छा थी कि प्रगति शीघ्रता से हो और विकास की प्रक्रिया को छोटा कर दिया जाये, ताकि हमारे देश के लोगों की मुसीबतों और कठिनाइयों का अन्त जल्दी से हो। अल्पकालिक दृष्टि से स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से हमें अपनी गलतियों से अवश्य लाभ उठाना चाहिए और प्राथमिकताओं का क्रम फिर निर्धारित करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, पर यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को एकदम असंगत मानकर उनकी उपेक्षा करें।

42. मैं नहीं समझता कि हमारे लोकतन्त्र जैसे सक्रिय लोकतन्त्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की अलग-अलग भूमिकाओं और योग्यताओं के सम्बन्ध में किसी भी समय पूरा-पूरा मतैक्य होगा। दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करनी हैं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ समय में प्रत्येक क्षेत्र की भूमिका आवश्यक रूप से उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित हो जायेगी। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को हटाने की कोशिश किये बिना सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य से हम सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों की व्यवस्था और कार्यकुशलता में सुधार करने के काम को ऊंची से ऊंची प्राथमिकता देंगे जो पहले स्थापित किये जा चुके हैं।

43. हमारे संविधान के निदेशक तत्वों (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स) के अनुसार, सरकार सक्रिय लोकतन्त्र के ढांचे के भीतर समाजवादी समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जा चुका है। हमारा विचार है कि हम आने वाले महीनों में इस बात की व्यवस्था करने के सभी सम्भव उपायें ढूंढ निकालें कि इस सम्बन्ध में हमने जो भी उपक्रम किये हैं उनको जोरों से आगे बढ़ाया और अमल में लाया जाये और सामान्यतः अर्थ व्यवस्था की उत्पादन-कुशलता को कम किये बिना और भी प्रगति की जाय।

1967-68 के बजट अनुमान

44. दीर्घकालीन और अल्पकालीन आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है। अब मैं 1967-68 के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं उनकी तुलना अन्तरिम बजट के अनुमानों से करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं 1966-67 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करूंगा जिनके बारे में अब कुछ और अधिक सूचना उपलब्ध है।

45. माननीय सदस्यों को याद होगा कि अन्तरिम बजट पेश करते हुए मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार के 1966-67 के बजट सम्बन्धी क्रियाकलापों में लगभग 350 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। हालांकि अभी पूरा ब्योरा नहीं मिला है, लेकिन मुझे यह बताने में खुशी है कि घाटा अनुमान से कुछ कम अर्थात् 313 करोड़ रुपये का हुआ है। घाटे में 37 करोड़ रुपये की कमी होने के कई कारण हैं जिनका मैं केवल सामान्य रूप से उल्लेख करूंगा। कर-राजस्व की प्राप्तियां लगभग उतनी ही हुई हैं जिनका अन्दाजा संशोधित अनुमान में लगाया गया था; वास्तव में इनसे कुछ अधिक रकम की ही प्राप्ति हुई है। लेकिन विदेशी सहायता में काफी कमी हुई है। पर व्यय की कई मदों के अन्तर्गत बचत होने से यह कमी पूरी हो गयी है। अन्न सम्बन्धी लेनदेन अनुमान से अधिक अच्छे हुए हैं और प्रत्याशित घाटे में मुख्यतः इसी के कारण कमी हुई है। बजट पत्रों में संशोधित अनुमानों के पहले के ही आंकड़े दिये गये हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों में वास्तविक आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

46. चालू वर्ष के बजट अनुमानों की चर्चा करते हुए अब में अन्तरिम बजट में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा जिसे मैंने पिछले मार्च में पेश किया था। चीनी का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण, चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में कुछ कमी होने का अनुमान है। लेकिन मुझे आशा है कि अन्य मदों के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियों से यह कमी पूरी हो जायेगी, इसलिए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

47. जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस वर्ष मैंने 835 करोड़ रुपये या 111.5 करोड़ डालर के उपयोग के लिये व्यवस्था की थी। इस बीच, भारत सहायता संघ की बैठक पेरिस में हुई थी और विश्व बैंक के अध्यक्ष सहित कई अन्य लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। अन्तरिम बजट में मैंने 90.0 करोड़ डालर की उस गैर-प्रायोजना सहायता में से, कुछ रकम की प्राप्ति दिखायी थी जिसके हमें इस वर्ष वचन मिलने की आशा है। हाल में हुई बातचीत से ऐसा मालूम पड़ता है कि नयी गैर-प्रायोजना सहायता में

से कुछ अधिक तेज गति से रकमों की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरी ओर 1966-67 के अनुभव से हमें चेतावनी मिलती है कि सहायता सम्बन्धी रकमों की प्राप्ति के सम्बन्ध में हमें बहुत अधिक आशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। सभी बातों को ध्यान में रख कर, मैंने विदेशी सहायता के उपयोग के पहले अनुमानों में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी है।

48. रेल-किराये और भाड़े में किये गये परिवर्तनों से, रेलों की उन रकमों में 7 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जो सामान्य राजस्व में जमा की जाती हैं।

49. रक्षा-व्यय में भी 6 करोड़ रुपये की कमी करने का विचार है। अन्तरिम बजट में यह व्यय, रुपयों के रूप में, 1966-67 के व्यय की तुलना में केवल 3 प्रतिशत अधिक था। देश के अन्दर मूल्यों के बढ़ने और विनिमय-दर में परिवर्तन हो जाने से पिछले 12 महीनों में रक्षा-सेवाओं और रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं की पूर्ति का खर्च बढ़ गया है। इसलिए रक्षा के लिए की गयी अन्तरिम व्यवस्था में बहुत कमी करना संभव नहीं है। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि हम अपनी सीमाओं पर तनाव को कम करने और अपने दो पड़ोसियों, चीन और पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करने के सभी संभव उपाय ढूंढने को तैयार हैं। लेकिन जब तक दूसरी ओर से भी हमारे प्रयत्नों की सच्ची प्रतिक्रिया नहीं होती, तब तक हम खर्च में बचत करने की अपनी खोज को राष्ट्रीय रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के रास्ते में बाधक बनने नहीं दे सकते। लेकिन इसी के साथ, इस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी हम खर्च में किफायत करने के प्रयत्न करते रहेंगे।

50. अन्तरिम बजट पेश किये जाने के बाद से, सरकार ने रासायनिक खाद के सम्बन्ध में दी जाने वाली राजसहायता में, विशेषत: गल्ला-वसूली के लिए दी जा रही अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों को देखते हुए, काफी कमी कर दी है। इससे और रासायनिक खाद की खरीद की कीमतों में कमी किये जाने से चालू बजट में अन्तरिम बजट की तुलना में 51 करोड़ के निर्यात के होने का अनुमान है। इसके अलावा, चीनी के उत्पादन में कमी हो जाने से चीनी रुपये की बचत सम्बन्ध में, जिसके कम हो जाने की संभावना है, दी जाने वाली राजसहायता में भी 7 करोड़ रुपये की कमी होगी।

51. अन्तरिम बजट में शामिल कुछ मदों के सम्बन्ध में, मैं जो अतिरिक्त व्यवस्था करना चाहता हूं, उसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। राज्यों को दी जाने वाली सहायता की राशि में 98 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का विचार है जिसमें अन्न की तंगी से पीड़ित क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली 38 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। मैंने केन्द्रीय आयोजना के लिए, अन्तरिम बजट में की गयी 1176 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा, 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है। इसमें से 14 करोड़ रुपया परिवहन के लिए—मुख्यत: सड़कों, बन्दरगाहों और जहाजरानी के लिए, 6 करोड़ रुपया तेल सम्बन्धी खोज करने और उसे साफ करने के लिए, 5 करोड़ रुपया बोकारो के इस्पात कारखाने के लिए, 4 करोड़ रुपया संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए और तीन-तीन करोड़ रुपया परमाणु शक्ति डाक, तथा तार और परिवार-नियोजन के लिए है। बाकी व्यवस्था शिक्षा, भारी उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योगों, रसायनों और पर्यटन उद्योग के सम्बन्ध में है।

बजट भाषण — भाग ख

1967–68

साधनों का संग्रह

52. जो बजट अनुमान मैंने अभी पेश किये हैं उनके अनुसार, अन्तरिम बजट को देखते हुए, साधनों की प्राप्ति में 101 करोड़ रुपये की और व्यय में 143 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। मैंने इस बार कुछ तथ्यों को बजट-भाषण के भाग-ख में ही बताना ठीक समझा है। यह मैंने सुरक्षा की दृष्टि से किया है।

53. व्यय की तरफ, मैंने अभी तक वित्तीय संस्थाओं को सहायता देने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की है। अन्तरिम बजट में इस प्रयोजन के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अपने सभी मौजूदा वादों को निभाने के लिए और रासायनिक खाद, मिलावटी इस्पात व औजार बनाने के काम आने वाले इस्पात तथा इस किस्म के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनी नयी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए यह रकम इन संस्थाओं के लिए काफी है। लेकिन अगर इन संस्थाओं को गैर-सरकारी निवेष यानी रुपया लगाने के काम को सहारा देने और इस तरह निवेश-सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सहायता देने के काम में मुनासिब हिस्सा लेना है, तो इन संस्थाओं के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करना जरूरी है। इसलिए वित्तीय संस्थाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने का मेरा विचार है। इतने बड़े बजट में, आकस्मिक खर्चों के लिए भी व्यवस्था करना जरूरी है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरा अनुमान है कि अन्य साधनों को जुटाये बिना, केन्द्र का घाटा 68 करोड़ रुपये का रहेगा।

54. साधन जुटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कार्य-कुशलता को कम किये बिना सरकारी खर्च में कमी की जाये। मैंने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के खर्च के ढांचे की पूरी-पूरी जांच करने का काम शुरू करा दिया है। अभी ही कुछ फैसले किये जा चुके हैं जिनसे मेरे मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या कम हो जायगी। दूसरे मंत्रालयों के सम्बन्ध में भी इस तरह के फैसलों के होते ही उनकी घोषणा कर दी जायगी। जहां तक सरकारी प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है, सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेस) वास्तविक किफायत करने की ओर बराबर ध्यान रखेगा। किफायतशारी की जो कार्रवाई मैं जोरदार ढंग से चलाना चाहता हूँ उसके परिणामस्वरूप सरकारी खर्च में होने वाली कमी के लिए मैं इस समय कोई श्रेय लेना नहीं चाहता। इस तरह के कामों में सफलता का श्रेय तभी लेना चाहिए जब सफलता पहले मिल जाये।

55. मौजूदा करों की और भी अच्छी वसूली, अतिरिक्त साधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही निष्पक्ष तरीका है। यह बराबर चलने वाला कार्यक्रम है जिसमें कर-प्रशासन और कर-सम्बन्धी कानूनों में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, हम कुछ समय से आयकर विभाग में काम के बंटवारे की एक नयी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत, कर-निर्धारण, वसूली और वापसी

आदि सम्बन्धी खास काम उन आयकर अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं जिन्हें ये काम खास तौर से सौंपे जाते हैं। इस प्रयोग के उत्साह-वर्धक परिणाम निकले हैं। कार्य-प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करने के काम को सरल बनाने के लिए, कानून में विशिष्ट उपबन्धों की व्यवस्था करने का मेरा विचार है और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं इस विषय पर एक अलग नोट निकाल रहा हूँ। लेकिन, इस वर्ष मैं आयकर की अपेक्षाकृत अधिक वसूली में से केवल थोड़ी सी रकम जमा कर रहा हूँ, क्योंकि योजना के शुरू के दौरों में अधिक प्राप्तियों की आशा करना समय से पहले की बात होगी।

56. यह भी उचित ही है कि सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी बचत की रकमें जुटाये जाने का अधिक से अधिक सहारा लिया जाये। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों में उससे अधिक रकम प्राप्त होने का अनुमान करना उचित न होगा जो मैंने अन्तरिम बजट में छोटी बचतों, बाजार-ऋणों और इसी तरह की अन्य मदों के अन्तर्गत जमा के रूप में दिखायी है। बाद में, मैं करों के सम्बन्ध में उन एक या दो रियायतों का उल्लेख करूंगा जो मैं बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देना चाहता हूँ। लेकिन ये उपाय चालू वर्ष की बजट सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने की अपेक्षा आगे चल कर होने वाले लाभ की दृष्टि से किये गये हैं।

निर्यात—शुल्क

57. अब मैं खास करों को ले रहा हूँ। जिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा मुझे करनी है उनका सम्बन्ध निर्यात-शुल्कों से है। इन परिवर्तनों के कारण राजस्व में कमी हो जायगी। हमारी जूट की चीजों के निर्यात में हाल में कमी हुई है और कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए एवजी चीजों (सबस्टीट्यूट) की प्रतियोगिता का खतरा पैदा हो गया है। इस-लिए बोरियों के शुल्क में (सूती बोरियों को छोड़कर) 150 रुपया प्रति मेट्रिक टन और कालीनों के अस्तर (कार्पेट बैकिंग) और जूट की खास चीजों के शुल्क में 300 रुपया प्रति मेट्रिक टन और हेसियन की दूसरी चीजों के शुल्क में 150 रुपया प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का मेरा प्रस्ताव है। इन कमियों से पूरे वर्ष में राजस्व-प्राप्ति में 13.50 करोड़ रुपये की कमी होगी।

58. जिस खनिज मेंगनीज (मेंगनीज ओर) में 10 प्रतिशत या इससे अधिक, पर 48 प्रतिशत से अधिक मेंगनीज तत्व नहीं होगा उस खनिज मेंगनीज के निर्यात शुल्क में 7.50 रुपये प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का प्रस्ताव है। उद्देश्य यह है कि हाल में खनिज मेंग-नीज के रेल-भाड़े में जो वृद्धि हुई है उसका असर दूर हो जाय। नीले चूरे सहित, खनिज लोहे के चूरे के निर्यात शुल्क में भी 1 रुपया प्रति मेट्रिक टन की थोड़ी सी कमी की जा रहा है। इन तब्दीलियों से साल भर में 83 लाख रुपये की कमी होगी। चाय के शुल्क में भी तब्दीली की जा रही है, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा।

प्रत्यक्ष कर

59. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में कुछ खास-खास और मामूली सी रियायतें देने का मेरा विचार है। व्यक्तिगत आमदनी पर लगने वाले करों के सम्बन्ध में मुख्य रियायतें ये हैं :—

(क) हमारे समाज में, हम में से बहुतों को आश्रित माता-पिता या दादा-दादी का भरण-पोषण करना पड़ता है। इसलिए अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक की कुल आमदनी वाले निवासी व्यक्तियों के मामले में, एक या इससे अधिक आश्रित माता-पिता या दादा-दादी के भरण-पोषण के लिए 400 रुपये की निर्धारित छूट देने का मेरा प्रस्ताव है। इस छूट पर, कर की राहत का हिसाब, आय के शुरू के खण्ड पर लगने वाली 5 प्रतिशत की दर से लगाया जायगा। यह छूट तभी मिल सकेगी जब आश्रित माता-पिता या दादा-दादी की वार्षिक व्यक्तिगत आमदनी 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अनुमान है, इस रियायत से राजस्व में लगभग 2 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी।

(ख) इस समय हम 15,000 रुपये से अधिक की अर्नजित आय पर अधिभार (सरचार्ज) लगाते हैं। छूट की इस सीमा को 30,000 रुपये तक बढ़ा देने का मेरा प्रस्ताव है। एक तरह से, निवेश से होने वाली आमदनी पर, काम से होने वाली आमदनी पर लगने वाली दर से ऊंची दर पर कर लगाने का सिद्धान्त, बचत की रकमें बढ़ाने की वांछनीयता के विरुद्ध है। इसलिए मैंने, कम से कम इस वर्ष, आंशिक रूप से इसे ध्यान में रखने की कोशिश की है। इस रियायत से 75 लाख रुपये की हानि होगी।

(ग) मेरा प्रस्ताव है कि उन सभी करदाताओं को, जिनकी लाभांश-आय (डिवीडेंड इनकम) वर्ष में 500 रुपये से अधिक नहीं है, भारतीय कम्पनियों से प्राप्त सारी लाभांश आय को अपनी कर-योग्य आय में शामिल न करने की छूट दी जाय। इससे कम और दरमियानी आमदनी वाले समूहों के करदाताओं को शेयरों आदि में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस व्यवस्था से राजस्व में लगभग 1.50 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है।

(घ) जीवन बीमा, सरकारी और मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों और डाकघरों की बढ़ने वाली मीयादी जमा (क्युमुलेटिव टाइम डिपाजिट) में मंजूरशुदा बचतों की रकम की मौजूदा सीमा को, जिसे व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों के मामले में कर से राहत मिलती है, कुल आमदनी के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। व्यक्तियों के मामले में 12,500 रुपये की सीमा और अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ा कर क्रमशः 15,000 रुपये और 30, 000 रुपये कर दिया जायगा।

(ङ) साधनों सम्बन्धी हमारी मोजूदा आवश्यकता को देखते हुए, मैंने वार्षिक जमा योजना को जारी रखना आवश्यक समझा है। लेकिन मैंने इसमें कुछ मामूली सी तब्दीलियां की हैं। उदाहरण के लिए, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोई रकम जमा कराने की जरूरत नहीं है, अभी आयु की सीमा 70 वर्ष है। इसी तरह, सभी निर्धारितियों (असेसीज) के मामलों में, जितनी रकम का जमा कराया जाना जरूरी है उसमें 100 रुपये तक या जमा करायी जाने वाली रकम के 10 प्रतिशत तक की कमी होने पर जुर्माने के रूप में कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

(च) भारतीय वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और अनुसन्धानकर्ताओं को, जिनका साल का कुछ हिस्सा विदेशी विश्वविद्यालयों या अन्य शैक्षणिक अथवा विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं में गुजरेगा,

विदेशी स्रोतों से प्राप्त पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत के बराबर की रकम को, कुछ शर्तों के अधीन, अपनी कर-योग्य आमदनी में से घटा देने की अनुमति दी जायगी।

(60) निगम करों (कारपोरेट टैक्सेशन) के सम्बन्ध में जो खास खास और मामूली रियायतें देने का मेरा प्रस्ताव है, उसका सारांश यह है ;

(क) निगम क्षेत्र के छोटे पैमाने के उद्योगों को राहत देने के लिए, व्यापक रूप से नियंत्रण (वाइडली-हेल्ड) उन देशी कम्पनियों के सम्बन्ध में भी 45 प्रतिशत की रियायती दर लागू करने का मेरा प्रस्ताव है जिनकी कुल आमदनी 50,000 रुपये से अधिक न हो। अभी इसका लाभ उन्हीं कम्पनियों को होता है जिनकी कुल आमदनी 25,000 रुपया हो। इससे राजस्व में लगभग 18 लाख रुपये की कमी होने का अनुमान है।

(ख) पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, भारतीय कम्पनियों द्वारा संचालित मान्यता-प्राप्त होटलों को भी वे ही सुविधाएं देने का विचार है जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को मिली हुई हैं। इसके अलावा, इन कम्पनियों द्वारा 31 मार्च, 1967 के बाद बनायी जाने वाली होटलों की इमारतों के सम्बन्ध में, निर्माण-व्यय के 25 प्रतिशत के बराबर की रकम के प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट देने का मेरा प्रस्ताव है। होटल उद्योग को कुछ और रियायतें देने का भी विचार है।

(ग) यह बात अक्सर कही गयी है कि कर-अवकाश (टैक्स होलीडे) सम्बन्धी हमारी मौजूदा रियायत से उन प्रतिष्ठानों (अण्डरटेकिंग) को पूरा फायदा नहीं होता जिन्हें शुरू के वर्षों में आम तौर पर कम फायदा होता है। ऐसे मामलों में, कर में दी जानेवाली छूट को अधिक सार्थक बनाने के लिए 1967-68 के कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित कर-अवकाश की लाभ की रकम को, जिसका फायदा न उठाया गया हो, व्यापार के शुरू होने के वर्ष से आठ वर्ष तक आगे ले जाने की अनुमति देने का मेरा प्रस्ताव है।

(घ) कर सम्बन्धी मौजूदा कानूनों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कारण कम्पनियों के वाँछनीय एकीकरण पर रोक लगती है, क्योंकि उनके कारण इस एकीकरण से कुछ दायित्व आ पड़ते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और बड़े पैमाने पर काम करने से जो किफायत हो सकती है उसका फायदा उठाने के लिए यह उचित है कि अलाभकारी एककों का विलय हो जाय। कानून में इस सम्बन्ध में मौजूदा रुकावट को दूर करके इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का मेरा प्रस्ताव है।

(ङ) पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापितों और बर्मा, श्री लंका और पूर्वी अफ्रीका के कुछ देशों से लौटे भारतीयों को नये सिरे से बसाने की प्रगति बहुत धीमी रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयत्नों की पूर्ति के लिए, उन औद्योगिक एककों को, जिनमें इस प्रकार के विस्थापित व्यक्ति और विदेशों से लौटे भारतीय काम करते हों, अपनी कर-योग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय अपने लाभ के 50 प्रतिशत के बराबर की रकम को, कुछ शर्तों के अधीन, घटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

(च) शत्रु की कार्रवाई या दैवी-विपत्ति के कारण जिन उद्योगों को क्षति पहुँची हो या जो नष्ट हो गये हों, उन्हें करों में कुछ रियायतें देने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(छ) देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 31 मार्च 1967 को वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए स्थापित मशीनों और संयंत्रों पर दी जाने वाली विकास-छूट की मौजूदा दर को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत की प्राथमिकता दर में बदल देने का प्रस्ताव है। इसके आलावा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली परिसम्पत्ति पर 31 मार्च 1967 के बाद किये जाने वाले सारे पूंजीगत खर्च को उस वर्ष कटौती के रूप में छूट दी जायगी, जिस वर्ष यह खर्च किया गया हो।

61. प्रत्यक्ष करों में दी जाने वाली विभिन्न रियायतों से, जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, राजस्व में पूरे वर्ष में कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपये की कमी होगी। लेकिन इस रकम को नामे डालने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि राजस्व में इतनी बड़ी कमी को, करों की पहले से ज्यादा वसूली और उद्गम स्थान पर करों की कटौती करने की प्रणाली के अधिक व्यापक क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित विस्तार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

62. प्रत्यक्ष करों में जिन परिवर्तनों का जिक्र मैंने किया है उनके अलावा वित्त विधेयक में कुछ और तब्दीलियां करने का विचार है जिनका उद्देश्य या तो मौजूदा रियायतों को जारी रखना या मौजूदा कानून के इरादों को स्पष्ट करना है। मैं यहां उनका ब्योरा नहीं देना चाहता, क्योंकि वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में उनका विस्तृत ब्योरा दिया गया है।

63. कुछ समय पहले सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मौजूदा ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए, वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री एस. भूतलिंगम को एक-सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया था। श्री भूतलिंगम ने हाल ही में अपनी पहली अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसका सम्बन्ध केवल प्रत्यक्ष करों, खासकर आयकर से है। जितनी जल्दी हो सकेगा, इस रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों को दे दी जायंगी। इस रिपोर्ट में, करों के ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के सुझावों के अतिरिक्त, मौजूदा कर-ढांचे के कुछ नीति विषयक पहलुओं पर नये सिरे से विचार करने का सुझाव दिया गया है। एक तरह से, करों के ढांचे के एक क्षेत्र में तब तक बड़े परिवर्तन नहीं करने चाहिए जब तक अन्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए वैसे ही सुझावों पर विचार न कर लिया जाय। यह भी जरूरी है कि मुख्य विषयों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपना फैसला किये जाने से पहले, इस माननीय सभा, विशेषज्ञों और आम जनता को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए, श्री भूतलिंगम द्वारा बाद में दी जाने वाली रिपोर्टों को भी प्रकाशित करने का मेरा विचार है। मेरा ख्याल है कि इन रिपोर्टों के प्रकाशित किये जाने से संसद और दूसरों को करों के ढांचे के कुछ बुनियादी पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिलेगा जिससे इस ढांचे को जल्दी से जल्दी एक सुदृढ़ और प्रगतिशील आधार पर खड़ा किया जा सकेगा। चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति कठिन होने के अलावा इस कारण भी मैंने प्रत्यक्ष करों के ढांचे में फेर-बदल करने के अपने प्रस्तावों को कम से कम आवश्यकता तक ही सीमित रखने का निश्चय किया है। लेकिन अन्तरिम रिपोर्ट में करों के ढांचे को युक्ति-संगत और सरल बनाने के लिए जिन उपायों की सिफारिश की गयी है उनमें से कुछ को इसी बजट में पेश करने का मेरा इरादा है।

64. मुख्य सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि कर-सम्बन्धी कानूनों और करों की दरों में किये गये परिवर्तन चालू आमदनियों पर आगे से यानी भविष्य में लागू किये जांय। कर की दरों को बीते वर्ष में पहले की कमायी हुई आमदनियों पर लागू करने की वर्षों पुरानी वर्तमान प्रथा सिद्धान्ततः ठीक नहीं है। वार्षिक वित्त अधिनियमों से कर की दरें ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि उनके कारण विभिन्न दिशाओं में बहुधा प्रोत्साहनों (इन्सेंटिव) और विप्रोत्साहनों (डिसइन्सेंटिव) की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट है कि ऐसे प्रोत्साहन और विप्रोत्साहन तभी सार्थक हो सकते है जब वे आगे से लागू किये जायें। इस बात के अलावा यह भी तर्कसंगत है कि कर-दाता को पहले से यह मालूम होना चाहिए कि किसी निश्चित आय-वर्ष के सम्बन्ध में उसका कर-दायित्व कितना है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कर-सम्बन्धी कानूनों तथा कर की दरों में परिवर्तन करने की विभिन्न व्यवस्थाएं चालू आमदनियों पर, जिन पर अगले वर्ष कर लगाया जा सकेगा, आगे से लागू की जांय, पर जहां ऐसा महसूस किया जाये कि किसी खास व्यवस्था को विशेष कारणों से पीछे से (रिट्रास्पेक्टिवली) लागू करना आवश्यक है वहां ऐसा न किया जाय। वित्तयी वर्ष के साथ प्रारम्भ और समाप्त होने वाला मानक (स्टैंडर्ड) कर-वर्ष स्वीकार करने की सिफारिश पर भी हम ध्यान से विचार करना चाहते हैं।

65. एक और व्यवस्था की सिफारिश कर-गणना को सरल बनाने के लिए की गयी है। वह व्यवस्था यह है कि उन क्षेत्रों में से अधिकतर क्षेत्र हटा दिये जायें जिनमें कुल आय पर कर की औसत दर से इस समय छूटों और राहतों का हिसाब लगाना पड़ता है। मेरा विचार है कि इन क्षेत्रों में कर लगने योग्य आय का हिसाब करने में छूट और राहत के योग्य सारी आय या उसका उल्लिखित अंश घटाने की अनुमति देने के लिए उपबन्ध बनाये जायं। धर्मार्थ दानों पर कर की छूट का हिसाब लगाने के लिए भी इसी प्रकार के उपबन्ध बनाये जायेंगे। प्रधान मंत्री की सूखा-पीड़ित सहायता निधि में दिये जाने वाले दान उन दानों की श्रेणियों में शामिल किये जायेंगे जो इस समय कर सम्बन्धी राहत के योग्य हैं और जिन पर 2 लाख रुपये या कुल आय के 10 प्रतिशत भाग की वह उच्चतम सीमा लागू नहीं होती, जो साधारण धर्मार्थ दानों पर लागू होती है।

66. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में एक ही और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जिसका जिक्र मैं यहां कर रहा हूँ। इस समय भारतीय निवासियों के मामले में केवल वेतनों, प्रतिभूतियों के ब्याज या लाभांशों से बनने वाली उनकी आय में से उद्गम स्थान पर कर काट लिया जाता है। कर-संग्रह को बढ़ाने और संग्रह-कार्य को शीघ्रता से करने के उद्देश्य से यह विचार किया गया है कि निवासियों के मामले में उद्गम-स्थान पर कर काट लेने के नियम को बैंकों, कम्पनियों और अन्य संगठित संस्थाओं द्वारा देय, जमा रकमों, ऋणों, या अन्य ऋणों के ब्याज पर तथा व्यावसायिक सेवाओं की फीस और दलाली तथा कमीशन पर भी लागू किया जाये। लेकिन, किसी को कष्ट न हो, इसलिए कुछ मामलों में छूट देने की व्यवस्था की जा रही है।

डाक और तार

67. जैसा कि सभा को मालूम है, डाक और तार विभाग की डाक और तार शाखाएं हानि उठा कर काम कर रही हैं। डाक क्षेत्र में हमने जिन सेवाओं की व्यवस्था की है

उनमें से अधिकतर बिना लाभ के चल रही हैं। सेवाओं का मूल्य ह्रास के वर्षों में बहुत बढ़ गया है। इस हानि की आंशिक पूर्ति के लिए पार्सलों, रजिस्टर्ड अखबारों, बुकपैकेटों आदि की डाक दर में कुछ वृद्धि करने और रजिस्ट्री फीस, एक्सप्रेस डिलीवरी और बीमे की फीस तथा पैकेटों की हवाई डाक की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव है। डाक दरों की इन वृद्धियों से लगभग 1.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। तार-क्षेत्र में साधारण बधाई तार (ग्रीटिंग टेलीग्राम) का कम से कम महसूल और एक्सप्रेस बधाई तार की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। गैर-अखबारी अन्तर्देशीय तार (नानप्रेस इनलैण्ड टेलीग्राम) की मौजूदा दर ज्यों की त्यों रहेगी पर कम से कम महसूल दस शब्दों की बजाय पहले आठ शब्दों के लिए होगा। टेलीप्रिंटर मशीन का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव है। समाचारपत्रों को दिये जाने वाले अंशकालिक (पार्टटाइम) तार और टेलीप्रिंटर सर्किटों से भिन्न, इस प्रकार के सर्किटों के किराये में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है। डाक और तार शुल्कों में किये जाने वाले मुख्य परिवर्तनों का ब्योरा एक पृथक ज्ञापन में दिया गया है। इन उपायों से 1.02 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस अवसर से लाभ उठाकर विभिन्न टेलीफोन सेवाओं के शुल्कों को भी उचित आधार पर लाया गया है और उनमें कुछ छोटे-छोटे संशोधन किये गये हैं। टेलीफोन शुल्कों में जो विभिन्न परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, उससे 1.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

68. डाक, तार और टेलीफोन की दरों में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव है वे तुरन्त लागू नहीं होंगे। जिन तारीखों से वे लागू होंगे वे बाद में सूचित की जायंगी। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 4.44 करोड़ रुपया और चालू वर्ष के बाकी भाग में 3 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। पर चूंकि अब ऐसी आशा नहीं है कि डाक और तार की प्राप्तियां अन्तरिम बजट में लगाये गये अन्दाजे तक पहुँच जांय, इसलिए मैं 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम को ही जमा के रूप में रख रहा हूँ।

उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क

69. अब मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों का जिक्र करूंगा। मैंने प्रत्यक्ष करों में जो बहुत से परिवर्तन किये हैं उनसे सरकार की बजट-सम्बन्धी स्थिति में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाल में कई अवसरों पर आयात-शुल्कों को उचित आधार पर लाया गया है जिनमें पिछले जून का अवमूल्यन का अवसर भी शामिल है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि यद्यपि बाहर से मंगायी जाने वाली वस्तुओं के बढ़े हुए रुपया-मूल्यों को देखते हुए आयात-शुल्कों में फेर-बदल कर दिया गया था, तो भी अवमूल्यन और आयात-शुल्क का कुल भार इतना था कि सभी आयातित वस्तुओं का रुपया-मूल्य काफी बढ़ गया। इन वस्तुओं में मशीनें, कच्चा माल और फालतू पुरजे शामिल हैं। आयात-शुल्कों में और अधिक वृद्धि करके अर्थ-व्यवस्था को एक और धक्का लगाना ठीक नहीं है। इसलिए यह अनिवार्य है कि मैं निर्यात-शुल्कों में की गयी कमी के परिणाम को हिसाब में लेने के बाद बजट को सन्तुलित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में आवश्यक रूप से वृद्धि करूं।

70. फिर भी, मैंने उत्पादन-शुल्कों में इस तरह से फेर बदल करने की कोशिश की है कि उनसे अतिरिक्त साधन भी प्राप्त हों और मौजूदा आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं से उनका मेल भी बैठ सके। इस तरह, मैंने मुख्यतः उन मदों पर शुल्क बढ़ाने की कोशिश की है जहाँ (1) निर्यात-सम्बन्धी आय को बढ़ाने के लिए देश की अन्दरूनी खपत पर कुछ अंकुश लगाना आवश्यक है या (2) जहाँ उद्योग और वाणिज्य द्वारा इस समय बहुत ज्यादा नफा कमाया जा रहा है या (3) जहाँ मूल्यों में हुई कुछ वृद्धि सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय नहीं समझी जा सकती। मैंने विशेष रूप से इस बात का प्रबन्ध करने की कोशिश की है कि अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम न बढ़ें और उन उद्योगों के माल की मांग और भी कम न हो जाय जिनमें काफी अतिरिक्त क्षमता बेकार पड़ी हुई है। सब मिलाकर, कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर ही अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने का विचार है, ताकि मूल्य स्थिति कई जगहों पर बिगड़ न जाय। कुछ शुल्कों में जो काफी वृद्धियाँ करने का मेरा विचार है उनके सम्बन्ध में इससे कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है।

71. मेरा प्रस्ताव है कि कहवे (काफी) और चाय के उत्पादन-शुल्क बढ़ाये जायँ, ताकि देश में उनकी खपत कम हो और निर्यात के लिए वे अधिक मात्रा में उपलब्ध हों। इन वृद्धियों से पूरे वर्ष में 8.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसमें चाय के निर्यात-शुल्क में की गयी कमी के कारण होनेवाली राजस्व-हानि को हिसाब में नहीं लिया गया है। यह कमी इसलिए की गयी है कि निर्यात पर उत्पादन-शुल्क की वृद्धि का पड़ने वाला प्रभाव नष्ट हो जाय। चाय के सम्बन्ध में, प्रस्तावित वृद्धि सस्ती चाय पर क्षेत्र III, IV और V की मँहगी चाय की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार, सस्ते रोबस्टा या लाइबीरिया किस्म के कहवे पर अरेबिका जैसी बढ़िया किस्मों के कहवे की अपेक्षा कम वृद्धि की गयी है।

72. निर्यात की एक और मद जूट से बनी वस्तुएँ हैं जिनके सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क बढ़ाने का मेरा विचार है। हेसियन और जूट से बनी अन्य वस्तुओं के मौजूदा बुनियादी उत्पादन-शुल्क क्रमशः 250 रुपया और 125 रुपया प्रति मेट्रिक टन हैं। अब उन्हें बढ़ाकर क्रमशः 375 रुपया और 175 रुपया प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 3.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। जैसा कि हमेशा होता है, निर्यात की जानेवाली इन वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्कों की छूट दी जायेगी।

73. जहाँ तक चाय के निर्यात का सम्बन्ध है, निर्यात पर पड़ने वाला उत्पादन-शुल्कों की वृद्धियों का प्रभाव उसके निर्यात-शुल्कों में 24 पैसा प्रति किलोग्राम की कमी किये जाने से बराबर हो जायगा। इससे महँगी किस्मों की चाय के उत्पादन-शुल्कों की वृद्धि का भार बिलकुल दूर हो जायगा और क्षेत्र I और II की बढ़िया किस्मों की चाय को अन्य किस्मों की चाय के मुकाबले कुछ फायदा रहेगा, क्योंकि उनके निर्यात-शुल्क में की जाने कमी उनके उत्पादन-शुल्क में की जानेवाली वृद्धि से ज्यादा होगी। निर्यात-शुल्क की इस कमी के साथ-साथ दर-अनुसूची सरल और युक्तियुक्त बनायी जा रही है ताकि शुल्क-निर्धारण की वर्तमान प्रणाली की व्यावहारिक कठिनाइयाँ दूर हो जायँ। इस प्रस्तावित कमी से प्रतिवर्ष 4.68 करोड़ रुपये की हानि होगी। इस प्रकार, चाय और कहवे से पूरे वर्ष में वास्तव में 3.72 करोड़ रुपया वसूल होगा।

74. जूतों और उनके हिस्सों पर, जिनमें अच्छी निर्यात क्षमता है, फिर शुल्क लगाने का मेरा विचार है। यह शुल्क फरवरी 1965 के बजट प्रस्तावों के एक अंश के रूप में दी गयी

छूट द्वारा हटा दिया गया था। पहले की भांति, बिजली की सहायता के बिना या बिजली से चलने वाले छोटे कारखानों में बनाये गये जूते आगे भी शुल्क-मुक्त रहेंगे। इस प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 2.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

75. सिगरेटों के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे निर्यात के लिए सिगरेट के तम्बाकू का, जिसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, निर्यात करने योग्य फालतू अंश कम हो जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि सिगरेटों पर लगे हुए शुल्कों में काफी वृद्धि की जाय जिससे प्रतिवर्ष 28.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्तहो। प्रस्तावित वृद्धि सस्ती सिगरटों की अपेक्षा महँगी सिगरेटों पर ज्यादा होगी। कुछ वृद्धि सिगार और चुरुट के शुल्क में भी करने का विचार है जिससे लगभग 1 लाख रुपया प्राप्त होगा। मैं महसूस करता हूँ कि यह वृद्धि ज्यादा है। पर माननीय सदस्य और अन्य लोग चाहें तो इनकी खपत घटाकर इस वृद्धि के बोझ से बच सकते हैं और इस तरह अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं।

76. माननीय सदस्यों को याद होगा कि रुपये के अवमूल्यन के समय पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन-शुल्क और सीमा शुल्क में इस प्रकार फेरबदल किया गया था कि इनके मूल्य में वृद्धि न हो। इससे सरकार के राजस्व में बहुत कमी हुई। इस कमी की रकम उस राजसहायता की रकम के बराबर थी जो अन्न और रासायनिक खाद पर इसी प्रयोजन के लिए उस समय दी जाती थी। रासायनिक खाद सम्बन्धी राजसहायता कम कर दी गयी है। मैं नहीं समझता कि कुछ पेट्रोलियम-पदार्थों के मूल्यों को क्यों न बढ़ने दिया जाय, जबकि उनके मूल्यों की वृद्धि वस्तुतः अवमूल्यन के परिणाम की ही द्योतक होगी। इसलिए मेरा विचार है कि मोटर स्पिरिट के बुनियादी उत्पादन-शुल्क को 451.05 रुपया प्रति किलोलिटर से बढ़ाकर 550 रुपया प्रति किलोलिटर और साफ किये हुए डीजल तेल और उड़ने वाले तेल के बुनियादी उत्पादन-शुल्क को 441.05 रुपया प्रतिकिलोलिटर से बढ़ाकर 461·05 रुपया प्रति किलोलिटर कर दिया जाय। उन पेट्रोलियम पदार्थों पर लगा उत्पादन-शुल्क भी 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाक 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर देने का विचार है जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं है। खनिज तेल से बनने वाले पदार्थों के शुल्कों में की जानेवाली इन वृद्धियों से प्रतिवर्ष 25.60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इन शुल्क-वृद्धियों से मिट्टी के तेल, किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल तेल और उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ईंधन तेल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तव में, साफ किये हुए डीजल तेल के शुल्क में की जाने वाली वृद्धि भी बहुत थोड़ी है—केवल 2 पैसा प्रति लिटर।

77. अब मैं कुछ ऐसी उपभोक्ता-वस्तुओं को ले रहा हूं जो कम आवश्यक हैं। इन पर कमाये जाने वाले अधिक लाभ को प्राप्त करने की गुंजाइश है। इनकी मूल्यवृद्धि भी उपभोक्ताओं के लिए अधिक कष्टकारक नहीं होगी। प्रस्ताव है कि कृत्रिम या संश्लिष्ट (सिन्थेटिक) बिरोजा (रेजिन) और प्लास्टिक द्रव्यों के बुनियादी उत्पादन-शुल्क को 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाय। इससे प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

78 रेयन और संश्लिष्ट रेशों (सिन्थेटिक फाइबर) और धागे (यार्न) का उत्पादन बढ़ गया है और इन पर लाभ की मात्रा भी बहुत अधिक है। इसलिए मेरा विचार है कि इनके

उत्पाद शुल्कों में काफी वृद्धि की जाय। सेल्यूलोजिक फाईबर और धागे, जैसे कि विस्कोज रेयन और ऐसीटेट रेयन के शुल्क में की जाने वाली वृद्धि नान-सेल्यूलोजिक फाइबर और धागे, जैसे पोलिऐस्टर फाइबर और नाइलोन धागे के शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से कम होगी। इन प्रस्तावित वृद्धियों से प्रतिवर्ष 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

79. ऐल्यूमीनियम का उत्पादन-शुल्क 1960 से ज्यों का त्यों रहा है और हाल के वर्षों में देश में इसके उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। मेरा प्रस्ताव है कि ऐल्यूमीनियम के डलों का बुनियादी उत्पादन-शुल्क 300 रुपया प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 950 रुपया प्रति मेट्रिक टन, प्लेटों, चादरों, चक्कों (सर्किल) और पट्टियों (स्ट्रिप) का बुनियादी उत्पादन-शुल्क 500 रुपया प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1450 रुपया प्रति मेट्रिक टन, पन्नी (फायल) का बुनियादी उत्पादन शुल्क 600 रुपया प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2000 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाय। पाइपों, नलियों (ट्यूब), बाहर की ओर निकलते आकार और खण्डों की चीजों (एक्सट्रूडेड शेप और सैक्शन) का शुल्क भी 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इन परिवर्तनों से प्रतिवर्ष 10.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

80. मुझे आशा है कि ऐल्यूमीनियम, रेयन और संश्लिष्ट रेशों के मामले में उत्पादकों के लिए यह सम्भव होगा कि वे उत्पादन-शुल्कों में की जानेवाली वृद्धि के बोझ को अपने ऊपर ले लेंगे और उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमत में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। किसी भी हालत में इन वस्तुओं के उत्पादक सरकार से पहले सलाह किये बिना इनकी मौजूदा कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। यदि जाँच करने के बाद यह पाया जायगा कि उत्पादक उपभोक्ताओं से ज्यादा मूल्य वसूल किये बिना अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के बोझ को उठा नहीं सकते, तो हम सुधार की उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जायेंगे। फिर भी, हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जहाँ तक संभव हो, इन मामलों में बढ़े हुए शुल्कों का भार इस समय होने वाले लाभ पर पड़े।

81. सूती कपड़े पर लगे उत्पादन-शुल्कों के मौजूदा ढाँचे के अन्तर्गत, बिजली से चलने वाले करघों को इतनी अधिक तरजीह दी जाती है कि उससे करों की चोरी करने को बढ़ावा मिलता है। यह बात लगातार दो समितियों ने कही है। इसलिए मेरा विचार रूई के बटे हुए धागे और तागे के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि करने का है; इस धागे और तागे से, बिजली से चलने वाले करघों पर बारीक (फाइन) और बहुत बारीक (सुपर फाइन) कपड़ा बनाया जाता है। यह वृद्धि, अधिकतर कलफ लगे सूत के तीरों (साइज्ड बीम) के रूप में छुड़ाये गये, कलफ लगे सूत के सम्बन्ध में होगी, जिसका उपयोग बिजली से चलने वाले करघों वाले कारखानों में बुनाई के लिए किया जाता है। बारीक और बहुत बारीक सूत्रांक (काउण्ट) के कलफ लगे सूत के उत्पादत-शुल्क की दरों में इस प्रकार वृद्धि की जायगी कि बिजली के करघों पर बने और मिल में बने बारीक और बहुत बारीक किस्मों को कोरे कपड़े पर लगे उत्पादन-शुल्कों के बीच का अन्तर काफी कम हो जाय। लेकिन इन परिवर्तनों का हाथकरघा क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूत की लच्छियों के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि नहीं की जा रही है। मिल के कपड़े के शुल्क में भी कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि सूत के सम्मिलित शुल्क

(कम्पाउन्डेड ड्यूटी) में होनेवाली वृद्धि को कोरे कपड़े के उत्पादन-शुल्क में उतनी ही कमी करके प्रतिसन्तुलित किया जा रहा है, जिसका कुल मिलाकर यह परिणाम होगा कि बारीक और बहुत बारीक कोरे कपड़े का शुल्क पहले जितना ही रहेगा । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 7.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

82. इस वर्ष केवल एक ही नयी मद पर उत्पादन-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, और वह है रबड़ के पाइप (पाईपिंग), ट्यूब (ट्यूबिंग) और पेटियाँ (बेल्टिंग) । इन्हें, रबड़ के स्पंज (लेटेक्स फोम स्पंज) और ट्रेड रबड़ जैसी रबड़ की उन वस्तुओं में शामिल किया जा रहा है जिन पर पहले से ही उत्पादन-शुल्क लग सकता है । रबड़ की इन नयी वस्तुओं के प्रस्तावित बुनियादी उत्पादन-शुल्क की दर, मूल्यानुसार 15 प्रतिशत होगी और इससे प्रतिवर्ष 1.98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी ।

83. बुनियादी उत्पादन-शुल्कों में किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, किये जाने वाले परिवर्तनों के आधीन रहते हुए, विशेष उत्पादन शुल्क मौजूदा दरों पर ही लगाये जाते रहेंगे । वित्त विधेयक, 1966 की धारा 49 में जिस ढङ्ग से नियामक उत्पादन शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था की गयी थी, उसी ढंग से उसे जारी रखा जायगा, हालाँकि अभी यह शुल्क नहीं लगाया जायगा ।

84. उत्पादन-शुल्कों में प्रस्तावित सारे परिवर्तनों से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 115.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी, जिसमें से 22.98 करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा ।

85. आयात शुल्कों में कोई वृद्धि करने का मेरा विचार नहीं है । लेकिन जहाँ उत्पादन-शुल्कों में वृद्धि की गयी है या उनमें फेर-बदल किये गये हैं, वहाँ विदेशों से मँगायी जाने वाली वस्तुओं पर, मौजूदा शुल्कों के अलावा, इन वृद्धियों के बराबर प्रति सन्तुलनकारी (काउण्टर वेलिंग) शुल्क भी लगाये जायेंगे । बाहर से मँगाये गये ऐल्यूमिनियम के डलों और तार की छड़ों (वायर बार) के सम्बन्ध में, प्रति-सन्तुलनकारी शुल्क,उत्पादन शुल्कों में की गयी वृद्धि के बिलकुल बराबर नहीं लगाये जायेंगे, बल्कि उनकी दर 400 रुपया प्रति मेट्रिक टन कम होगी । प्रति-संतुलनकारी शुल्कों में की जाने वाली वृद्धियों से प्रतिवर्ष 7.33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी ।

86. निर्यात शुल्कों में की जाने वाली कमियों की, में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ । इन मदों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष होने वाली 19.01 करोड़ रुपये की कमी और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों की वृद्धि को हिसाब में लेते हुए, सीमा-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में पूरे वर्ष में 11.68 करोड़ रुपये की वास्तविक कमी होगी । उत्पादन-शुल्कों और सीमा-शुल्कों को एक साथ लेने पर, पूरे वर्ष में 103.84 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी जिसमें से 22.98 करोड़ रुपया राज्यों को और बाकी केन्द्र को मिलेगा । लेकिन चालू वर्ष में, सीमा-शुल्कों और और उत्पादन शुल्कों में होने वाले परिवर्तन सारे साल लागू नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ दस महीने से ऊपर । इसलिए, चालू वर्ष में केन्द्र को 68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी । डाक

और तार की दरों के परिवर्तनों से 1 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। लगभग 69 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व से, 68 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक घाटा न केवल पूरा हो जायगा, बल्कि कुछ रकम बच रहेगी। इस तरह, जो बजट में पेश कर रहा हूँ वह एक सन्तुलित बजट है। माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि राज्यों को केन्द्रीय बजट मे काफी बड़ी मात्रा में जो साधन उपलब्ध किये गये हैं उनके अतिरिक्त, राज्यों को, प्रस्तावित करों से काफी मात्रा में अर्थात् लगभग 20 करोड़ रुपया प्राप्त होगा।

87. मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मुख्यतः आयोजना-परिव्यय को कड़े नियन्त्रण में रख कर ही मैं सन्तुलित बजट पेश कर सका हूँ। बजट में आयोजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय योजनाओं और राज्यों तथा वित्तीय संस्थाओं को सहायता देने के लिए जो व्यवस्था की गयी है वह लगभग उतनी ही है जितनी चौथी आयोजना के पहले वर्ष के लिए की गयी थी। ऐसे समय में जब अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति कम हो और जब राजसहायताओं को कम करना मुश्किल हो, मूल्यों में फिर से स्थिरता लाने की सम्भावनाओं को खतरे में डाले बिना, आयोजना के लिए इससे अधिक धन की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता था। केन्द्र के गैर आयोजन खर्च के सम्बन्ध में भी बड़े संयम से काम लिया गया है; इस खर्च के अधिकतर भाग का सम्बन्ध करारों सम्बन्धी देनदारियों के ब्याज की अदायगियों और रक्षा-व्यवस्था से है।

88. जो लोग करों में काफी कमी की उम्मीद किये बैठे हों उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब तक इस माननीय सभा में हम लोग देश के गरीब और पददलित लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखेंगे, तब तक सरकार के लिए, उसकी मान्यताएं चाहे जो हों, प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक परिमाण में साधनों को जुटाना जरूरी होगा। सरकार को इस समय जो साधन उपलब्ध हैं उनमें से कुछ, जैसे पी. एल. 480 के अन्तर्गत दिये गये अन्न की प्रतिरूप निधि, बहुत समय तक उपलब्ध नहीं रहने चाहिए और न रह सकते हैं। इसलिए करों में कोई रियायत देने से पहले में इस बात का अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहूँगा कि इस तरह का कदम उठाने से आर्थिक क्रियाकलाप और बचतों को प्रोत्साहन मिलने और उसके परिणामस्वरूप पहले से अधिक राजस्व प्राप्त होने की थोड़ी सी संभावना तो है ही। मौजूदा परिस्थितियों में मुझे इसकी स्पष्ट सम्भावना दिखायी नहीं देती, लेकिन हम करों के अपने ढाँचे को एक युक्तिसंगत, सुदृढ़ और प्रगतिशील आधार पर खड़ा करने के सभी संभव उपायों की खोज करेंगे। उत्पादन शुल्कों में खास-खास वस्तुओं के सम्बन्ध में, पर काफी वृद्धियाँ करने का मुख्य औचित्य यही है कि निर्यात की दृष्टि से और आयोजना-परिव्यय में बहुत अधिक कमी करने से बचने की दृष्टि से ये जरूरी हैं। यह सच है कि ऐसा होते हुए भी, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि आयोजना के लिए पिछले वर्ष जितनी व्यवस्था की गयी थी, इस वर्ष में उससे अधिक व्यवस्था नहीं कर सका हूँ। यही कारण है कि हम देश में सम्भरण (सप्लाई) सम्बन्धी बुनियादी स्थिति में सुधार होते ही सरकारी और गैर-सरकारी निवेश-कार्य को प्रोत्साहन देने की और भी अधिक रचनात्मक नीति का अनुसरण करना चाहते हैं।

89. अभी तो मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि इस बजट से स्थिरता के वातावरण की फिर से स्थापना में सहायता मिलेगी, जो स्वस्थ और निरन्तर विकास के लिए अत्यावश्यक है। दोषरहित और कुशल प्रशासन की व्यवस्था करने के अपने प्रयत्नों को और

अधिक जोरदार बनाने के लिए भी हम कृतसंकल्प हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन घड़ी में समाज के सभी वर्ग--किसान, मजदूर, व्यापारी और जनमत का निर्माण करने वाले नेता अपना अधिकतम योगदान देंगे, ताकि पिछले दो वर्षों से देश में गतिहीनता का जो वातावरण फैला हुआ है वह दूर हो जाय और एक बार फिर हम अपने चिरइच्छित लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने लगें।

वित्त (संख्या 2) विधेयक1967

Finance (No. 2) Bill , 1967

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्ष 1967-68 के वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वर्ष 1967-68 के वित्तीय वर्ष के लिए, केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Question was Adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रववार 26 मई 1967 ज्येष्ठ 5, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Eleven of the clock on Friday, May 26, 1967/ Jyaistha 5, 1889 (Saka)